SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3

(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए
प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3

(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	vi
अध्याय-I		
विहंगावलोकन		
1.1	परिचय	1
1.2	लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	3
1.3	लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	4
1.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	4
1.5	लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव	4
1.6	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	6
1.7	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	7
अध्याय- II		
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
2.1	झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	15
2.1.1	परिचय	19
2.2	योजना	24
2.3	वित्तीय प्रबंधन	41
2.4	वन्यजीवों और उनके आवासों का संरक्षण और सुरक्षा	45
2.5	प्रभाव मूल्यांकन और निगरानी	90
अध्याय-III		
अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
सड़क निर्माण विभाग		
3.1.1	पथ निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण पर निष्फल व्यय	95
3.1.2	पुलों के निर्माण पर निष्फल व्यय	98
ग्रामीण विकास विभाग		
3.1.3	मॉल के लिए भवन निर्माण पर निष्फल व्यय	102
3.1.4	वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली के विकास पर निष्फल व्यय	104

कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग		
3.1.5	छंटाई श्रेणीकरण सुविधाओं और शीतागार के निर्माण पर निष्फल व्यय	107
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		
3.1.6	50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय	110
परिशिष्ट		
	परिशिष्ट	115

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1	2.1.7	भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्टों के अनुसार झारखण्ड में पीए की श्रेणियां और अंक दिखाने वाला विवरण	115
2.2	2.1.7	डब्ल्यूआईआई द्वारा सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदुओं और झारखण्ड सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	116
2.3	2.2.2	पी.ए. की प्रबंधन योजनाओं और इसके अनुमोदन का विवरण दर्शाने वाला विवरण	119
2.4	2.2.3.3 और 2.4.7.1	आवश्यकता के साथ-साथ गठित ई.डी.सी. का विवरण दर्शाने वाला विवरण	120
2.5	2.2.6	ई.एस.जेड. की अधिसूचनाओं और क्षेत्र का विवरण दर्शाने वाला विवरण	121
2.6	2.3.1 और 2.4.3.1	वर्ष 2018-23 के दौरान वानिकी योजनाओं के तहत वार्षिक योजना/मूल बजट, संशोधित बजट, जारी निधि, व्यय और बचत दर्शाने वाला विवरण	122
2.7	2.3.2	2018-23 के दौरान पी.ए. में आवश्यकता, जारी निधि और व्यय का विवरण दर्शाने वाला विवरण	124
2.8	2.3.3	2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए पी.टी.सी.एफ. के वार्षिक खातों का सारांश	125
2.9(क)	2.4.1.1	2018-23 के दौरान पीए में आवश्यक और उपलब्ध सीमा स्तंभों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	126
2.9(ख)	2.4.1.1	2018-23 के दौरान निर्मित सीमा स्तंभों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	127
2.10(क)	2.4.1.2 और 2.4.2.3	पी.ए. में मानव बल की तैनाती दर्शाने वाला विवरण	128
2.10(ख)	2.4.1.2 और 2.4.2.3	2018-23 के दौरान निर्मित सीमा स्तंभों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	128

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.11	2.4.1.2	मार्च 2023 तक पी.ए. में वायरलेस सेट की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण	129
2.12	2.4.1.3	वर्ष 2018-23 के दौरान पी.ए. में तैनात वन रक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण	130
2.13	2.4.1.4	पीए में वन अपराधों की जांच की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	132
2.14	2.4.1.4	वन अपराधों का विवरण दर्शाने वाला विवरण और उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई	133
2.15	2.4.2.1, 2.4.2.2 और 2.4.2.4	2018-23 के दौरान पी.ए. में आग की घटनाओं और प्रभावित क्षेत्रों का विवरण दर्शाने वाला विवरण	136
2.16	2.4.2.2	2018-23 के दौरान पीए में फायर लाइनों की लंबाई और इसके रख-रखाव को दर्शाने वाला विवरण	137
2.17	2.4.3.2	पी.ए. में जंगली पशुओं के जनगणना का विवरण दर्शाने वाला विवरण	138
2.18	2.4.3.2	अनुसूची I से अनुसूची III तक प्रत्येक में पांच आम जंगली जानवरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	139
2.19	2.4.4.1	2018-23 के दौरान पी.ए. में जंगली जानवरों की मृत्यु दर का विवरण दर्शाने वाला विवरण	140
2.20	2.4.4.2	2018-23 के दौरान पी.ए. में टीका दिए गए मवेशियों और वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण	141
2.21	2.5.1	2021-23 के दौरान योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के विरुद्ध परिणाम संकेतकों को दर्शाने वाला विवरण	142
3.1	3.1.3	जेड.पी., बोकारो द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं का विवरण	149

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए मार्च 2023 (निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल) को समाप्त हुए अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेतन तैयार की गई है।

प्रतिवेतन में झारखण्ड के सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो 2022-23 की अवधि के लिए किए गए लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए तथा साथ ही, उन दृष्टांतो को भी शामिल किया गया है जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सकते थे। जहां भी आवश्यक हो, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतो को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और लेखाओं पर जारी लेखापरीक्षा मानकों और विनियमों के अनुरूप की गई है।

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1 .1 परिचय

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कुछ राज्य सरकार के विभागों के निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान मे आए मामलों को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से उम्मीद है कि कार्यकरी को सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, साथ ही ऐसी नीतियां और निर्देशों को तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर प्रशासन में योगदान मिलेगा।

यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में निम्नानुसार तैयार की गई है:

अध्याय 1 में पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यय के संक्षिप्त विहंगावलोकन के साथ लेखापरीक्षित विभागों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार और क्षेत्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और संचालन, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों और विभिन्न लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार की प्रतिक्रिया जैसे निरीक्षण प्रतिवेदन, पृथक लेखापरीक्षा कंडिकाएं, निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई, आदि शामिल है।

अध्याय 2 में झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय 3 में राज्य सरकार के पांच विभागों[1] से संबंधित छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं।

लेखापरीक्षित विभागों और लेखापरीक्षा क्षेत्र की रूपरेखा

बजट के अनुसार, झारखण्ड सरकार ने अपने विभिन्न विभागों/संगठनों से संबंधित 60 अनुदानों (2022-23 के दौरान) के अंतर्गत निधियाँ जारी की। झारखण्ड सरकार के 34 विभागों में से, जो महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 29 विभाग सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य पांच विभाग राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान इन 29 विभागों में व्यय के प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है।

---

[1] (i) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (ii) पंचायती राज (iii) पथ निर्माण (iv) ग्रामीण विकास और (v) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण।

तालिका 1.1: व्यय की प्रवृत्ति 29 विभागों में

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	वित्त	14,003.18	15,660.37	15,686.99	18,426.88	21,365.24
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास	6,392.84	7,864.45	8,304.41	9,288.01	10,510.63
3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	5,632.55	6,502.39	7,216.87	6,072.45	7,564.06
4	ग्रामीण विकास	4,708.14	4,868.98	6,018.08	5,665.54	4,968.95
5	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	2,582.92	3,912.46	3,777.78	5,653.58	5,883.77
6	ऊर्जा	4,155.20	3,148.42	6,846.78	5,483.63	8,240.42
7	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	3,382.55	3,128.30	4,061.85	4,813.42	5,298.71
8	पथ निर्माण	4,098.29	3,921.38	3,491.79	3,432.41	3,737.86
9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	1,667.69	2,611.77	1,646.90	3,363.04	2,720.88
10	शहरी विकास एवं आवास	1,986.42	2,559.20	2,912.09	2,463.06	2,703.72
11	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	1,583.84	1,918.40	1,665.10	1,728.17	1,859.50
12	जल संसाधन	1,883.63	1,722.65	1,421.55	1,586.05	1,766.15
13	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,547.94	1,378.32	1,188.34	1,445.96	3,309.94
14	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	1,030.86	1,134.72	1,380.71	1,445.92	1,489.24
15	ग्रामीण कार्य	4,323.44	2,525.28	1,663.49	1,109.70	1,740.55
16	पंचायती राज	875.27	2,482.11	1,857.49	806.10	1,767.64
17	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	525.07	714.44	725.80	742.18	1,024.81
18	विधि	440.66	458.52	446.42	510.93	611.31
19	भवन निर्माण	496.32	549.55	256.68	429.08	626.31
20	उद्योग	314.59	276.47	220.09	288.79	385.96
21	श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास	179.84	161.24	294.26	252.07	570.86
22	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस	145.48	153.57	122.51	179.71	246.91
23	सूचना एवं जनसंपर्क	170.77	201.18	130.79	178.97	211.78

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
24	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले	249.09	212.43	179.90	141.50	273.03
25	पेयजल एवं स्वच्छता	1,765.30	1,180.18	1,278.86	121.05	2,140.38
26	योजना एवं विकास	559.87	270.39	108.25	113.60	212.19
27	मंत्रिमंडल (चुनाव)	102.62	348.16	113.81	106.45	136.67
28	कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता	178.05	178.02	185.18	218.57	336.12
29	व्यक्तिगत, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा	50.32	54.29	60.41	71.20	81.02
योग		**65,032.74**	**70,097.64**	**73,263.18**	**76,238.02**	**91,784.61**

(स्रोत: विनियोग लेखे 2018-19 से 2022-23)

1.2 लेखापरीक्षा - प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से उद्धत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी. अधिनियम की धारा[2] 13 के तहत राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है, जिनकी लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (2), 19 (3)[3] और 20 (1)[4] के अंतर्गत की जाती है। सरकार द्वारा समुचित वित्तपोषित अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी अधिनियम की धारा[5] 14 के अंतर्गत करती।

विभिन्न लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा (संशोधन), विनियम 2020 और लेखापरीक्षा मानकों में वर्णित हैं।

---

[2] (i) राज्य की संचित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी लेनदेन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखे, बैलेंस-शीट और अन्य सहायक लेखे (iv) सभी प्राप्तियां जो राज्य की संचित निधि में भूगतेय हैं।

[3] संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार या जनहित में राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके तहत बनाए गए कानून के तहत स्थापित निगमों (जो कंपनियाँ नहीं है) के खातों की लेखापरीक्षा।

[4] नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा सरकार के बीच तय नियमों एवं शर्तों पर राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा।

[5] कई गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त / अर्ध-स्वायत्त निकाय जो रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता का प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम, पर्यावरण आदि की योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित हैं तथा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं उनकी लेखापरीक्षा का धारा 14 के तहत होती है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) और पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा (अ.ले.) वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (ए.ए.पी.) के अनुसार आयोजित की जाती हैं। पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों और कार्यान्वयन एजेंसियों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें उनके वित्तीय महत्व के मामले, सामाजिक प्रासंगिकता, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, पूर्व में गबन, दुर्विनियोजन कपट इत्यादि के मामलों के साथ-साथ पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परिणाम शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त जवाब के आधार पर, लेखापरीक्षा अवलोकनों को या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पृथक अवलोकनों/ कंडिकाओं के रूप में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए आगे परिष्कृत किया जाता है। संसाधित किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण मुद्दों पर तैयार की जाती हैं। मुद्दों का चयन उपर्युक्त कार्यप्रणाली सादृश्य के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु सामग्रियों को अंतिम रूप देते समय विभागों द्वारा प्रस्तुत औपचारिक जवाबों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

1.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा "झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के संरक्षण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा और 18 विभागों के अंतर्गत 496 इकाइयों का पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

1.5 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड लेन-देन में नियमों और विनियमों के अनुपालन की जांच तथा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं और अन्य अभिलेखों के संधारण में नियमितता को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा करता है। निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएं एवं अन्य बिंदु, जिनका निपटान मौके पर नहीं होता हैं, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल किए जाते हैं। लेखापरीक्षा के बाद निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं तथा इसकी प्रतियाँ अगले उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाती है। महालेखाकार द्वारा गंभीर अनियमितताएं भी सरकार के संज्ञान में लाई जाती हैं।

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 के अनुसार, लेखापरीक्षित इकाई के प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) का जवाब इसकी प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर भेजेंगे। महालेखाकार द्वारा किसी बड़ी अनियमितता[6] की सूचना देने पर, सरकार तथ्यों का प्रथम दृष्टया सत्यापन करेगी और सूचना प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर तथ्यों की पुष्टि या खंडन करते हुए प्रारंभिक प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजेगी। जहां प्रारंभिक प्रतिवेदन में सरकार द्वारा बड़ी अनियमितता के तथ्य से इनकार नहीं किया जाता है, सरकार प्रारंभिक प्रतिवेदन के दो महीने के भीतर, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई और चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को बताते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजेगी।

इसके अलावा, झारखण्ड सरकार का वित्त विभाग भी ससमय सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए विभागों को समय-समय पर निर्देश जारी करता है।

विचाराधीन निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की निगरानी एवं उनके निपटान को सुलभ बनाने हेतु संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को निरीक्षण प्रतिवेदनों को लंबित दिखाती हुई एक छमाही प्रतिवेदन भेजी जाती है।

मार्च 2023 तक 29 विभागों को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 5,440 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 40,242 कंडिकाएँ 31 मार्च 2024 (**तालिका 1.2**) तक उपयुक्त अनुपालन के अभाव में लंबित थे। इनमें से, 3,968 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 30,054 कंडिकाओं के संबंध में प्रारंभिक जवाब भी प्राप्त नहीं हुए थे।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2024 को बकाया नि.प्र. और कंडिकाएँ
(31 मार्च 2023 तक जारी)

क्र. सं.	अवधि	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं.	बकाया कंडिकाओं की सं.
1	2022-23	400	5,442
2	1 वर्ष से 3 वर्ष	696	6,468
3	3 से 5 वर्ष	424	2,817
4	5 वर्ष से अधिक	3,920	25,515

इसके अलावा लेखापरीक्षा समितियां, जिसमें प्रधान सचिव/सचिव या/और प्रशासनिक विभागों के किसी भी नोडल अधिकारी और लेखापरीक्षा के प्रतिनिधि शामिल हैं, बकाया

[6] प्रमुख अनियमितता का अर्थ है (क) लेखापरीक्षा में संदिग्ध भौतिक धोखाधड़ी या मिलीभगत या भ्रष्टाचार का दृष्टांत, या (ख) सार्वजनिक धन से जुड़ी गंभीर प्रकृति की अनियमितता, विशेष रूप से कुप्रबंधन, हानि, अपशिष्ट, निरर्थक व्यय या राजस्व की हानि, आंतरिक नियंत्रणों का गंभीर टूटना/उल्लंघन, आदि।

निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका के शीघ्र निपटान के लिए समय-समय पर बैठक करते हैं। उच्चतम स्तर के अनुसरण के बावजूद, 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (i) निर्धारित समय- सारणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई (ii) नुकसान/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान आदि की समयबद्ध तरीके से वसूली तथा (iii) प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजन के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना सुनिश्चित की गई है।

प्रारूप प्रतिवेदनों/कंडिकाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम (संशोधन) 2020 यह निर्धारित करता है कि भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर समर्पित की जानी चाहिए।

प्रारुप नि.ले./वि.वि.ले.प. की प्रारूप प्रतिवेदन और पृथक प्रारूप कंडिकाएँ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ-साथ वित्त विभाग को अग्रेसित किए जाते हैं और उनसे निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता हैं। उनके व्यक्तिगत ध्यान में यह भी लाया जाता है कि भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जो विधायिका के समक्ष रखे जाते हैं,में ऐसी कंडिकाओं को शामिल करने की संभावना को देखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं को नवंबर 2023 और जून 2024 के बीच संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों और वित्त विभाग को भेजे गए थे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से नि.ले. पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, वहीं छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त[7] नहीं हुआ है। जहां भी विभाग / लेखापरीक्षित इकाइयों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, उसे प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से समाहित किये गये हैं।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

लोक लेखा समिति के आंतरिक कामकाज की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/कंडिका

---

[7] पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

पर प्रशासनिक विभागों को स्वत: कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा उन्हें जांच के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित विस्तृत कार्रवाई नोट (एटीएन), जो उनके द्वारा की गई या की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को दर्शाता हो, को पीएसी को प्रस्तुत करना था।

वर्ष 2008-09 से 2020-21 के लिए सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 220 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ हैं। इनमें से, पीएसी ने 110 कंडिकाओं पर चर्चा किया हैं और एक उप-कंडिका के संबंध में सिफारिश की हैं जिसके लिए की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त नहीं हुआ हैं।

इसके अतिरिक्त, 2000-01 से 2007-08 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभागों पर छोड़े गए थे, इनमें 201 लंबित कंडिकाएँ थी, जिनमें से 94 कंडिकाएँ पीएसी द्वारा चर्चा हेतु लिए गये थे। इसके विरूद्ध, लोक लेखा समिति ने सात कंडिका और आठ उप-कंडिका के संबंध में सिफारिशें की थीं, जिनमें से दो कंडिका और छः उप-कंडिका के संबंध में एटीएन प्राप्त हुई थी, जैसा कि **तालिका 1.3** में वर्णित है।

तालिका 1.3: पीएसी चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष 2008-09 से 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
बकाया लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	201	220
पीएसी द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	94	110
पीएसी चर्चा के लिए नहीं लिया गया	107	110
पीएसी द्वारा की गई सिफारिश	7 कंडिका और 8 उप-कंडिका	1 उप-कंडिका
प्राप्त की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण	2 कंडिका और 6 उप-कंडिका	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	2 कंडिका और 6 उप-कंडिका	शून्य

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ शामिल हैं।

निम्नलिखित कंडिकाओं में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर संक्षेप में चर्चा की गई है:

झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों तथा उनसे संबंधित मामलों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम राज्य सरकार को पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जंतु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव या उसके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार या विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव आश्रयणी घोषित करने का अधिकार देता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत इन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है।

झारखण्ड में 11 वन्यजीव आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान (बेतला राष्ट्रीय उद्यान) है। इसके अतिरिक्त, एक बाघ अभयारण्य (पलामू ब्याघ्र आरक्ष) और एक हाथी अभयारण्य (सिंहभूम हाथी अभयारण्य) भी है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए "झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों के संरक्षण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई, ताकि योजना और वित्त पोषण की पर्याप्तता; संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों और आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र की प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, मार्गदर्शिकाओं और प्रकाशनों को मानक के रूप में लिया गया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

जैसा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अपेक्षित है, राज्य सरकार संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व्यक्तियों या समुदायों के विद्यमान अधिकारों का निपटान नहीं कर सकी, जिससे संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 12 संरक्षित क्षेत्रों में से 11 के लिए अंतिम अधिसूचनाएं (आश्रयणीयों के क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए) उनकी प्रारंभिक अधिसूचनाओं की तिथि (मई 1976 और अगस्त 1991 के बीच) से 32 से 47 वर्षों तक, मार्च 2024 तक निर्गत नहीं की गईं।

[कंडिका 2.2.1]

12 संरक्षित क्षेत्रों में से 11 के लिए 2001-02 से लेकर अब तक की पूरी अवधि को शामिल करने वाली प्रबंधन योजना (एमपी) तैयार नहीं की गई थी और मार्च 2023 तक अंतराल दो से 19 वर्षों के बीच था। एक संरक्षित क्षेत्र (तोपचांची वन्यजीव आश्रयणी) के लिए एमपी बिल्कुल तैयार नहीं था।

इसके अलावा, 2018-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्रों में जल निकायों के निर्माण, विरल वनों का वनीकरण और अवांछित खरपतवारों को हटाने की गतिविधियां जल स्रोतों के मानचित्रण, सर्वेक्षण और आवश्यकता के आकलन के बिना ही शुरू की गईं, जैसा कि अनुमोदित प्रबंधन योजना में सुझाव दिया गया है।

[कंडिकाएँ 2.2.2 एवं 2.2.3]

हाथियों द्वारा अपने निवास क्षेत्र के विभिन्न भागों के बीच आवागमन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रवास मार्गों और गलियारों का संरक्षण, इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हाथी परियोजना मार्गदर्शिका में प्रत्येक हाथी अभ्यारण्य के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्रबंधन योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई है। परिप्रेक्ष्य प्रबंधन योजना के आधार पर एक व्यापक योजना (पांच वर्षों के लिए) तैयार की जानी थी।लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य का प्रबंधन एक व्यापक योजना के माध्यम से नहीं किया जा रहा था, जिससे कोर और बफर दोनों क्षेत्रों की एक समान समन्वित तरीके से देखरेख की जा सके, ताकि जंगली हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके।

[कंडिका 2.2.5]

भारत सरकार ने झारखण्ड में सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए नौ पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किए थे (मार्च 2012-अगस्त 2019) अधिसूचनाओं के अनुसार, राज्य सरकार को ईएसजेड की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के अंदर प्रत्येक ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करना और अनुमोदित करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी संवेदनशील क्षेत्र के क्षेत्रीय मास्टर प्लान तीन से 11 वर्षों (मार्च 2023 तक) से अधिक समय बीतने के बावजूद तैयार नहीं किए गए थे।

[कंडिका 2.2.6]

नमूना जांचित छः प्रमंडल वर्ष 2018-23 के दौरान ₹ 397.86 करोड़ की उपलब्ध निधियों में से ₹ 41.22 करोड़ (10 प्रतिशत) का उपयोग नहीं कर सके, जिसका मुख्य कारण वनरोपण, मृदा संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, क्षमता निर्माण आदि योजनाओं का क्रियान्वयन न होना था।

[कंडिका 2.3.2]

पलामू टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन (पीटीसीएफ) मैनुअल के अनुसार, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू बाघ अभयारण्य और प्रमंडलीय वन अधिकारियों (कोर और बफर क्षेत्र) द्वारा तीन बैंक खाते संचालित किए जाने थे और प्रत्येक बैंक खाते के लिए अलग-अलग रोकड़ बही रखी जानी थी। हालाँकि, जुलाई 2023 तक पीटीसीएफ अनुज्ञेय तीन बैंक खातों के स्थान पर आठ बैंक खातों का संचालन कर रहा था और निर्धारित

अनुसार दैनिक लेनदेन को अभिलेखित करने के लिए रोकड़ पंजी भी संधारित नहीं की जा रही थी।

[कंडिका 2.3.3]

विभाग ने संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बाह्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्वेक्षण के आधार पर सीमा स्तंभों के निर्माण के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को सुदृढ़ करना सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, सीमा स्तंभों का निर्माण न होने के कारण संरक्षित क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

[कंडिका 2.4.1.1]

गश्त के लिए कुशल कार्मिकों की अनुपस्थिति, वाहनों की कमी तथा निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए वायरलेस तंत्र के अभाव के कारण, संरक्षित क्षेत्रों में उचित गश्त सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

12 में से 10 संरक्षित क्षेत्रों में विद्यमान निगरानी टावरों में गश्ती कर्मियों की नियमित तैनाती या गश्ती शिविर के रूप में उनके उपयोग के लिए उचित बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं।

[कंडिका 2.4.1.2]

अग्रिमपंक्ति कर्मचारी (वन प्रक्षेत्र अधिकारी, वनपाल और वनरक्षी) की 49 प्रतिशत कमी से संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, मौजूदा कर्मचारियों का कौशल विकास सुनिश्चित नहीं किया गया था और इस प्रकार संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन ऐसे कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था जिनमें वन्यजीव प्रबंधन पर विशेष कौशल की कमी थी।

[कंडिका 2.4.1.3]

नमूना जांचित प्रमंडलों में अपराध प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि अभियोजन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने में विलम्ब था, अपराध क्षेत्रों के मानचित्रण का अभाव था, पुलिस और समीपवर्ती वन प्रमंडलों के साथ सूचना साझा नहीं की गई थी तथा जब्त वस्तुओं की सूची का भी रखरखाव नहीं किया गया था।

[कंडिका 2.4.1.4]

नमूना जांचित प्रमंडलों ने भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भेजी गई आग की चेतावनियों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के आंकड़ों को संकलित नहीं किया। 52 प्रतिशत क्षेत्रों के उच्च अग्नि संभावित क्षेत्र में आने के बावजूद, प्रमंडलों ने वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजनाएं तथा अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार नहीं कीं।

नमूना जांचित प्रमंडलों ने 2018-23 के दौरान अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था या अग्निशमन दस्ते में तैनात स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की थी, जैसा कि वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 में परिकल्पित किया गया था।

[कंडिका 2.4.2]

2017 की तुलना में 2021 में संरक्षित क्षेत्रों में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में 2.60 प्रतिशत की कमी आई, जबकि खाली जमीन और निर्माण क्षेत्र में क्रमशः 13.51 प्रतिशत और 22.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्रीय मास्टर प्लान का कार्यान्वयन न करना और अपर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण उपाय हैं।

[कंडिका 2.4.3.1]

झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में समग्र वन्यजीव आबादी में पिछले कुछ वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव को कम करके जंगली जानवरों के लिए अछूते स्थान का निर्माण न करना, मांसाहारियों के लिए शिकार के आधार की कमी, शाकाहारी जानवरों के लिए अपर्याप्त चारागाह और वन्यजीव जीवों के लिए अनुकूल वातावरण का अभाव है। वन्यजीवों की आबादी 2017-18 में 20,028 से घटकर 2020-21 में 19,882 हो गई। पिछले वर्षों की तुलना में वन्यजीव आबादी में 2018-19 में 38 प्रतिशत (7,660 की कमी) और 2020-21 में 64 प्रतिशत (7,778 की वृद्धि) का व्यापक उतार-चढ़ाव दर्शाता है कि विभाग ने वैज्ञानिक जनगणना तंत्र नहीं अपनाया था।

[कंडिका 2.4.3.2]

मध्य एशियाई फ्लाईवे के प्रवासी मार्ग पर एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, उधवा झील पक्षी अभयारण्य (अगस्त 1991 में अधिसूचित) का विकास, वर्ष भर झीलों में एक समान जल स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण न होने के कारण खतरे में पड़ गया था।

[कंडिका 2.4.3.3]

वर्ष 2000 से 2005 के बीच पीटीआर में 34 से 46 बाघ थे जो लगातार कम होते गए और 2022 में केवल एक बाघ पाया गया। इसी प्रकार, पीटीआर में अनुमानित शिकार आधार 2012-13 में 85,666 से घटकर 2022-23 में 4,411 हो गया, जो बाघों की संख्या में कमी के पीछे प्रमुख कारणों में से एक था। इस प्रकार, पीटीआर में बाघों की आबादी विलुप्त होने के कगार पर है।

कोर/क्रिटिकल क्षेत्र के अंदर स्थित आठ गांवों में से छः के लिए स्वैच्छिक पुनर्वास प्रस्ताव, जो पीटीआर पर अलग-अलग स्तर का जैविक दबाव डाल रहे हैं, सितंबर 2023 तक भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

MSTRiPES (बाघों के लिए निगरानी प्रणाली: गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति), अक्टूबर 2020 से पीटीआर द्वारा संचालित एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रणाली, पीटीआर के बेहतर प्रबंधन के लिए इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि डेटाबेस में बाघों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने, जल संसाधनों, पशु मृत्यु दर, मानव प्रभाव और अपराधों की स्थिति, मांसाहारी और बड़े खुर वाले जानवरों के उपलब्धता, संरक्षित क्षेत्र पर मानवजनित प्रभावों, जंगली जानवरों के हमलों और फसल/संपत्ति के नुकसान इत्यादि का विश्लेषण करने के लिए स्थल की तस्वीरों से संबंधित आंकड़े संधारित नहीं थे।

[कंडिका 2.4.3.4]

जंगली जानवरों के लिए बचाव एवं पुनर्वास केंद्र-सह-बाड़े 12 संरक्षित क्षेत्रों में से केवल चार में ही मौजूद थे। इसके अलावा, प्रयोगशालाओं की अनुपस्थिति और पशु चिकित्सकों की स्थायी तैनाती न होने के कारण इन केंद्रों में उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं नहीं थीं।

[कंडिका 2.4.4.1]

पर्यावरण अनुकूल पर्यटन अवसंरचना के विकास तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना, 10 संरक्षित क्षेत्रों में तैयार नहीं की गई, जिनमें 145.39 वर्ग किलोमीटर का पारिस्थितिकी-पर्यटन क्षेत्र चिन्हित किया गया था। छः संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन को संरक्षित क्षेत्रों की वहन क्षमता, यात्रा के विशिष्ट स्थानों, यात्रा मार्गों और यात्रा के साधनों के संबंध में किसी भी अभिलेख/दस्तावेज के बिना ही लागू किया जा रहा था।

[कंडिका 2.4.6.1]

वन्यजीवों और जैव-विविधता की रक्षा करने तथा गांवों में पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए, संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के 1,412 गांवों में से केवल 571 (40 प्रतिशत) में ही पारिस्थितिकी विकास समिति (ईडीसी) का गठन किया गया था। 571 ई.डी.सी. में से, 429 ई.डी.सी. ने 2016-20 के दौरान सूक्ष्म-योजनाएँ तैयार कीं, जिनमें से जुलाई 2023 तक 299 योजनाओं को संबंधित वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया।

[कंडिका 2.4.7.1 एवं 2.4.7.2]

विभाग 2021-22 से वार्षिक लक्ष्य और आउटपुट/परिणाम संकेतक दिखाकर परिणाम बजट तैयार कर रहा है।वनरोपण एवं मृदा संरक्षण, वन अग्नि प्रबंधन और सीमाओं के सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। हालांकि, अन्य

योजनाओं जैसे वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण, पारिस्थितिकी-पर्यटन, हाथी परियोजना, ब्याघ्र परियोजना, प्रशिक्षण, प्रचार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन आदि के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, इन योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रस्तावित परिणामों के आधार पर नहीं किया जा सका, जिससे सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 15 की उपलब्धि सुनिश्चित हो सके, जो "भूमि पर जीवन" से संबंधित है।

[कंडिका 2.5.1]

प्रबंधन योजना संबंधी मार्गदर्शिका में सभी प्रबंधन गतिविधियों, समस्याओं, उनके परिमाण और घटनाओं के विवरण को अभिलेखित करने के लिए नियंत्रण प्रपत्र बनाए रखने की परिकल्पना की गई है।प्रबंधन गतिविधियों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र (पीए) बुक और रेंज बुक बनाए रखी जानी चाहिए। पर्यावास प्रवृत्तियों, प्राकृतिक और मानव प्रेरित प्रभावों और प्रबंधन की दक्षता के मूल्यांकन के लिए कम्पार्टमेंट हिस्ट्री भी प्रतिवर्ष तैयार किया जाना है।किसी भी संरक्षित क्षेत्र ने संरक्षित क्षेत्रों की गतिविधियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी के लिए इन आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया।

[कंडिका 2.5.3]

प्रबंधन योजनाएं पुराने शोध आंकड़े और जानकारी के आधार पर तैयार की गईं। यद्यपि प्रबंधन योजना ने महत्वपूर्ण विषयों पर मानक ज्ञान में सुधार के लिए अनुसंधान आधार को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन न तो अनुसंधान अधिकारी किसी भी संरक्षित क्षेत्र में नियोजित थे और न ही 2018-23 के दौरान कोई शोध गतिविधि शुरू की गई थी।

[कंडिका 2.5.4]

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अतिरिक्त निधि प्रदान करने में विभाग की असमर्थता और निर्धारित समय के भीतर भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु, कार्यपालक अभियंता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप, ₹ 19.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

[कंडिका 3.1.1]

दामोदर और गवई नदियों पर दो पुलों के निर्माण पर हुए ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इसे उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि पहुँच पथों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था।

[कंडिका 3.1.2]

बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखण्ड में एक मॉल के लिए निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.09 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

[कंडिका 3.1.3]

वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.77 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

[कंडिका 3.1.4]

जनवरी और जून 2014 के बीच ₹ 3.67 करोड़ की लागत से निर्मित 16 शीतागार और छंटाई श्रेणीकरण सुविधाओं को चालू नहीं किया गया, जिससे व्यय निष्फल रहा।

[कंडिका 3.1.5]

पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखण्ड में 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के निर्माण पर ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि इसके निर्माण के तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी अस्पताल का संचालन नहीं हुआ।

[कंडिका 3.1.6]

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

2.1 झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड राज्य का क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 25,118 वर्ग किलोमीटर का अभिलेखित वन क्षेत्र (आर.एफ.ए) और 23,721 वर्ग किलोमीटर का कुल वन आवरण (टीएफसी) शामिल है। झारखण्ड में 11 वन्यजीव आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान का एक नेटवर्क है, जिन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, यहाँ एक बाघ अभ्यारण्य (पलामू बाघ अभ्यारण्य) और एक हाथी अभ्यारण्य (सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य) भी है।

सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए "झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों के संरक्षण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, ताकि नियोजन और वित्त पोषण की पर्याप्तता, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों और आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र की प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और सिफारिशें नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

मार्च 2024 तक, राज्य सरकार ने 12 में से 11 संरक्षित क्षेत्रों में व्यक्तियों या समुदायों के अधिकारों का पूर्णतः निपटान नहीं किया था। लगभग 67 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों को संरक्षित वन घोषित किया गया था, जहाँ स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों के अधिकारों को बिना वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराए निलंबित कर दिया गया था, जिससे जैविक दबाव, वन क्षरण और वन्यजीवों के लिए चारे की कमी हो रही थी। संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजनाएँ (प्रबंधन योजना) नियमित रूप से तैयार या अद्यतन नहीं किए गए, और सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण जैसी आवश्यक गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गईं। हाथी अभ्यारण्य के लिए कोई व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी, तथा अधिसूचित कोर क्षेत्र के लिए कोई गंभीर प्रबंधन योजना नहीं थी। सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले घोषित नौ पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान दो वर्ष की निर्धारित अवधि के अंदर तैयार नहीं किए गए थे।

वित्तीय और प्रशासनिक कुप्रबंधन ने इन मुद्दों को और भी गंभीर बना दिया। 2018-23 के दौरान ₹ 41.22 करोड़ (उपलब्ध निधि का 10 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे। पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन ने अनुज्ञेय तीन के बजाय आठ बैंक खाते संचालित किये तथा रोकड़ पंजी भी संधारित नहीं की। संरक्षित क्षेत्रों में बाहरी गतिविधियों और अतिक्रमण को रोकने के लिए डिजिटल डेटा का उपयोग करके सीमा समेकन का कार्य

आरंभ नहीं किया गया। कुशल कार्मिकों, वाहनों और संचार प्रणालियों सहित पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण गश्त में बाधा उत्पन्न हुई। दो संरक्षित क्षेत्र में निगरानी टावरों का अभाव था, जबकि मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में गश्त के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। कर्मचारियों की कमी बहुत गंभीर थी, केवल 182 अग्रिम पंक्ति कर्मचारी (स्वीकृत क्षमता का 51 प्रतिशत) ही संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन कर रहे थे, जिनमें से अनेक के पास वन्यजीव प्रबंधन का प्रशिक्षण भी नहीं था।

वन्यजीव अपराधों के लिए अभियोजन प्रतिवेदन नौ से 68 महीने की देरी से अदालतों में प्रस्तुत की गईं, तथा अपराध-प्रवृत क्षेत्र मानचित्रण या आदतन अपराधियों की फाइलों के अभाव के कारण प्रवर्तन प्रभावित हुआ। आधे से अधिक संरक्षित क्षेत्रों के अत्यधिक या अधिक अग्नि प्रवण होने के बावजूद, वहां कोई वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजना, अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन या अग्निशमन दस्तों के लिए प्रशिक्षण नहीं था। पर्यावास की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है, 2017 और 2021 के बीच वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में 2.60 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि अनावृत क्षेत्रों और निर्मित क्षेत्रों में क्रमशः 13.51 प्रतिशत और 22.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वन्यजीव जनसंख्या की निगरानी असंगत थी, तथा इसमें महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव था, जो वैज्ञानिक जनगणना तंत्र के अभाव को दर्शाता है। पलामू बाघ अभ्यारण्य (पीटीआर) में बाघों की संख्या 34-46 (2000-2005) से घटकर 2022 में केवल एक रह गई, जबकि MSTrIPES निगरानी प्रणाली का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था।

यद्यपि तीन संरक्षित क्षेत्रों (दलमा, पालकोट और पीटीआर) में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर मुद्दा था, फिर भी कोई क्षेत्र या प्रजाति-विशिष्ट अध्ययन या शमन रणनीति विकसित नहीं की गई थी। पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावना की पहचान वाले 10 संरक्षित क्षेत्र, बिना परिभाषित वहन क्षमता, यात्रा मार्ग एवं यात्रा के साधन के साथ अदस्तावेजित एवं अव्यवस्थित रहे। संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के केवल 40 प्रतिशत गांवों में ही पारिस्थितिकी विकास समितियां (ईडीसी) कार्यरत थीं, तथा 429 प्रस्तुत सूक्ष्म योजनाओं में से 130 को मंजूरी नहीं दी गई, जिसके कारण विकासात्मक गतिविधियां क्रियान्वित नहीं हो सकीं और संरक्षित क्षेत्रों पर स्थानीय निर्भरता अनियंत्रित हो गई। बचाव और पुनर्वास केंद्रों में पशु चिकित्सा देखभाल की कमी थी, और बचाए गए जानवरों को तुरंत जंगल में वापस नहीं छोड़ा जाता था। पशुधन का टीकाकरण अनियमित था, और विभागों ने पशुधन या प्रतिरक्षित जानवरों के आंकड़े संकलित नहीं किये।

संरक्षित क्षेत्रों के एकसमान और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियां 2018 और 2023 के बीच पूरी तरह से अनुपस्थित रहीं, और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के साथ संरेखित करने के लिए कोई राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार नहीं की गई। सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 15, जो "भूमि पर जीवन" से संबंधित है, को प्राप्त करने के वार्षिक लक्ष्य प्रत्येक योजना के लिए परिभाषित

नहीं किए गए, जिससे प्रगति अनिश्चित रह गई। किसी भी संरक्षित क्षेत्र ने संरक्षित क्षेत्रों की गतिविधियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रपत्र, संरक्षित क्षेत्र पुस्तकें, रेंज बुक या कम्पार्टमेंट हिस्ट्री जैसे आवश्यक अभिलेख नहीं रखे। ये कमियां संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियां को रेखांकित करती हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण और इन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों की आजीविका दोनों को खतरा पैदा होता है।

अनुशंसाएँ:

1. विभाग संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना को सुगम बनाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है।

2. विभाग प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण गतिविधियों हेतु स्थल-विशिष्ट योजनाओं की तैयारी तथा अनुमोदित प्रबंधन योजना की शेष योजना अवधि के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण के उपरांत इसे सुनिश्चित कर सकता है।

3. विभाग हाथी अभ्यारण्य के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाथियों के प्राकृतिक आवास और प्रवासी मार्ग बहाल हो जाएं तथा मानव-हाथी संघर्ष न्यूनतम हो जाएं।

4. विभाग, संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, ईएसजेड में प्रतिबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सभी ईएसजेड के लिए जेडएमपी तैयार कर सकता है।

5. विभाग पीटीसीएफ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है तथा डीएफओ को दिए गए अग्रिम की वसूली कर सकता है।

6. विभाग डीजीपीएस सर्वेक्षण के साथ सीमा स्तंभों के निर्माण के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकता है।

7. विभाग पर्याप्त वाहनों, संचार उपकरणों और सुरक्षा गियर के साथ संरक्षित क्षेत्रों की गश्त के लिए कुशल कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर सकता है।

8. विभाग प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और विशेषज्ञ अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें आरंभिक और विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

9. विभाग वन अपराधों की जांच और समयबद्ध तरीके से न्यायालय में पी.आर. प्रस्तुत करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है।

10. विभाग को आग से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजना और पुनर्स्थापन योजना का तैयारी/निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल आयोजन करना और दस्तों के लिए पर्याप्त अग्नि किट, संचार उपकरण और फायर ब्लोअर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित कर सकता है।

11. विभाग संरक्षित क्षेत्रों में वन/वृक्ष आवरण में कमी के कारणों का पता लगाने तथा उपयुक्त शमन उपायों का सुझाव देने के लिए वन योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करने पर विचार कर सकता है। संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक जनगणना पद्धति अपनाई जा सकती है तथा उचित संरक्षण योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं।

12. विभाग बाघों के लिए एक प्रभावी संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कोर क्षेत्र में स्थित गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। MSTrIPES एप्लीकेशन का उपयोग आवास की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और शिकारी और शिकार आबादी की बहाली में सहायता के लिए आवश्यक आंकड़ा एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है।

13. विभाग बचाव केंद्रों से उपचारित पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की व्यवस्था कर सकता है। यह संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण सुनिश्चित कर सकता है और उसका दस्तावेजीकरण भी कर सकता है।

14. विभाग संरक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं मानव सेवा की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है तथा उपयुक्त शमन उपाय अपना सकता है।

15. विभाग प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए विशिष्ट पारिस्थितिकी पर्यटन योजना तैयार कर सकता है, जिसमें उसकी वहन क्षमता, यात्रा मार्ग, यात्रा के साधन, प्रवेश शुल्क आदि का विवरण दिया जाएगा। पारिस्थितिकी पर्यटन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए स्थानीय समुदाय का कौशल विकास और जागरूकता सृजन सुनिश्चित किया जा सकता है।

16. विभाग को संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव वाले सभी गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित करना चाहिए। गांवों में विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

17. विभाग संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक योजना के लिए बजट में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। राज्य में सतत् विकास लक्ष्य 15 की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित परिणामों की प्रगति की निगरानी की जा सकती है।

18. विभाग को निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र पुस्तकों, रेंज बुक और नियंत्रण प्रपत्रों का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अनुसंधान गतिविधि शुरू करने और एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए एक राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

2.1.1 परिचय

झारखण्ड राज्य का क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति प्रतिवेदन (आईएसएफआर), 2021 के अनुसार, झारखण्ड में दर्ज वन क्षेत्र[1] (आरएफए) 25,118 वर्ग किमी और कुल वन आवरण[2] (टीएफसी) 23,721 वर्ग किमी है। राज्य की स्थिति, 31.51 प्रतिशत आरएफए तथा 29.76 प्रतिशत टीएफसी के साथ, राष्ट्रीय औसत क्रमशः 23.58 तथा 21.71 प्रतिशत की तुलना में बेहतर है।

भारत सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया था। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम राज्य सरकार को पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जंतु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव या उसके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार या विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव आश्रयणी घोषित करने का अधिकार देता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में 2006 में संशोधन किया गया और एक नया अध्याय "राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण" शामिल किया गया, जिसके तहत राज्य सरकारों को ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा, इन बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार करने का भी आदेश दिया गया।

झारखण्ड में 11 वन्यजीव आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान का नेटवर्क है, जिन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। झारखण्ड में संरक्षित क्षेत्रों का विवरण **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: मार्च 2023 तक संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना और क्षेत्र का विवरण

क्रम सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	अधिसूचना की तिथि	संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग किमी में.
1	हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी	24 मई 1976	186.25
2	गौतम बुद्ध वन्यजीव आश्रयणी	14 सितम्बर 1976	121.14
3	तोपचांची वन्यजीव आश्रयणी	03 जून 1978	12.82
4	लॉवालॉन्ग वन्यजीव आश्रयणी	07 अगस्त 1978	211.03
5	पारसनाथ वन्यजीव आश्रयणी	21अगस्त 1984	49.33
6	कोडरमा वन्यजीव आश्रयणी	25 जनवरी1985	150.62

[1] सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्र।

[2] एक हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली सभी ज़मीनें, जिनमें पेड़ों की कैनोपी का घनत्व 10 प्रतिशत से ज़्यादा हो, चाहे उनका स्वामित्व और कानूनी दर्जा कुछ भी हो। ऐसी ज़मीनें ज़रूरी नहीं कि वे दर्ज वन क्षेत्र हों।

क्रम सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	अधिसूचना की तिथि	संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग किमी में.
7	उधवा झील पक्षी आश्रयणी	17 अगस्त 1991	5.65
8	दलमा वन्यजीव आश्रयणी	17 जुलाई1976	193.22
9	पलामू वन्यजीव आश्रयणी	14 जुलाई1976	979.27
10	बेतला राष्ट्रीय उद्यान [3]	10 सितम्बर 1989	
11	महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी	23 जून 1976	63.25
12	पालकोट वन्यजीव आश्रयणी	22 मार्च 1990	183.18
कुल:			**2,155.76**

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य में एक बाघ अभयारण्य भी है, जिसका नाम पलामू बाघ अभयारण्य है[4] जिसका क्षेत्रफल 1,129.93 वर्ग किलोमीटर है और एक हाथी अभयारण्य, जिसका नाम सिंहभूम हाथी अभयारण्य[5] है, जो 4,529.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

वन्यजीव जनगणना के अनुसार झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में जंगली जानवरों की कुल संख्या 2017-18 में 20,028 से घटकर 2020-21 में 19,882 रह गई है। ऐसे में वन्यजीवों, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

2.1.2 संरक्षित क्षेत्र में गतिविधियों के विनियमन के लिए प्राधिकरण

संरक्षित क्षेत्रों में गतिविधियों का विनियमन वन संरक्षण अधिनियम, 1972 द्वारा नियंत्रित होता है, तथा इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा संपूरित किया जाता है। इन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में निम्नलिखित प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड: यह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5A के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गठित एक वैधानिक बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, संरक्षित क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रतिबंध से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करना भी शामिल है।

---

[3] इस राष्ट्रीय उद्यान को पलामू वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत 226.32 वर्ग किमी क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था।

[4] पीटीआर को 16 अगस्त 1974 को अधिसूचित किया गया था। बाद में पीटीआर के क्षेत्र में पलामू वन्य जीव आश्रयणी को अधिसूचित किया गया (14 जुलाई 1976)।

[5] दलमा वन्य जीव आश्रयणी को 17 जुलाई 1976 को अधिसूचित किया गया था। बाद में दलमा वन्य जीव आश्रयणी के क्षेत्र को शामिल करते हुए सिंहभूम हाथी अभयारण्य को सितंबर 2001 में अधिसूचित किया गया था।

राज्य वन्यजीव बोर्ड: राज्यों में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित समितियां, संबंधित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड का कर्तव्य संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकार को सलाह देना, संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ आदिवासियों और अन्य वनवासियों की आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में नीति तैयार करना आदि है।

2.1.3 संगठनात्मक व्यवस्था

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (विभाग) राज्य में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख (पीसीसीएफ, एचओएफएफ) विभाग के कार्यकारी प्रमुख हैं। पीसीसीएफ (वन्यजीव) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) है। क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ)/वन संरक्षक (सीएफ)/क्षेत्र निदेशक (एफडी) तथा प्रभागीय स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी (डीएफओ)/उप निदेशक (डीडी) संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दर्शाया गया है:

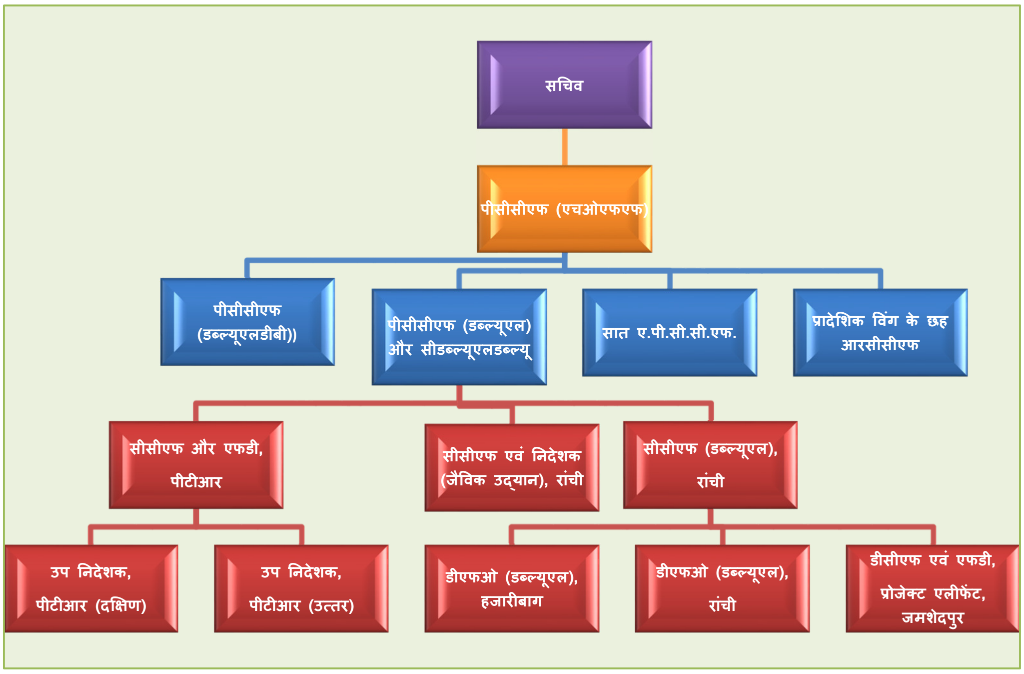

राज्य में तीन वन्यजीव प्रमंडल हैं जिन्हें प्रक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनका नेतृत्व वन प्रक्षेत्र अधिकारी करते हैं। एक रेंज को बीट में विभाजित किया जाता है, जिसका नेतृत्व वनपाल करते हैं; तथा बीट को उप-बीट में विभाजित किया जाता है, जिसका नेतृत्व वनरक्षी करते हैं। उप-बीट विभाग की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई है।

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए योजना पर्याप्त थी
- वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी और उपलब्ध धनराशि का किफायती, प्रभावी और कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया
- वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम/उपाय योजना एवं संबंधित नियमों के अनुरूप थे तथा कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए थे; तथा
- वन्यजीव प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद और प्रभावी था।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

राज्य के सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों का निष्पादन लेखापरीक्षा, 2018-19 से 2022-2023 तक की अवधि को शामिल करते हुए, जुलाई 2023 और अक्टूबर 2023 के बीच आयोजित किया गया था। विभाग, मुख्यालय स्तर पर पीसीसीएफ (वन्यजीव), एपीसीसीएफ (विकास) और एपीसीसीएफ (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), दो[6] मुख्य वन संरक्षक, पांच [7] वन्यजीव प्रमंडलों और दो [8] प्रादेशिक प्रमंडलों के अधिकार क्षेत्र वाले संरक्षित क्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा प्रश्नों/प्रश्नावली पर विभाग के उत्तरों के विश्लेषण और अभिलेखों की जांच के माध्यम से आकंड़ो को एकत्र किया गया। लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्र भ्रमण भी किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (जून 2023) आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, दायरे और मानदंडों को बताया गया। प्रधान सचिव के साथ निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा की गई। निकास सम्मेलन में विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रिय अधिकारियों को संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करने

---

6 सीसीएफ एवं एफडी (पलामू बाघ अभयारण्य), मेदिनीनगर और सीसीएफ (वन्यजीव), रांची।

7 वन्यजीव प्रमंडल, रांची और हजारीबाग; उत्तर और दक्षिण प्रमंडल, पलामू बाघ अभयारण्य, मेदिनीनगर और गज परियोजना, जमशेदपुर।

8 उधवा झील पक्षी आश्रयणी, वन प्रमण्डल, साहिबगंज के क्षेत्राधिकार में है और सिंहभूम गज आश्रयणी, वन प्रमण्डल, जमशेदपुर, के क्षेत्राधिकार में आता है।

के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तृत उत्तर भी प्रस्तुत किए (अगस्त 2024) जिन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित हैं:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 और 2017-2031
- राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देश
- संरक्षित क्षेत्रों की कार्य योजनाएं/प्रबंधन योजनाएं और ब्याघ्र संरक्षण योजना
- गज परियोजना का दिशानिर्देश (नवंबर 2013)
- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित दिशा-निर्देश और अधिसूचनाएं
- भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा जारी योजना संबंधी दिशा-निर्देश और अन्य आदेश, निर्देश, कार्य योजनाएं, रणनीतियां
- भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी दिशा-निर्देश/अनुसंधान/अध्ययन प्रतिवेदन
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- झारखण्ड वित्तीय नियम, और
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) से संबंधित दिशानिर्देश।

2.1.7 संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई)

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्युआईआई), भारत सरकार, समय-समय पर विभिन्न मापदंडों जैसे प्रबंधन प्रथाओं, संरक्षण उपायों, पर्यावास बहाली, विविधता सूचकांक, बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता, कर्मचारियों और वित्तीय संसाधनों और स्थानीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर देश भर में संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करता है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2006 से 2022 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए राज्य के सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की थी **(परिशिष्ट 2.1)**। डब्ल्युआईआई की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) प्रतिवेदन के अनुसार,

12 संरक्षित क्षेत्रों में से चार [9] को 'अच्छी'श्रेणी में और छः [10] को 'उचित' श्रेणी में रखा गया है, जबकि पीटीआर (जिसमें दो संरक्षित क्षेत्र अर्थात पलामू वन्य जीव आश्रयणी और बेतला राष्ट्रीय उद्यान हैं) की रेटिंग 2006 में 'बहुत अच्छी' से घटकर 2022 में 'अच्छी' हो गई है। एमईई प्रतिवेदनों में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में प्रबंधन की शक्तियों और कमजोरियों तथा कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार के लिए एम.ई.ई. प्रतिवेदनों के कार्रवाई योग्य बिंदुओं के प्रति सुधारात्मक उपाय नहीं किए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में विस्तृत रूप से बताया गया है तथा प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अधिनियमन ने संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। वन्यजीव संरक्षण के प्रति देश के दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध जैव विविधता के ह्रास के बारे में बढ़ती चिंता के मद्देनजर, पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को 1983 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और 2002 (एनडब्ल्यूएपी-2) और 2017 (एनडब्ल्यूएपी-3) में संशोधित किया गया। एनडब्ल्यूएपी-2 ने राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) द्वारा प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने की सिफारिश की, ताकि पर्यावास संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की जा सके।

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन में देखी गई कमियों/त्रुटियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 योजना

2.2.1 अंतिम अधिसूचना जारी न करना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 18(1), 19, 25ए और 26ए के अनुसार, राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा, वन्यजीव या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल (1991 में सम्मिलित) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को आश्रयणी के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा करने का अधिकार दिया गया था। किसी क्षेत्र को आश्रयणी घोषित किए जाने के बाद, आश्रयणी की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की सीमा की जांच और निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना था। दावा प्रस्तुत करने की अवधि बीत जाने के बाद, तथा आश्रयणी घोषित किए जाने वाले क्षेत्र में

[9] दलमा, महुआडांड़, पालकोट और उधवा झील पक्षी आश्रयणी।

[10] गौतम बुद्ध, हज़ारीबाग़, कोडरमा, लावालौंग, पारसनाथ और तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी।

किसी भूमि के संबंध में किए गए सभी दावों, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाने के बाद, राज्य सरकार को आश्रयणी के क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करनी थी। धारा 18 ए (2) में आगे यह भी परिकल्पना की गई है कि जब तक प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार, सरकारी अभिलेखों के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के अनुसार ईंधन, चारा और अन्य वनोपज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम अधिनियम की धारा 35 के तहत घोषित राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में भी इसी प्रकार के प्रावधान लागू हैं।

इसके अलावा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अनुसार, राज्य सरकार को किसी भी वन-भूमि या बंजर-भूमि को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसी कोई अधिसूचना तब तक निर्गत नहीं की जानी थी जब तक कि ऐसी वन-भूमि या बंजर-भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकृति और सीमा की जांच न कर ली गई हो और सर्वेक्षण या बंदोबस्त के माध्यम से या ऐसे अन्य तरीके से जिसे राज्य सरकार पर्याप्त समझे, उसे दर्ज न कर लिया गया हो। राज्य सरकार को ऐसी जांच और रिकॉर्ड लंबित रहने तक, बिना किसी व्यक्ति या समुदाय के मौजूदा अधिकारों को कम किए या प्रभावित किए ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित करना था। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-3 (2017-31) में भी समयबद्ध तरीके से संरक्षित वनों की अंतिम अधिसूचना की सुविधा के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का सुझाव दिया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को होनेवाली परेशानियों से बचाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने मई 1976 और अगस्त 1991 के बीच झारखण्ड में 12 संरक्षित क्षेत्रों (11 वन्य जीव आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान) अधिसूचित किए थे। हालाँकि, केवल बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए अंतिम अधिसूचना जनवरी 1996 में निर्गत की गई थी और 11 वन्य जीव आश्रयणी की अंतिम अधिसूचनाएं उनकी अधिसूचना की तारीख से 32 से 47 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, मार्च 2024 तक जारी नहीं की गई थीं।

इसके अलावा यह भी देखा गया कि 11 में से 9[11] वन्य जीव आश्रयणीयों में कुल अभ्यारण्य क्षेत्र (2,155.76 वर्ग किमी.) का लगभग 67 प्रतिशत (1,434.23 वर्ग किमी.) संरक्षित वन है, जहां व्यक्तियों या समुदायों के अधिकारों का अभी तक निपटान नहीं हुआ है (मार्च 2024 तक)। अधिकारों का निपटान न होने से वन्य जीव आश्रयणी के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

[11] दलमा: 147.64 वर्ग किमी., गौतम बुद्ध: 121.14 वर्ग किमी., हजारीबाग: 186.25 वर्ग किमी., लावालौंग: 211.03 वर्ग किमी., महुआडांड़: 63.25 वर्ग किमी., पालकोट: 183.18 वर्ग किमी., पारसनाथ: 49.33 वर्ग किमी., पलामू: 471.72 वर्ग किमी. और तोपचांची: 0.69 वर्ग किमी. कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य और उधवा झील पक्षी आश्रयणी आरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं।

- महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2016-17 से 2025-26) के अनुसार आश्रयणी के लगभग सभी वन क्षेत्र संरक्षित वन हैं और उन पर अधिकारों का बोझ है। जून 1976 में (धारा 18 के अंतर्गत) घोषणा के समय व्यक्तियों के अधिकार निलंबित[12] कर दिए गए थे, लेकिन उनका कभी निपटारा नहीं हुआ। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों/समुदायों को उनके अधिकारों के बदले में वैकल्पिक संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए, जिसके परिणामस्वरूप आश्रयणी को अभी भी जैविक दबाव से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मवेशियों का चरना, पेड़ों की कटाई, जलाऊ लकड़ी का संग्रहण, स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए लघु वनोपज और औषधीय पौधों का संग्रहण।
- पालकोट वन्य जीव आश्रयणी क्षेत्र के प्रबंधन योजना (2020-21 से 2029-30) के अनुसार आश्रयणी का अधिकांश क्षेत्र अधिकारों के बोझ तले दबा हुआ था और मार्च 1990 में आश्रयणी क्षेत्र के रूप में घोषित होने के बाद से ही अप्रभावित बना हुआ था, जिससे क्षीण और बिखरे वन की बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही थी। भूमि उपयोग भूमि आवरण (LULC) डेटा से यह भी पता चला है कि 2017 की स्थिति की तुलना में 2021 में आश्रयणी में फसल क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र में क्रमशः 22.10 वर्ग किमी (8.43 प्रतिशत) और 9.03 वर्ग किमी (39.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है (फसल क्षेत्र: 262.10 वर्ग किमी और निर्माण क्षेत्र: 22.58 वर्ग किमी)।
- हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-21 से 2029-30) ने आश्रयणी क्षेत्र में मवेशियों के चरने के अधिकार को एक बड़े खतरे के रूप में स्वीकार किया, जिससे वन्यजीवों (शाकाहारी) के लिए उपलब्ध चारा स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। प्रबंधन योजना ने मवेशियों के चरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने के साथ चराई के अधिकारों का समाधान करने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, इसे लागू नहीं किया गया था और न ही सुधारात्मक उपाय किए गए थे (मार्च 2024 तक), यद्यपि मई 1976 में संरक्षित क्षेत्र को वन्य जीव आश्रयणी घोषित किया गया था।
- दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-21 से 2029-30) के अनुसार जुलाई 1976 में वन्य जीव आश्रयणी के रूप में घोषणा के बाद से जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक जाँच-प्रक्रिया और अधिकारों के निपटान की औपचारिकता नहीं निभाई गई थी। इसके कारण आश्रयणी के आसपास के क्षेत्रों में वनों का क्षरण, लघु वनोपजों का निष्कासन, घरेलू उपयोग के लिए वृक्षों की

[12] धारा 18 ए (1) के अनुसार, जब किसी क्षेत्र को धारा 18 (1) के तहत अभयारण्य घोषित किया जाता है, तो धारा 27 से 33 ए के प्रावधान यानी अभयारण्य में प्रतिबंधित प्रवेश, अभयारण्य में विनाश का निषेध, अभयारण्य का नियंत्रण और प्रबंधन, अभयारण्य में चराई का निषेध आदि तुरंत प्रभावी होंगे।

अवैध कटाई, पशुओं की चराई तथा आश्रयणी की भूमि पर अतिक्रमण हुआ। एलयूएलसी डेटा ने 2017 की स्थिति (निर्मित क्षेत्र: 23.18 वर्ग किमी और पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र: 239.90 वर्ग किमी) की तुलना में 2021 में संरक्षित क्षेत्र के भीतर निर्मित क्षेत्र में 3.71 वर्ग किमी की वृद्धि और पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र में 6.61 वर्ग किमी की कमी दिखाई।

- उधवा झील पक्षी आश्रयणी के प्रबंधन योजना(2021-22 से 2030-31) ने संकेत दिया कि निजी भूस्वामियों ने आश्रयणी के परिदृश्य की टेढ़ी-मेढ़ी प्रकृति का लाभ उठाया और आश्रयणी के भीतर मौजूद बिखरे रैयती भूमि के बड़े हिस्से का खेती के लिए उपयोग किया। विभाग द्वारा अगस्त 1991 में इसे झील पक्षी आश्रयणी घोषित किये जाने के बाद से आश्रयणी में रैयती भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था, जो इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक था।

इस प्रकार, व्यक्तियों/समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा उनके अधिकारों के बदले में उन्हें वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव, अवक्रमित एवं खंडित वनों की पुनर्स्थापना न होना, शाकाहारी पशुओं के लिए चारे के संसाधनों का ह्रास तथा अपनाए गए संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों में अपर्याप्तता आई। इसके अतिरिक्त, इससे संरक्षित क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, अतिक्रमण और मवेशियों के चरने जैसे वन अपराध भी बढ़े, जैसा कि **कंडिका 2.4.1.4** में चर्चा की गई है।

विभाग ने जवाब में कहा (अगस्त 2024) कि कोडरमा वन्य जीव आश्रयणी, जिसमें अधिसूचित आरक्षित वन शामिल हैं, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 ए के तहत एक आश्रयणी माना जाता है। शेष 11 संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना की प्रक्रिया 1996 में शुरू हुई, जिसमें छः[13] आश्रयणीयों के लिए अधिकार पूरी तरह से तथा दो (दलमा और गौतम बुद्ध) के लिए आंशिक रूप से तय किये गये। उपायुक्तों के अनुरोध (सितंबर 1998 और फरवरी 1999) के बावजूद, बिहार राज्य के विभाजन के कारण अंतिम अधिसूचना में देरी हुई। इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने (फरवरी 2000) संरक्षित क्षेत्रों में सभी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यह प्रक्रिया रुक गई। मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव ने अब अधिसूचना प्रक्रिया (2023-24) पुनः शुरू की, तथा संबंधित अधिकारियों ने हजारीबाग, लावालौंग, पारसनाथ और दलमा वन्यजीव आश्रयणीयों की अंतिम अधिसूचना के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है।

छः संरक्षितों क्षेत्र में अधिकारों के निपटान के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि तीन संरक्षित क्षेत्रों (हजारीबाग, पालकोट और उधवा) के प्रबंधन योजना को अधिकारों के निपटान के 20 वर्षों से अधिक समय (वर्ष 2000 से पहले) के बाद

[13] हज़ारीबाग़, तोपचांची, लावालौंग, पारसनाथ, उधवा और पालकोट।

(मार्च 2020 और जनवरी 2022 के बीच) मंजूरी दी गई थी, जैसा कि विभाग ने दावा किया है। इससे रैयती भूमि के अधिग्रहण सहित सभी अधिकारों का निपटान न होने का संकेत मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप चारागाह क्षेत्र में कमी आई, क्षीण वनों की पुनर्स्थापना नहीं हुई तथा संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी संरक्षण एवं सुरक्षा का अभाव हुआ। लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (जनवरी 2022 में अनुमोदित) ने लघु वनोपज के संग्रहण के अधिकारों को पुनर्जीवित करने का भी सुझाव दिया क्योंकि ग्रामीणों ने इन वस्तुओं को अवैध रूप से एकत्र करना जारी रखा है। पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन योजना (मार्च 2020 में स्वीकृत) में अधिकारों के निपटान के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है, जबकि तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन योजना अभी तैयार नहीं किया गया है। इसके अलावा, पलामू वन्यजीव आश्रयणी और महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में अधिकारों के निपटान के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा 1: विभाग संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना को सुगम बनाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है।

2.2.2 प्रबंधन योजनाओं का अभाव

संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-16) और एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के पास वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी आंकड़ों के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए अपनी स्वयं की प्रबंधन योजना होनी चाहिए। प्रबंधन योजना विकास प्रकोष्ठ (एमपीडीसी) की स्थापना राज्य वन विभाग के मुख्यालय में की जानी थी, ताकि समय पर तैयारी और समीक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य प्रबंधन योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झारखण्ड राज्य के निर्माण (नवंबर 2000) के बाद, 2001-02 से पूरी अवधि को शामिल करते हुए 12 संरक्षित क्षेत्रों में से 11 के लिए प्रबंधन योजनाएं (प्रबंधन योजना) तैयार नहीं की गई थीं तथा मार्च 2023 तक अंतराल की अवधि दो (पीटीआर) और 19 (पारसनाथ) वर्षों के बीच थी **(परिशिष्ट 2.3)**। इसके अलावा, झारखण्ड के निर्माण के बाद तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी के लिए कोई भी प्रबंधन योजना तैयार नहीं की गयी थी। विभाग द्वारा प्रबंधन योजना एम.पी.डी.सी. भी स्थापित नहीं किया गया था (जुलाई 2023 तक) और इस प्रकार, प्रबंधन योजना की समय पर तैयारी और उनकी निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। प्रबंधन योजना तैयार न होने/विलंब से तैयार होने के कारण आश्रयणीयों का प्रबंधन प्रभावित हुआ, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- विभाग ने पांच [14] वन्य जीव आश्रयणीयों के प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए अनुभवी परामर्शदाता फर्मों/संस्थानों/संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी (नवंबर 2016)। हालाँकि, पीसीसीएफ, झारखण्ड के अनुमोदन से क्रय समिति [15] ने केवल तीन वन्य जीव आश्रयणीयों (हजारीबाग, पारसनाथ और दलमा) के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने की मंजूरी दी थी (जनवरी 2017)। यह निर्णय लिया गया कि शेष दो वन्य जीव आश्रयणीयों (उधवा और तोपचांची) के प्रबंधन योजना का क्षेत्र छोटा होने के कारण विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी की जाएगी।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वन्य जीव आश्रयणीयों (हजारीबाग, पारसनाथ और दलमा) के प्रबंधन योजना तैयार किए गए और पी.सी.सी.एफ. (डब्ल्यूएल) और सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. द्वारा अनुमोदित (मार्च 2020) किए गए। इसके अलावा, जबकि उधवा के लिए प्रबंधन योजना(2021-22 से 2030-31) को विभागीय रूप से तैयार किया गया और जनवरी 2022 में अनुमोदित किया गया, तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी के लिए प्रबंधन योजना मार्च 2024 तक तैयार नहीं किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एमईई प्रतिवेदन, 2018-19 में प्रभावी प्रबंधन के लिए तोपचांची और पारसनाथ वन्यजीव आश्रयणीयों को एक ही संरक्षित क्षेत्र में विलय करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि दोनों वन्यजीव आश्रयणी एक ही सन्निहित परिदृश्य का हिस्सा थे। हालाँकि, पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी के लिए प्रबंधन योजना की तैयारी के दौरान विभाग द्वारा इन वन्य जीव आश्रयणी के विलय पर विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन बिना किसी अनुमोदित प्रबंधन योजना के किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि प्रबंधन संबंधी कमियों के कारण, इन वन्य जीव आश्रयणीयों (पारसनाथ और तोपचांची) में खाली जमीन और निर्मित क्षेत्र में क्रमशः 0.42 वर्ग किमी और 0.27 वर्ग किमी की वृद्धि[16] हुई है, तथा वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में 2017 की तुलना में 2021 में 0.62 वर्ग किमी की कमी आई है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी में नौ वर्षों (2001-05 और 2015-20) तक कोई प्रबंधन योजना नहीं था, हालांकि वर्ष 2005-15 और 2020-30 के लिए प्रबंधन योजना मौजूद थे। यह इस तथ्य का द्योतक है कि आश्रयणी के निर्माण (मई 1976) के बाद से ही किसी योजना का पालन किए बिना इसे तदर्थ तरीके से प्रबंधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप

---

[14] दलमा, हज़ारीबाग़, पारसनाथ, तोपचांची और उधवा।

[15] अतिरिक्त पीसीसीएफ, विकास द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

[16] विभाग द्वारा तैयार पारसनाथ और तोपचांची WLS के संयुक्त LULC डेटा।

आश्रयणी के सुधार के लिए कदम उठाए[17] जाने के बावजूद वन्यजीव आवास का निरंतर क्षरण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा वन अपराधों में वृद्धि और आश्रयणी में वन्यजीव आबादी में कमी भी देखी गई, जैसा कि **कंडिकाएँ 2.4.1.4** और **2.4.3.2** में चर्चा की गई है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी की प्रबंधन योजना 2000-10 और 2020-30 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। हालाँकि, 2010-20 की अवधि के लिए प्रबंधन योजना तैयार नहीं किया गया था और इन वर्षों के दौरान संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन किसी प्रबंधन योजना के बिना ही किया गया था। प्रबंधन योजना(2020-30) से यह भी पता चला कि योजना अवधि यानी 2000-10 में भी प्रबंधन योजना प्रक्रिया का पालन एकदम भी नहीं किया गया था और विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र की उचित निगरानी और मूल्यांकन का अभाव था।

इस प्रकार, झारखण्ड में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना, अधिसूचित होने के बाद की पूरी अवधि के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एमपीडीसी की स्थापना न होने के कारण, प्रबंधन योजना की नियमित और समय पर तैयारी और इसकी निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जैसा कि परिकल्पित किया गया था। प्रबंधन योजना की अनुपस्थिति में संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन अनियोजित तरीके से किया गया, जिसके कारण वन्यजीव आवास का क्षरण हुआ, वन्यजीव आबादी में उल्लेखनीय कमी आई और वन अपराधों में वृद्धि हुई। इसके अलावा, प्रबंधन योजनाओं में शामिल गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में कमियां थीं, यहां तक कि उस अवधि के दौरान भी जिसके लिए प्रबंधन योजनाए उपलब्ध थे, जैसा कि **कंडिकाएँ 2.2.3** और **2.2.4** में चर्चा की गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2024) कि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की भारी रिक्तता के मद्देनजर सर्वेक्षण आंकड़ों के अभाव के कारण तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन योजना विभागीय रूप से तैयार नहीं किया जा सका। आगे बताया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से एनडब्ल्यूएपी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक प्रारूप प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था।

2.2.3 प्रबंधन योजनाओं में कमियाँ

संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने जल स्रोतों की कमी, वन्यजीव आवास और गलियारों का क्षरण, तथा संरक्षित क्षेत्रों में अवांछित खरपतवारों के फैलाव को प्रमुख खतरों के रूप में रेखांकित किया। तथापि, प्रबंधन योजना ने क्षेत्र विशेष के खतरों की

---

[17] अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण, निगरानी टावरों/चेक डैमों/जल स्त्रोतों का निर्माण, वनों में वृक्षारोपण, वनों की आग का प्रबंधन आदि।

पहचान नहीं की तथा इन खतरों को कम करने के लिए स्थल विशेष योजनाएं तैयार नहीं कीं, जैसा कि एनडब्ल्यूएपी तथा संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है। वन्यजीव प्रमंडलों ने संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां भी शुरू की थीं, जैसे कि चेक डैम/जल निकायों का निर्माण, मृदा संरक्षण कार्य तथा समूह वृक्षारोपण और खरपतवारों का उन्मूलन, बिना क्षेत्र विशेष योजनाएँ तैयार किए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

2.2.3.1 हज़ारीबाग़, दलमा और पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी

विभाग ने तीन वन्य जीव आश्रयणी [18] के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु ₹ 29.17 लाख की लागत से एक एजेंसी को नियुक्त किया था (जनवरी 2017)। एजेंसी को अनुमोदित प्रबंधन योजना के आधार पर, योजना अवधि के दौरान संरक्षित क्षेत्रों के सुधार के लिए की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार करनी थी। यद्यपि इन प्रबंधन योजना को पी.सी.सी.एफ. (डब्ल्यूएल) द्वारा अनुमोदित किया गया था (मार्च 2020), एजेंसी ने जुलाई 2023 तक गतिविधियों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं की थी। हालाँकि, मार्च 2020 तक एजेंसी को ₹ 29.17 लाख का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित प्रबंधन योजना में संरक्षित क्षेत्रों में इन खतरों को कम करने के लिए वन्य जीव आवास के स्थल-विशिष्ट विकास के लिए अवक्रमित क्षेत्रों, खरपतवार स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण और जल संसाधनों का आकलन करने का प्रावधान किया गया था। हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना ने कुछ ऐसे स्थलों की पहचान की और प्रमंडल ने 2018-23 के दौरान इन स्थलों पर जल निकायों का निर्माण, मृदा संरक्षण/वृक्षारोपण कार्य और खरपतवार उन्मूलन का कार्य किया।

हालांकि, अन्य दो संरक्षित क्षेत्रों (दलमा और पारसनाथ) में ऐसी कोई जगह चिन्हित नहीं की गई। इसके बावजूद, इन संरक्षित क्षेत्रों में संबंधित प्रमंडलों द्वारा जल स्रोतों[19] का मानचित्रण तथा स्थल विशेष की आवश्यकताओं का आकलन किए बिना ही 12.20 करोड़ रुपये की लागत से जल निकायों का निर्माण किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रबंधन योजना में उल्लेखित खतरों को कम करने में इन जल निकायों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकी।

इसके अलावा, एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-2016) में प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देने का प्रावधान है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों को गैर-स्थानिक पौधों की वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके, क्योंकि यह स्थानिक जंगली वनस्पतियों और जीवों की शाश्वतता

---

[18] दलमा: ₹ 11.79 लाख, हज़ारीबाग़: ₹ 11.36 लाख और पारसनाथ: ₹ 6.02 लाख।

[19] 1. दलमा वन्य जीव आश्रयणी: 69 चेक-डैम (₹ 8.45 करोड़), 16 तालाब (₹ 1.10 करोड़) और अन्य जल संरक्षण/संचयन संरचनाएं (₹ 2.48 करोड़); और 2. पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी: 02 चेक-डैम (₹ 17.00 लाख)

या वापसी सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। वृक्षारोपण के लिए, यह विदेशी प्रजातियों या मोनोकल्चर (एकल पौधे की प्रजाति की खेती) को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण के हित को नुकसान पहुंचाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने भी वनों के क्षरण वाले क्षेत्रों के पुनर्जनन का प्रस्ताव रखा, लेकिन पौधों की उपयुक्त वैकल्पिक प्रजातियों का सुझाव नहीं दिया। प्रमंडलों ने जलवायु परिस्थितियों, स्थलाकृति और वनस्पति एवं जीव-जंतुओं के संबंध में प्रजातियों की उपयुक्तता का आकलन किए बिना ही अवक्रमित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य शुरू कर दिया।

इस प्रकार, प्रमंडलों ने संरक्षित क्षेत्रों में जल की कमी, वनों के क्षरण और खरपतवार के संक्रमण के खतरों को कम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं का मूल्यांकन नहीं किया और बिना किसी सर्वेक्षण या संसाधन मानचित्रण के ही गतिविधियां शुरू कर दीं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा, प्रबंधन योजना में उल्लिखित संरक्षित क्षेत्र को होने वाले खतरों पर ऐसी शमनकारी गतिविधियों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकी।

विभाग ने जबाब में कहा (अगस्त 2024) कि सिल्वीकल्चर और अन्य वानिकी कार्यों के लिए क्षेत्र चयन को वन प्रक्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उपयुक्तता प्रतिवेदन और स्थल-विशिष्ट अनुमानों के आधार पर अनुमोदित किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वानिकी कार्यों के लिए स्थल-विशिष्ट योजनाएं, जो आवश्यकता को उचित ठहराती हों, प्रबंधन योजनाओं में निर्धारित के अनुसार पहले से तैयार नहीं की गई थीं। इसके अलावा, आरएफओ ने केवल वानिकी कार्यों के अनुमान प्रस्तुत किए थे, जिनमें स्थलों के नाम, क्षेत्र और निर्देशांक शामिल थे, लेकिन प्रस्तावित स्थलों के चयन का कोई औचित्य शामिल नहीं किया गया था।

2.2.3.2 वन्यजीव गलियारा प्रबंधन योजना

दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-30) के अनुसार आश्रयणी हाथियों का एक प्राकृतिक निवास स्थान है, और प्रवासी हाथी अपने आवागमन के दौरान सीमित अवधि के लिए वन्य जीव आश्रयणी में रहते हैं। पांच[20] हाथी गलियारे, दलमा वन्यजीव आश्रयणी को झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के अन्य वन क्षेत्रों से जोड़ते हैं।

इसके अलावा, तीन वन्यजीव आश्रयणीयों (कोडरमा, लावालौंग और गौतम बुद्ध) के प्रबंधन योजना ने लगभग 600 किलोमीटर के एक परस्पर जुड़े वन्यजीव गलियारे का वर्णन किया है जो संजय राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) को भीमबांध आश्रयणी (बिहार) से जोड़ता है। इस कॉरिडोर की पहचान (2019 में) एनटीसीए द्वारा ब्याघ्र

[20] वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित "द राइट ऑफ पैसेज" (2017) के अनुसार दलमा-चांडिल, दलमा-रुगाई, दलमा-आसनबारी, झुंझका-बंदुआन और दलापानी-कांकराझोर।

कॉरिडोर (गुरुघासी दास-पलामू-लावालोंग टाइगर कॉरिडोर) के रूप में भी की गई थी। पालकोट वन्यजीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना ने 200.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले चार[21] गलियारों और दो[22] अंतर-संयोजी मार्गों की भी पहचान की, जिनका उपयोग हाथियों द्वारा हर साल नवंबर से मार्च के बीच सिंहभूम हाथी अभयारण्य के सारंडा जंगल से छत्तीसगढ़ की ओर जाने के लिए किया जाता था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन वन्य जीव आश्रयणीयों की प्रबंधन योजना में कोई गलियारा प्रबंधन योजना शामिल नहीं की गई थी और न ही संबंधित प्रमंडलों ने 2018-23 के दौरान पहचाने गए गलियारों के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव दिया था। प्रमंडलों ने विशेष रूप से वन्यजीव गलियारों में की गई गतिविधियों का अभिलेख भी नहीं रखा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या वन्यजीव गलियारों में वन्यजीवों को जीवित रखने के लिए प्राकृतिक खाद्य स्रोतों और जल निकायों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित गतिविधियां की गई थीं।

इस प्रकार, विभाग ने वन्यजीव गलियारों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मानव-पशु संघर्ष और जान-माल की क्षति हुई, जैसा कि **कंडिका 2.4.5.1** में चर्चा की गई है।

विभाग ने उतर में कहा (अगस्त 2024) कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी हाथी अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र का हिस्सा है और आश्रयणी में गतिविधियां इसके प्रबंधन योजना के अनुसार की जाती हैं। अभयारण्य के बाहर स्थित हाथी गलियारों के लिए कार्ययोजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। ब्याघ्र गलियारे के संबंध में बताया गया कि पलामू बाघ अभयारण्य (पीटीआर) और हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी के बीच लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी से होकर जाने वाला गलियारा अधिकांशतः निरंतर है। आगे कहा गया कि गौतम बुद्ध और कोडरमा वन्य जीव आश्रयणी के बीच गलियारे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण रिजर्व बनाने हेतु गांवों को सूचीबद्ध किया गया है।

दलमा वन्य जीव आश्रयणी में हाथी गलियारे के प्रबंधन के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-30) में हाथी गलियारों के प्रबंधन के लिए कोई योजना नहीं थी और कोई विशिष्ट गलियारा प्रबंधन योजना बनाए बिना ही गतिविधियाँ शुरू कर दी गईं। अन्य वन्यजीव गलियारों के संबंध में विभाग को अभी उनके प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करनी है।

---

[21] बगेसरा-रमजा: 53.86 वर्ग किमी., रमजा-बगेसरा: 52.61 वर्ग किमी., बगेसरा-टैंगरिया: 19.85 वर्ग किमी. और कुरुस्केला-तेंगरिया: 38.42 वर्ग कि.मी.

[22] सलकाया-बिलिंगबेरा: 10.09 वर्ग किमी. और सान्याकोना-रेंगोला: 26.11 वर्ग कि.मी.

2.2.3.3 मानवजनित दबाव में कमी न आना

11 संरक्षित क्षेत्रों (तोपचांची वन्यजीव आश्रयणी को छोड़कर) की प्रबंधन योजनाओं में 1,451 गांवों[23] का उल्लेख है (**परिशिष्ट 2.4**), जो संरक्षित क्षेत्रों की भूमि पर मानवजनित दबाव पैदा कर रहे थे। हालाँकि, इको सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचनाओं (मार्च 2012 और अगस्त 2019 के बीच जारी) के अनुसार, 12 संरक्षित क्षेत्रों में 1,412 गाँव[24] थे **(परिशिष्ट 2.4)**। इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए एलयूएलसी के आंकड़ों के अनुसार, इन 12 संरक्षित क्षेत्रों के अंदर 730 गांव थे। विभिन्न प्रतिवेदनों में संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और आसपास के गांवों की संख्या के आंकड़ों में विसंगति के बावजूद, विभाग ने संरक्षित क्षेत्रों पर उनके द्वारा बनाए गए मानवजनित दबाव को कम करने के लिए उचित योजना तैयार करने के लिए गांवों के आंकड़ों का मिलान नहीं किया। परिणामस्वरूप, संरक्षित क्षेत्रों में खाली और निर्माण के क्षेत्रों में वृद्धि हुई, जबकि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई, जैसा कि **कंडिका 2.4.3.1** में चर्चा की गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि गांवों की संख्या में विसंगति तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी के अंदर आने वाले गांवों को शामिल नहीं करने के कारण थी, जिसके लिए प्रबंधन योजना निर्माण की तैयारी की जा रही थी। आगे कहा गया कि संरक्षित क्षेत्रों के अंदर स्थित तथा इको सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचना में शामिल न किए गए गांवों का मिलान किया जाएगा। निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजनामें सुधार करने पर ध्यान दिया जाएगा और उचित सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद आकड़ों को प्रबंधन योजना में शामिल किया जाएगा।

अनुशंसा 2: विभाग विस्तृत सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण के बाद, अनुमोदित प्रबंधन योजना की शेष योजना अवधि के लिए, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण गतिविधियों हेतु स्थल-विशिष्ट योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित कर सकता है।

2.2.4 वार्षिक परिचालन योजना में कमियाँ

प्रबंधन योजना पर दिशानिर्देश (पैरा 5.8) में प्रावधान है कि प्रबंधन योजना में नियोजित गतिविधियों का संचालन वार्षिक परिचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से किया जाना है। एपीओ को संरक्षित क्षेत्र स्तर पर तैयार किया जाना है और मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके अलावा, एक पीए बुक रखी जानी है (पैरा 6.1) जिसमें उन सभी घटनाओं को अभिलेखित किया जाएगा जिनका योजना निर्देशों पर प्रभाव पड़ता है तथा अगले प्रबंधन योजना में शामिल करने के लिए लक्ष्य के विरूद्ध विचलन को अभिलेखित किया जाएगा। वार्षिक प्रवृत्तियों को जानने के लिए नियंत्रण प्रपत्र भी रखे जाने हैं (पैरा 6.2) जिसमें गतिविधियों का

---

[23] पीए के अंदर: 577; और पीए के आसपास: 874

[24] पीए के अंदर: 763; और पीए के आसपास: 649

कंपार्टमेंट-वार विवरण जैसे कि स्थल, क्षेत्र, प्रकृति, लागत, उपयुक्तता और समस्याएं आदि दर्ज किए जाने हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडलों ने एपीओ (केन्द्रीय और राज्य दोनों योजनाओं के लिए) तैयार करते समय अपने प्रबंधन योजना के अनुसार खतरों पर विचार किया। हालांकि, संबंधित प्रबंधन योजनाओं में निवारण गतिविधियों के विवरण का अभाव था तथा इन्हें बिना किसी विस्तृत स्थल सर्वेक्षण के ए.पी.ओ. में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि नमूना जांचित प्रमंडलों द्वारा एपीओ में विचारित गतिविधियां संरक्षित क्षेत्रों में दर्शाए गए खतरों को कम करने के लिए पर्याप्त थीं, जैसा कि **कंडिका 2.2.3** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि भारत सरकार ने वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास (आईडीडब्ल्यूएच) के अंतर्गत वन्यजीव जागरूकता, मौजूदा जल कुंडों के रखरखाव और पशु स्वास्थ्य निगरानी के लिए गतिविधियों को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने 2018-23 के दौरान आईडीडब्ल्यूएच के तहत 26.45 करोड़ रुपये के एपीओ के मुकाबले केवल 14.37 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। हालांकि, प्रमंडलों द्वारा पीए बुक और नियंत्रण प्रपत्रों का रखरखाव नहीं किए जाने के कारण, ₹ 12.08 करोड़[25] की छूटी हुई गतिविधियों को आगामी वर्षों में अन्य योजनाओं अर्थात् राज्य/कैम्पा के एपीओ में शामिल नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, प्रबंधन योजनाओं में निर्धारित उचित स्थल सर्वेक्षण के बिना ही गतिविधियों को ए.पी.ओ. में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा, नमूना जांचित छः प्रमंडलों ने एपीओ से विचलन और वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों को अभिलेखित करने के लिए आवश्यक संरक्षित क्षेत्र पुस्तकें और नियंत्रण प्रपत्र भी नहीं बनाए थे, ताकि इन्हें आगामी वर्षों के एपीओ में दर्शाया जा सके।

ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गतिविधियों को पीसीसीएफ (वन्यजीव) और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू के माध्यम से तैयार किया जाता है और विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद इसे कार्यान्वित किया जाता है। यह भी आश्वासन दिया गया कि क्षेत्र स्तर पर पीए बुक और नियंत्रण प्रपत्र बनाए जाएंगे।

एपीओ के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना अवधि के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का विवरण, प्रबंधन योजनाओं में परिकल्पित रोडमैप के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर अग्रिम रूप से तैयार नहीं किया गया था।

---

[25] (₹ 26.45 करोड़ - ₹ 14.37 करोड़)

2.2.5 गज अभयारण्य का प्रबंधन

केंद्र प्रायोजित योजना "गज परियोजना" के संशोधित दिशानिर्देशों (नवंबर 2013) के अनुसार, जंगली हाथियों के गैर-क्षेत्रीय व्यवहार और बड़े घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं के कारण, वन के एक छोटे से हिस्से के प्रबंधन से हाथी संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य, यदि आवश्यक हो तो अंतर-राज्यीय समन्वय के माध्यम से उनके आवासों/पारंपरिक गलियारों/प्रवासी मार्गों की बहाली के माध्यम से जंगली हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रखना है, ताकि मानव-हाथी संघर्ष को कम किया जा सके। हाथियों द्वारा अपने निवास क्षेत्र के विभिन्न भागों के बीच आवागमन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रवास मार्गों और गलियारों का संरक्षण, इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दिशानिर्देशों में प्रत्येक हाथी अभयारण्य के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्रबंधन योजना तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है। परिप्रेक्ष्य प्रबंधन योजना के आधार पर, एक व्यापक योजना (पांच वर्ष के लिए) तैयार की जानी थी और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को हाथी अभयारण्य के प्रबंधन के लिए केंद्रीय अनुदान विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में भारत सरकार को व्यापक योजना का हिस्सा होने के कारण एपीओ प्रस्तुत करना था।

दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य को गज परियोजना के तहत स्वीकृत और विभिन्न प्रशासनिक प्रमंडलों द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों के प्रदर्शन का समन्वय और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की पहचान करनी चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय के लिए प्रत्येक हाथी अभयारण्य (ईआर) में एक क्षेत्रीय समन्वयक भी अधिसूचित किया जाना है।

राज्य सरकार ने सिंहभूम हाथी अभयारण्य को अधिसूचित किया था (सितंबर 2001), जिसमें 2,577.38 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र शामिल था, जिसमें दलमा वन्यजीव आश्रयणी का क्षेत्र (193.22 वर्ग किमी) और 1,952.52 वर्ग किमी का बफर क्षेत्र शामिल था। हाथी अभयारण्य एक वन्यजीव प्रमंडल (गज परियोजना, जमशेदपुर, जो दलमा वन्यजीव आश्रयणी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है) और छः[26] प्रादेशिक वन प्रमंडलों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

2.2.5.1 व्यापक प्रबंधन योजना तैयार न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिंहभूम हाथी अभयारण्य के लिए परिप्रेक्ष्य और व्यापक योजनाएं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू द्वारा तैयार नहीं की गई थीं (जुलाई 2024 तक)। जबकि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना के पास कोर और बफर क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग योजनाएं थीं, प्रादेशिक प्रमंडलों द्वारा अपनाई गई कार्य योजनाओं[27] में कोर और बफर क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजनाएं नहीं थीं। हालांकि,

---

[26] चाईबासा (उत्तर), चाईबासा (दक्षिण), धालभूम, कोल्हान, पोराहाट और सारंडा।

[27] राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता, 2014 के अनुसार 10 वर्षों के लिए तैयार किया गया।

यह देखा गया कि एपीओ को प्रमंडलों द्वारा उनके व्यक्तिगत कार्य योजना/प्रबंधन योजना के अनुसार तैयार किया गया था। इस प्रकार, जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना के माध्यम से उनका प्रबंधन नहीं किया जा रहा था, जिससे कोर और बफर दोनों क्षेत्रों की एक समान समन्वित तरीके से देखरेख की जा सके, ताकि जंगली हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके।

संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना पर दिशा-निर्देशों में गंभीर और महत्वपूर्ण आवासों के समुचित संरक्षण, आगंतुकों के लिए वन्य अनुभव और आजीविका के लिए वन संसाधनों तक सामुदायिक पहुंच के लिए क्षेत्र आधारित योजना[28] को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए मुख्य कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र (पर्यटन क्षेत्र और पारंपरिक उपयोग क्षेत्र) का सीमांकन किया जाना है।

हाथी अभयारण्य के 2,577.38 वर्ग किमी के अधिसूचित कोर क्षेत्र में से, दलमा वन्य जीव आश्रयणी में 193.22 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र शामिल था, जबकि चार[29] क्षेत्रीय प्रमण्डलों का कोर क्षेत्र 2,384.16 वर्ग किमी था। हालाँकि, दलमा वन्य जीव आश्रयणी ने कोर प्रबंधन के उद्देश्य से, मेरुदण्ड वाले जानवरों की आबादी की सघनता के आधार पर वन्य जीव आश्रयणी के दो हिस्सों में केवल 59.27 वर्ग किमी (2000-10 के लिए प्रबंधन योजना में) और 58.05 वर्ग किमी (2020-30 के लिए प्रबंधन योजना में) के कोर जोन पर विचार किया था। इस प्रकार, 135.17 वर्ग किमी. (70 प्रतिशत) का अधिसूचित कोर क्षेत्र महत्वपूर्ण पर्यावास प्रबंधन गतिविधियों से बाहर रखा गया।

विभाग द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई प्रादेशिक प्रमंडलों की कार्य योजनाओं में भी मुख्य क्षेत्रों को सुरक्षित और पृथक बनाए रखने के लिए पृथक प्रबंधन योजनाएं नहीं थीं। यद्यपि जमशेदपुर (प्रादेशिक) वन प्रमंडल की कार्ययोजना (2014-24) में वनों के विखंडन और हाथी अभयारण्य पर गांवों के जैविक दबाव का वर्णन किया गया था, लेकिन इसमें क्षेत्र विशेष के खतरों और शमन उपायों का विश्लेषण शामिल नहीं था। हालाँकि, प्रमंडल ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हाथी अभयारण्य और तीन[30] हाथी गलियारों पर अध्ययन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (हाथी प्रमंडल), भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए विभाग को दी थी (अक्टूबर 2020 और सितंबर 2021)। प्रतिवेदनों में हाथी

[28] प्रबंधन उद्देश्य के लिए, एक संरक्षित क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जैसे कोर क्रिटिकल ज़ोन, बफर ज़ोन, इको-टूरिज्म ज़ोन और इको-डेवलपमेंट ज़ोन। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजना अपनाई जाती है।

[29] चाईबासा दक्षिण: 159.90 वर्ग किमी., कोल्हान: 701.89 वर्ग किमी., पोराहाट: 663.55 वर्ग किमी., सारंडा: 858.82 वर्ग किमी.

[30] झुंझका-बंदुआन, डालापानी-कांकराझोर और डुमरिया-नयाग्राम।

अभयारण्य में हाथियों की बाधारहित आवाजाही में खतरों[31] पर प्रकाश डाला गया तथा हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखने तथा मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उनके आवासों और प्रवासी मार्गों को बहाल करने का सुझाव दिया गया। हालाँकि, विभाग ने मार्च 2024 तक पहचाने गए खतरों को कम करने के लिए विशिष्ट और समयबद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की।

हाथी अभयारण्य के लिए व्यापक योजना के अभाव का प्रभाव यह हुआ कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी में खाली जमीन और निर्माण किये गए क्षेत्र में क्रमशः 12.38 वर्ग किमी और 3.71 वर्ग किमी की वृद्धि हुई (2017 और 2021 के बीच)। इसके अलावा, 2018-23 के दौरान दलमा वन्य जीव आश्रयणी और जमशेदपुर (प्रादेशिक) वन प्रमंडल में मानव पशु संघर्ष के 3,434 मामलों में से 3,145 (92 प्रतिशत) संघर्ष जमशेदपुर (प्रादेशिक) वन प्रमंडल के अधिकार क्षेत्र में हुए, जिससे मानव जीवन की हानि (27 मामले), मानव आघात (41 मामले) के अलावा दो हाथियों की अप्राकृतिक मौत हुई।

विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि हाथी अभयारण्य का प्रबंधन दलमा वन्य जीव आश्रयणी प्रबंधन योजनाओं और क्षेत्रीय प्रमंडलों के डब्ल्यूपी के माध्यम से किया गया था, कहा (अगस्त 2024) कि हाथी परियोजना क्षेत्र के बेहतर प्रशासन के लिए वर्ष 2007 में हाथी परियोजना के निदेशक का एक स्वतंत्र पद अधिसूचित किया गया था। बाद में (2017) इस पद को उप वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक (डीसीएफ एंड एफडी), गज परियोजना, जमशेदपुर के रूप में दलमा वन्य जीव आश्रयणी के साथ एकीकृत किया गया था। फरवरी 2024 में "झारखण्ड में कॉरिडोर के संरक्षण के लिए रणनीति और कार्य योजना" तैयार करने के लिए एक एजेंसी का भी चयन किया गया है। इसके अलावा, मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने हेतु जनवरी 2024 में सीसीएफ (वन्यजीव) के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के अंदर कोर क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है। निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान, हाथी अभयारण्य से संबंधित प्रबंधन की चुनौतियों को डब्ल्युपीए में कानूनी प्रावधानों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था।

जवाब से पुष्टि होती है कि हाथी अभयारण्य का प्रबंधन एक समान व्यापक योजना के तहत नहीं किया जा रहा था। दलमा वन्य जीव आश्रयणी के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित संरक्षित क्षेत्र में शामिल कोर क्षेत्र अधिसूचित कोर क्षेत्र से काफी कम था। वन विभाग में वन्य क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए कानूनी प्रावधानों

---

31 हाथियों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए अंतर-राज्यीय सीमा के निकट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाथी निरोधक खाई खोदना, गज अभयारण्य के क्षीण वनों में पर्याप्त भोजन और पानी की कमी, गज अभयारण्य और हाथी गलियारों में अतिक्रमण और हाथियों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किए बिना गज अभयारण्य में रैखिक अवसंरचना जैसे रेलवे, सड़क मार्ग, हाई-टेंशन लाइन और सिंचाई नहरों का निर्माण।

के अभाव का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वन क्षेत्र सहित इसके मुख्य क्षेत्र का प्रबंधन भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत किया जा सकता था, जो राज्य सरकार को अधिसूचित रिजर्व या संरक्षित वनों के अंदर कुछ प्रतिबंध लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने का अधिकार देता है।

अनुशंसा 3: विभाग हाथी अभयारण्य के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाथियों के प्राकृतिक आवास और प्रवासी मार्ग बहाल हो तथा मानव-हाथी संघर्ष न्यूनतम हो जाएं।

2.2.6 क्षेत्रीय मास्टर प्लान

एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-2016) के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर के क्षेत्र अक्सर महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारे की कड़ी होते हैं और जैव विविधता के टुकड़ों के अलगाव को रोकने के लिए उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। इसने आगे अनुशंसा की कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव गलियारों के आसपास के सभी चिन्हित क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से नाजुक घोषित किया जाए।

इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) की घोषणा के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों (फरवरी 2011) के अनुसार, ईएसजेड का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार का आघात अवशोषक बनाना है और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करना है। ईएसजेड का मूल उद्देश्य खनन, आरा मिलों, उद्योगों आदि जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगाना, पेड़ों की कटाई, होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना को विनियमित करना और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास कृषि प्रणालियों में भारी बदलावों को रोकना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों में व्याप्त नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने (मार्च 2012 और अगस्त 2019 के बीच) झारखण्ड में सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों को कवर करते हुए नौ ईएसजेड अधिसूचित किए थे **(परिशिष्ट 2.5)**। अधिसूचनाओं के अनुसार, राज्य सरकार को स्थानीय लोगों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों[32] के हितधारकों के परामर्श से ईएसजेड की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के अंदर प्रत्येक ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार और अनुमोदित करना था। क्षेत्रीय मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को शामिल किया जाना था, जैसे कि नष्ट हो चुके क्षेत्रों का पुनरुद्धार, जल निकायों का संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताएं और

[32] वन, कृषि, राजस्व, शहरी विकास, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और लोक निर्माण विभाग।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलू जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने अधिसूचनाओं और अनुमोदित क्षेत्रीय मास्टर प्लान के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए संबंधित क्षेत्र के आयुक्त की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति[33] भी गठित की है।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार नहीं किए गए थे, यहां तक कि उनकी अधिसूचना के तीन से 11 वर्ष से अधिक समय के बाद भी, जबकि 2019-21 के दौरान तीन वन्य जीव आश्रयणी में इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा 80 लाख[34] रुपए का आवंटन किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर को 24 महीने की अवधि के अंदर दलमा वन्य जीव आश्रयणी के क्षेत्रीय मास्टर प्लान की तैयारी के लिए चुना गया था (मार्च 2022), लेकिन मार्च 2024 तक इसे तैयार नहीं किया गया था। आगे, अन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क्षेत्रीय मास्टर प्लान की अनुपस्थिति में, ईएसजेड क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों की स्थिति, संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं की जा सकी। आगे, उचित योजना के अभाव में ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ठोस प्रयासों की कमी का जोखिम भी बढ़ गया। निगरानी समितियों ने अपनी बैठकों में यह भी पाया कि संरक्षित क्षेत्रों में तथा इसके आसपास प्रतिबंधित गतिविधियां जारी हैं, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

क्षेत्रीय मास्टर प्लान की अनुपस्थिति के कारण स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के वैकल्पिक स्रोत सृजित करने के लिए अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने के प्रयासों में भी कमी आई, जिससे संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम किया जा सके।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि सी.एस.एस. (आई.डी.डब्ल्यू.एच.) के तहत धन के अपर्याप्त आवंटन के कारण दलमा वन्य जीव आश्रयणी का क्षेत्रीय मास्टर प्लान पूरा नहीं किया जा सका। आगे बताया गया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के क्षेत्रीय मास्टर प्लान पर काम फिर से शुरू किया जाएगा तथा अन्य 11 संरक्षित क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। निकास सम्मेलन के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया

---

33 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सदस्य, चार मनोनीत सदस्य (वन विभाग से एक, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से एक, जैव-विविधता पर एक विशेषज्ञ और राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी पर एक विशेषज्ञ), संबंधित क्षेत्रीय प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य के रूप में, और प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में

34 कोडरमा (₹ 30 लाख), तोपचांची (₹ 10 लाख) और दलमा (₹ 40 लाख)।

(जुलाई 2024) कि राज्य के सभी ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे।

अनुशंसा 4: विभाग, संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, ईएसजेड में प्रतिबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सभी ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार कर सकता है।

2.3 वित्तीय प्रबंधन

2.3.1 बजट प्रावधान और व्यय

संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए धनराशि केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2018-23 के दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का व्यय ₹ 4,049.41 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,732.30 करोड़ बजट के माध्यम से तथा ₹ 317.11 करोड़ बैंक खाते (कैम्पा के अंतर्गत) के माध्यम से खर्च किए गए। ₹ 4,049.41 करोड़ के व्यय में ₹ 2,781.37 करोड़ (69 प्रतिशत) वानिकी योजनाओं पर व्यय शामिल है, जिसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों सहित वनों का उन्नयन और संरक्षण करना है, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वानिकी योजनाओं पर विमुक्त राशि एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में))

वर्ष	केंद्रीय योजनाएं		राज्य की योजनाएं		कैम्पा		कुल	
	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय
2018-19	16.57	14.17	303.02	263.52	286.25	239.46	605.84	517.15
2019-20	23.49	18.04	337.21	301.58	300.43	223.57	661.13	543.19
2020-21	36.22	32.20	276.13	255.33	251.79	214.93	564.14	502.46
2021-22	13.81	9.78	270.83	252.03	280.92	240.99	565.56	502.80
2022-23	10.00	5.81	418.95	393.46	354.93	316.50	783.88	715.77
कुल	**100.09**	**80.00**	**1,606.14**	**1,465.92**	**1,474.32**	**1,235.45**	**3,180.55**	**2,781.37**

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 2.2 से देखा जा सकता है कि वानिकी योजनाओं पर ₹ 3,180.55 करोड़ विमुक्त किए गए, जिनमें से ₹ 2,781.37 करोड़ का उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांचित प्रमंडलों में देखा गया कि ₹ 399.18 करोड़ का कम उपयोग योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन (**परिशिष्ट 2.6**) के कारण हुआ है।

2.3.2 संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर व्यय

वर्ष 2018-23 के दौरान नमूना जांचित प्रमंडलों ने राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किये गये ₹ 397.86 करोड़ (**परिशिष्ट 2.7**) के सापेक्ष ₹ 356.64 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 41.22 करोड़ की बचत वनरोपण, मृदा संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, क्षमता निर्माण आदि योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण हुई, जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

- हजारीबाग वन्यजीव प्रमंडल वन्यजीव पर्यावास विकास के लिए कैम्पा के तहत 2019-22 के दौरान प्राप्त ₹ 12.63 करोड़ में से ₹ 7.18 करोड़ (57 प्रतिशत) का उपयोग करने में असमर्थ रहा, जिसमें सिल्वीकल्चर, जल निकाय निर्माण, खरपतवार उन्मूलन और गर्मियों के दौरान वन्यजीवों के लिए पानी की आपूर्ति शामिल है, जिसका मुख्य कारण जनशक्ति की कमी है, जैसा कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने बताया।

- पीटीआर उत्तरी और दक्षिणी प्रमंडल, पीटीआर में चारागाह के विकास और रखरखाव के लिए कैम्पा, राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत 2018-23 के बीच प्राप्त ₹ 12.87 करोड़ में से ₹ 2.53 करोड़ (20 प्रतिशत) का उपयोग नहीं कर सके, जबकि जनवरी 2022 में एनटीसीए समिति ने अवलोकन किया था कि चारागाह क्षेत्र छोटा है और शिकार आधार को बढ़ाने के लिए विस्तार की आवश्यकता है।

- हाथी परियोजना, जमशेदपुर प्रमंडल, 2021-23 में सिल्वीकल्चर, जल संरक्षण, बांस रोपण और चेक-डैम के निर्माण के लिए कैम्पा के अंतर्गत विमुक्त ₹ 4.77 करोड़ का उपयोग नहीं कर सका। इसी प्रकार, प्रमंडल कॉरिडोर विकास के लिए आईडीडब्ल्यूएच के तहत 2021-22 में विमुक्त ₹ 38.98 लाख रुपये का उपयोग नहीं कर सका।

- रांची वन्यजीव प्रमंडल राज्य में मानव-हाथी संघर्ष के अध्ययन और मूल्यांकन और हाथियों के पुनर्वास के लिए 11 त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (क्यूआरटी) के क्षमता निर्माण के लिए राज्य योजना के तहत 2020-21 में प्राप्त ₹ 55.40 लाख का उपयोग नहीं कर सका, जबकि राज्य में मानव-हाथी संघर्ष एक प्रमुख मुद्दा था, जैसा कि **कंडिका 2.4.5** में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, नमूना जाचित प्रमंडल संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा तथा मानव-पशु संघर्षों को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि विमुक्त धनराशि के विरुद्ध व्यय सामान्य परिस्थितियों में सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि, धनराशि का देरी से विमुक्त होना, मार्च माह में 15 प्रतिशत से अधिक व्यय पर प्रतिबंध तथा सेवानिवृत्ति और बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण मानव संसाधन की कमी के कारण धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया।

धनराशि को देरी से विमुक्त करने के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग अनुमोदित योजनाओं के अनुसार समय पर प्रमंडलों को धनराशि विमुक्त करने की व्यवस्था कर सकता था।

2.3.3 पलामू टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 38 X (1) के अंतर्गत, झारखण्ड सरकार ने पीटीआर के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए पलामू ब्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन (पीटीसीएफ) का गठन किया था (जनवरी 2014)। पीटीसीएफ को सरकार या संगठनों से प्राप्त सहायता अनुदान, दान, अंशदान या उपहार के माध्यम से धन की व्यवस्था करनी थी। जनवरी 2014 में अधिसूचित पीटीसीएफ मैनुअल के पैरा 11 के अनुसार, सीसीएफ एवं एफडी (पीटीआर) और डीएफओ (कोर और बफर क्षेत्र) द्वारा तीन[35] बैंक खाते संचालित किए जाने थे और प्रत्येक बैंक खाते के लिए अलग-अलग रोकड़ पंजी रखी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित तीन बैंक खातों के मुकाबले, जुलाई 2023 तक सीसीएफ एंड एफडी और डीएफओ द्वारा आठ[36] बैंक खाते संचालित किए गए थे। इसके अलावा, सीसीएफ एवं एफडी तथा डीएफओ भी, दिन-प्रतिदिन के लेन-देन को अभिलेखित करने के लिए, किसी भी बैंक खाते के विरुद्ध निर्धारित अनुसार रोकड़ पंजी नहीं रख रहे थे। 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए पीटीसीएफ के वार्षिक लेखों के अनुसार, कुल प्राप्तियां ₹ 33.32 करोड़ थीं और कुल भुगतान ₹ 6.34 करोड़ थे (**परिशिष्ट 2.8)**। पीटीसीएफ से संबंधित वार्षिक लेखों और अन्य अभिलेखों की आगे की जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- पीटीसीएफ की शासी निकाय[37] (जीबी) ने झारखण्ड सरकार द्वारा दिए गए अनुदान (सितंबर 2022) के मुकाबले ₹ 9.50 करोड़ के डब्ल्यूपी को मंजूरी दी (मार्च 2023)। डीएफओ, पीटीआर (दक्षिणी) ने सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर को ₹ 9.50 करोड़ की उपयोगिता प्रतिवेदन भी प्रस्तुत की थी (जून 2023)। हालाँकि,

---

[35] पीटीसीएफ के नाम पर सीसीएफ और एफडी, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट, डीएफओ, कोर एरिया (अब पीटीआर, उत्तरी) और डीएफओ, बफर एरिया, (अब पीटीआर दक्षिणी) द्वारा संचालित किया जाना था। सीसीएफ और एफडी का खाता पीटीसीएफ के सभी फंड की प्राप्ति के लिए मुख्य खाता होना था। इस खाते से आगे के खर्च के लिए अन्य दो खातों को फंड उपलब्ध कराया जाना था।

[36] सीसीएफ एवं एफडी: एसबीआई (xxxxxxx8331) और एचडीएफसी (xxxxxxxxxx3817); डीएफओ, कोर एरिया: केनरा बैंक (xxxxxxxxx0474 और xxxxxxxxx1226) और एचडीएफसी (xxxxxxxxxx4679) और डीएफओ, बफर एरिया: आईसीआईसीआई (xxxxxxxxx0907), यूनियन बैंक (xxxxxxxxxxxx5684) और एचडीएफसी (xxxxxxxxxx7412)।

[37] पीटीसीएफ की नीतियों और बजट को तैयार करने और पीटीआर में गतिविधियों के पूरक के लिए कार्य योजनाओं को मंजूरी देने के लिए मैनुअल के पैरा 5 के तहत विभाग द्वारा गठित (सितंबर 2016)।

लेखापरीक्षा व्यय की सत्यता का विश्लेषण नहीं कर सका क्योंकि रोकड़ पंजी का रखरखाव नहीं किया गया था।

- पीटीसीएफ के जीबी ने पीटीसीएफ फंड को अस्थायी रूप से जरूरी कार्यों और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भुगतान के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया (फरवरी 2018 और नवंबर 2021), जो राज्य से नियमित आवंटन प्राप्त करने के बाद निधियों की वापसी की जानी थी। 2018-22 के दौरान, सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर ने डीएफओ, पीटीआर (दक्षिणी और उत्तरी) को ₹ 2.39 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके विरुद्ध, डीएफओ ने दैनिक मजदूरी पर ₹ 1.35 करोड़ और विश्राम गृहों के रखरखाव पर ₹ 10 लाख खर्च किए। हालांकि, डीएफओ ने सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर को केवल ₹ 88.68 लाख ही लौटाए **(परिशिष्ट 2.8)**। डीएफओ के पास पीटीसीएफ की रोकड़ पंजी के अभाव में, लेखापरीक्षा डीएफओ को प्राप्त नियमित आवंटन के साथ प्रतिवेदित व्यय के उद्देश्य को सत्यापित नहीं कर सकी। इसके अलावा, सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर ने 2022-24 (जुलाई 2023 तक) के दौरान पीटीआर उत्तरी को ₹ 78.79 लाख और पीटीआर दक्षिणी को ₹ 1.19 करोड़ हस्तांतरित किए थे। हालाँकि, डीएफओ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव नहीं किये जाने के कारण इसका उपयोग (जुलाई 2023 तक) को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर और डीएफओ, पीटीआर उत्तर ने 2018-19 में वन प्रक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) को ₹ 92.09 लाख का अग्रिम भुगतान किया। आरएफओ ने 2018-19 में डीएफओ, पीटीआर उत्तरी को ₹ 33.93 लाख भी लौटा दिए थे, लेकिन रोकड़ पंजी के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि किस उद्देश्य के लिए अग्रिम दिया गया था और आरएफओ के पास शेष राशि की स्थिति क्या थी।
- गुमला जिले में अम्तीपानी बॉक्साइट खनन परियोजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुसार, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रभाव क्षेत्र अर्थात पीटीआर, पीटीआर के ईएसजेड और महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में संरक्षण गतिविधि के लिए पीटीसीएफ को एक करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे (अगस्त 2022)। इस राशि का उपयोग जीबी द्वारा अनुमोदित वार्षिक परिचालन योजना (ए.पी.ओ.) के आधार पर किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2023 तक 2022-23 या 2023-24 के लिए कोई एपीओ तैयार नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद, सीसीएफएंडएफडी ने डीएफओ, पीटीआर उत्तर और पीटीआर दक्षिणी को राशि हस्तांतरित कर दी (सितंबर 2022)।

इस प्रकार, चूंकि पीटीसीएफ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा किए गए व्यय और डीएफओ/आरएफओ को प्रदान किए गए अस्थायी अग्रिमों की स्थिति को सत्यापित नहीं कर सकी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2024) और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान यह आश्वासन भी दिया गया कि रोकड़ पंजी और संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा।

अनुशंसा 5: विभाग पीटीसीएफ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है तथा डीएफओ को दिए गए अग्रिम की वसूली कर सकता है।

2.4 वन्यजीवन और उसके आवासों का संरक्षण और सुरक्षा

संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं से पता चला कि अपर्याप्त मानव बल और बुनियादी ढांचा, भारी जैविक दबाव और वनों का क्षय, संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण को प्रभावित करने वाली मुख्य चिंताएं थीं। तदनुसार, सामान्य उद्देश्य अर्थात (i) वन पारिस्थितिकी तंत्र का उसकी प्राकृतिक स्थिति में संरक्षण (ii) क्षीण वनों की बहाली (iii) जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार (iv) संरक्षित क्षेत्रों के संसाधनों पर और उसके आसपास रहने वाले लोगों की निर्भरता में कमी (v) लोगों के बीच प्रकृति शिक्षा के प्रसार के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना (vi) प्रबंधन उन्मुख अनुसंधान और निगरानी (vii) मानव-पशु संघर्ष को न्यूनतम करना (viii) जिम्मेदारी के सभी स्तरों पर कौशल विकास (ix) संरक्षित क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और (x) भू-दृश्य संपर्क को बनाए रखना, इन पर प्रबंधन योजना में ध्यान केंद्रित किया गया।

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रमुख क्षेत्रों को मोटे तौर पर (i) संरक्षण (ii) अग्नि प्रबंधन (iii) आवास प्रबंधन (iv) पशु स्वास्थ्य निगरानी (v) मानव-पशु सह-अस्तित्व (vi) बुनियादी ढांचे और संचार का विकास (vii) पारिस्थितकी पर्यटन और (viii) पारिस्थितिक विकास समिति में वर्गीकृत किया गया था। संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.4.1 संरक्षित क्षेत्र का संरक्षण

संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीमाओं का सर्वेक्षण और सीमांकन; वन और वन्यजीव अपराध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए नियमित गश्त; गतिशीलता और संचार को बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास; और पर्याप्त और कुशल जनशक्ति की तैनाती को संरक्षित क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों के रूप में माना जाता है।

2.4.1.1 संरक्षित क्षेत्र सीमाओं का समेकन

किसी संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र की सीमाएं राज्य द्वारा डब्ल्युपीए, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित की जाती हैं। इसके बाद इस क्षेत्र को सर्वेक्षण के माध्यम से समेकित किया जाना है, तथा विभाग द्वारा सीमा स्तंभों को स्थापित करके सीमाओं का सीमांकन किया जाना है। नमूना जांचित प्रमंडलों में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना

के विश्लेषण से पता चला कि कृषि के लिए भूमि का अतिक्रमण, अवैध कटाई, मवेशी चराई और झाड़ियों को साफ करने के लिए मानव निर्मित आग आदि सामान्य खतरे हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों में सीमा (आंतरिक और बाह्य) सीमांकन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। इन खतरों को, जमीन पर पक्के सीमा स्तंभों के निर्माण, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण और अन्य तरीकों का उपयोग करके, काफी हद तक कम किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडलों ने राज्य में 12 संरक्षित क्षेत्रों के लिए 73,448 सीमा स्तंभों की आवश्यकता का आकलन किया था, जो प्रति वर्ग किलोमीटर 15 से 135 सीमा स्तंभों के बीच था (**परिशिष्ट 2.9 क**)। हालाँकि, इसके विपरीत, मार्च 2023 तक, संरक्षित क्षेत्र में केवल 25,619 (35 प्रतिशत) सीमा स्तंभ थे, जिनमें से केवल 9,318 स्तंभ (36 प्रतिशत) डीजीपीएस सर्वेक्षण के साथ स्थापित किए गए थे। शेष 16,301 स्तंभों को डीजीपीएस सर्वेक्षण द्वारा प्रमाणित किया जाना था तथा संबंधित प्रमंडलों द्वारा उनके स्थान का डिजिटलीकृत आंकड़ों के साथ प्रति-सत्यापन किया जाना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 2018-21 के दौरान, विभाग ने डीजीपीएस सर्वेक्षण का उपयोग करके 6,755 सीमा स्तंभों को स्थापित करने के लिए चार नमूना जांचित प्रमंडलों को ₹ 2.70 करोड़ विमुक्त किए थे। हालाँकि, प्रमण्डलों द्वारा ₹ 1.29 करोड़ की लागत से केवल 3,335 सीमा स्तंभ ही स्थापित किए गए (**परिशिष्ट 2.9 ख**)। वर्ष 2021-23 के दौरान विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में सीमा स्तंभों के निर्माण के लिए कोई धनराशि विमुक्त नहीं की गई।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने एलयूएलसी आंकड़ा से पाया कि अक्टूबर 2023 तक, संरक्षित क्षेत्रों[38] के अंदर स्थित 730 गांवों में से 152 (21 प्रतिशत) की सीमाओं का डिजिटलीकरण पूरा नहीं हुआ था। सीमाओं के डिजिटलीकरण के अभाव में, डीजीपीएस सर्वेक्षण के साथ सीमा स्तंभों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। इसके अलावा, पुराने सीमा स्तंभ, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसा कि **चित्र 2.1** और **2.2** से देखा जा सकता है, उन्हें संरक्षित क्षेत्र के बेहतर चिह्नांकन के लिए बदलने की आवश्यकता थी।

---

[38] उधवा झील पक्षी आश्रयणी को छोड़कर 11 संरक्षित क्षेत्र।

चित्र 2.1	चित्र 2.2
दलमा वन्य जीव आश्रयणी में पुराना और आसानी से दिखाई न देने वाला सीमा स्तंभ (24 अगस्त 2023)	*उधवा झील पक्षी आश्रयणी में पुराना और जलमग्न सीमा स्तंभ (22 सितंबर 2023)*

इस प्रकार, विभाग ने डीजीपीएस सर्वेक्षण के आधार पर सीमा स्तंभों के निर्माण के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को सुदृढ़ करना सुनिश्चित नहीं किया, ताकि बाहरी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सके, जो संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थीं। इसके अलावा, सीमा स्तंभों का निर्माण न होने के कारण संरक्षित क्षेत्र भूमि पर अतिक्रमण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्र सीमाओं के डिजिटलीकरण के साथ-साथ शेष स्तंभों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। समापन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने यह भी आश्वासन दिया (जुलाई 2024) कि संरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित गांवों की सीमा के डिजिटलीकरण और स्तंभों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुशंसा 6: विभाग डीजीपीएस सर्वेक्षण का उपयोग करके सीमा स्तंभों के निर्माण के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकता है।

2.4.1.2 संरक्षित क्षेत्र में गश्त

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (धारा 29) में प्रावधानित है कि कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव वार्डेन द्वारा दिए गए अनुज्ञा-पत्र के अनुसार ही आश्रयणी से वन्य उत्पाद सहित किसी भी वन्यजीव को नष्ट, शोषण या हटायेगा। वन क्षेत्रों में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नियमित गश्त की आवश्यकता है। इसके अलावा एनटीसीए के मार्गदर्शिका के अनुसार, गश्त शिविर में दैनिक गश्त लॉग/पंजी बनाए रखना आवश्यक है। इन पंजियों में गश्त की शुरुआत की तारीख, समय और जीपीएस निर्देशांक, कुल व्यक्तियों की संख्या और गश्त का तरीका दर्ज किया जाएगा। इसमें सभी अवैध गतिविधियों को समय, तारीख और निर्देशांक के साथ एक डाटा शीट में दर्ज किया जाएगा। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के चिह्नों और देखे जाने का अभिलेख भी जीपीएस निर्देशांकों के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने गश्ती दस्तों[39]. के गठन का प्रस्ताव रखा। गश्ती दस्तों को पर्याप्त वाहन, संचार उपकरण, सुरक्षा उपकरण/ गियर[40] के साथ-साथ आवश्यक[41] प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना था। इसके अलावा, प्रबंधन योजना ने रणनीतिक स्थानों पर नए निगरानी मीनार के निर्माण और आवास सुविधा के साथ मौजूदा टावरों में सुधार का भी प्रस्ताव रखा, जिसका उपयोग गश्त/शिकार विरोधी शिविरों या प्रभावी रात्रि गश्त के लिए किया जा सके।

(i) गश्त में कमियां

वर्ष 2018-23 के दौरान, प्रमण्डलों द्वारा प्रति वर्ष 361 से 479 स्थानीय लोगों को दैनिक वेतन पर ट्रैकर्स के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं का उपयोग संरक्षित क्षेत्र में गश्त (**परिशिष्ट 2.10 क**) के लिए किया गया था। पूर्व सैन्य/अर्धसैन्य कर्मियों को 10 संरक्षित क्षेत्रों में गश्त के लिए नियुक्त नहीं पाया गया, सिवाय पीटीआर के जहां 220 से 309 स्थानीय ट्रैकर्स के अतिरिक्त स्ट्राइक फोर्स दस्ते के अंतर्गत 11 से 17 पूर्व सैन्य/पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा, 2018-23 के दौरान 36 से 40 प्रतिशत वन रक्षकों और 76 से 91 प्रतिशत वनपालों की कमी थी, जिन्हें इन गश्ती दस्तों का नेतृत्व करना था। आगे, नमूना जांचित प्रमण्डलों ने गश्त में लगे स्थानीय लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण भी नहीं दिया। नमूना जांचित छः प्रमण्डलों में से तीन[42] में गश्त के दौरान आवरित किए गए क्षेत्रों और देखी गई घटनाओं को दर्ज करने के लिए गश्त पंजी भी संधारित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार, प्रमण्डलों ने कुशल गश्ती दस्तों द्वारा संरक्षित क्षेत्र की गश्त सुनिश्चित नहीं की, जैसा कि प्रबंधन योजना में परिकल्पित किया गया था।

जवाब में, विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि स्थानीय ग्रामीणों को, जिन्हें स्थानीय भूभाग और खुफिया जानकारी का अच्छा ज्ञान है, सर्वोत्तम संभव सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गश्त में लगाया जा रहा है। आगे बताया गया कि प्रक्षेत्र कार्यालयों में गश्त पंजी में संधारित किया जाता है।

हालांकि, तथ्य यह है कि पूर्व सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों को, जैसा कि प्रबंधन योजनाओं में अपेक्षित है, गश्ती दस्तों में तैनात नहीं किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा के दौरान तीन नमूना जांचित प्रमंडलों में गश्त पंजी संधारित नहीं किया जा रहा था।

---

39 इसमें वनपाल, वन रक्षक और पूर्व सेना/अर्धसैन्य बल के जवान शामिल होंगे।

40 जंगल बूट, वर्दी, टॉर्च, दवाइयां आदि।

41 निहत्थे युद्ध, उत्तरजीविता कौशल, आग्नेयास्त्रों का उपयोग, प्राथमिक चिकित्सा, तैराकी, ड्राइविंग आदि।

42 हज़ारीबाग़, पीटीआर दक्षिणी और साहिबगंज।

(ii) वाहनों की कमी

आठ संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजनाओं में गश्त के लिए मौजूदा 13 चार पहिया और 21 दो पहिया वाहनों के अलावा अतिरिक्त 23 चार पहिया और 132 दो पहिया वाहनों की आवश्यकता (मार्च 2023 तक) का आकलन किया गया था (**परिशिष्ट 2.10 ख**)। तीन संरक्षित क्षेत्र[43] के प्रबंधन योजना में गश्त वाहनों का कोई आकलन नहीं किया गया था। हालांकि, संबंधित प्रमंडलो ने अपनी वार्षिक योजनाओं में आवश्यक वाहनों की खरीद के प्रस्तावों को शामिल नहीं किया और इस तरह, मार्च 2024 तक वाहनों की खरीद नहीं की गई। इस प्रकार, प्रमंडलो के पास वाहनों की कमी के कारण, संरक्षित क्षेत्र की प्रभावी गश्त सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि क्षेत्र में आवश्यक और वास्तविक वाहनों की संख्या में अंतर है, और वन विभाग ने 2024-25 में वाहन खरीदने की योजना बनाई है।

(iii) उचित उपकरण और संचार नेटवर्क का अभाव

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में एक वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने और वायरलेस सेट की खरीद की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। हालाँकि, जिन संरक्षित क्षेत्र के पास कोई वायरलेस तंत्र नहीं था, उन्होंने क्षेत्रिय कर्मचारियों और गश्ती दस्तों के साथ एक कुशल संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए अपने प्रबंधन योजना में इन आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2024 तक 12 में से पाँच संरक्षित क्षेत्रों में वायरलेस तंत्र नहीं थे (**परिशिष्ट 2.11**)। शेष सात संरक्षित क्षेत्र[44] में, 113 वायरलेस सेट थे, जिनमें से पाँच संरक्षित क्षेत्रों में केवल 66 वायरलेस सेट कार्यशील थे। इसके अलावा, चूंकि प्रमंडलो ने खरीद के विवरण सहित वायरलेस सेटों की विस्तृत सूची नहीं रखी थी, लेखापरीक्षा इन उपकरण की आयु या अप्रचलन (यदि कोई हो) का आकलन नहीं कर सका।

हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी में गश्ती कर्मियों को भी उचित वर्दी और सुरक्षा उपकरणों के बिना तैनात देखा गया, जो प्रभावी गश्त के लिए आवश्यक है, जैसा कि **चित्र 2.4** से देखा जा सकता है।

[43] बेतला एनपी, पलामू वन्यजीव आश्रयणी और उधवा झील पक्षी आश्रयणी।

[44] दलमा, हज़ारीबाग़, कोडरमा, महुआडांड़, पीटीआर (पलामू और बेतला) और उधवा।

चित्र 2.3	चित्र 2.4
दलमा वन्य जीव आश्रयणी ***में कम दृश्यता वाला निगरानी मीनार (18 अगस्त 2023)***	***हजारीबाग*** वन्य जीव आश्रयणी ***में उचित सुरक्षा उपकरण के बिना ट्रैकर्स (18 अगस्त 2023)***

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि वह संरक्षित क्षेत्र में गैर-कार्यशील वायरलेस तंत्रों को कार्यशील करने पर काम कर रहा है, और लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में, सभी संरक्षित क्षेत्र को एक वायरलेस तंत्र द्वारा कवर किया जाएगा।

(iv) निगरानी मीनारों में कमियां

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 संरक्षित क्षेत्र में से दो (लावालौंग और पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी) में संरक्षित क्षेत्र पर नजर रखने और गश्ती दस्तों के लिए रात्रि शिविर के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए आवश्यक निगरानी मीनार नहीं थे। हालांकि, प्रमंडलो ने न तो उनकी आवश्यकता का आकलन किया था और न ही विभाग को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा था। आगे, शेष 10 संरक्षित क्षेत्रों में मौजूदा निगरानी मीनारों में गश्ती कर्मियों की नियमित तैनाती या गश्ती शिविर के रूप में उनके उपयोग के लिए उचित बुनियादी सुविधाएं जैसे रहने का कमरा, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, बिजली आदि नहीं थीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी में मौजूदा निगरानी मीनार से संरक्षित क्षेत्र की दृश्यता पेड़ों की वृद्धि **(चित्र 2.3)** के कारण सीमित थी।

राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की समिति ने भी पीटीआर में मौजूदा निगरानी मीनारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ उन्नत करने की अनुशंसा (जनवरी 2022) की थी ताकि उन्हें गश्ती शिविरों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जुलाई 2023 तक, पीटीआर के 114 निगरानी मीनारों में से केवल 30 निगरानी मीनारों (26 प्रतिशत) में शौचालय थे जबकि केवल 25 निगरानी मीनारों (22 प्रतिशत) में पीने के पानी की सुविधा थी।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि एनटीसीए की सुरक्षा लेखापरीक्षा टीम ने अपने दौरे के दौरान पीटीआर के सभी मानवयुक्त निगरानी मीनारों को अच्छी रेटिंग दी थी क्योंकि वहां स्थित सभी अवैध शिकार विरोधी शिविरों को उचित बुनियादी सुविधाएं

प्रदान की गई थीं। आगे यह कहा गया कि विशेष मरम्मत की आवश्यकता वाले निगरानी मीनारों की पहचान की जाएगी और जल्द से जल्द उनकी मरम्मत की जाएगी। हालाँकि, अन्य संरक्षित क्षेत्रों के निगरानी मीनारों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।

(v) ब्याघ्र संरक्षण बल का निर्माण

ब्याघ्र परियोजना के तहत, भारत सरकार ने पीटीआर के लिए ब्याघ्र संरक्षण बल (टीपीएफ) के दो दस्तों के निर्माण के लिए धनराशि को मंजूरी (अक्टूबर 2007) दी थी, ताकि संरक्षण को मजबूत करने के लिए क्षेत्र दल कर्मियों के प्रयासों को संवर्द्धित किया जा सके। प्रत्येक टीपीएफ को 10 पूर्व सैन्य कर्मियों (चार बंदूकधारियों सहित) और 15 स्थानीय लोगों के साथ बनाया जाना था। टीपीएफ को कैप्सूल फील्ड प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर रूप से उन्मुख किया जाना था और वायरलेस, हथियार, वाहन और कार्यों को करने के लिए उचित प्राधिकरण से लैस किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पीटीआर ने डीएफओ को टीपीएफ में कुशल कर्मियों को तैनात करने का निर्देश (अक्टूबर 2016) दिया था क्योंकि अकुशल कर्मियों की तैनाती से बाघों की निगरानी के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता था। हालांकि, प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान प्रत्येक वर्ष टीपीएफ में 89 से 130 अकुशल स्थानीय लोगों को तैनात किया और ₹ 4.26 करोड़ विमुक्त किए जाने के मुकाबले ₹ 4.24 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, कुशल कर्मियों की तैनाती के माध्यम से ब्याघ्र आरक्ष की सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीपीएफ में कभी भी कुशल कर्मियों को तैनात नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि पीटीआर में 300 ट्रैकर्स/टीपीएफ की एक मजबूत टीम है, जिनमें ज्यादातर स्थानीय लोग हैं, जो इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं और समय-समय पर विभिन्न प्रबंधन गतिविधियों में प्रशिक्षित हैं। ट्रैकर्स/टीपीएफ जानवरों के संकेत एकत्र करने, सर्वेक्षण करने और आवास वृद्धि कार्य में कुशल हैं।

हालांकि, तथ्य यह है कि पूर्व सैन्य कर्मियों को, आवश्यकतानुसार, टीपीएफ में तैनात नहीं किया गया था। इसके अलावा, टीपीएफ में तैनात स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। यह भी देखा गया कि मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक भी टीपीएफ में अकुशल कर्मियों की तैनाती से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे पीटीआर की निगरानी और सुरक्षा के लिए सक्षम नहीं थे।

अनुशंसा 7: विभाग पर्याप्त वाहनों, संचार उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों के साथ संरक्षित क्षेत्र की गश्त के लिए कुशल कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.1.3 मानव संसाधन का प्रबंधन

एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-16) में दावा किया गया था कि चुनौतीपूर्ण वन्यजीव संरक्षण परिदृश्य के लिए प्रतिबद्ध वन्यजीव प्रबंधकों की आवश्यकता है, जिनके पास वैज्ञानिक क्षमता और संचार कौशल के द्वारा सामाजिक जागरूकता हो। उन्हें संगठित आपराधिक तत्वों के विरुद्ध तीव्र पहचान और प्रवर्तन क्षमताओं की भी आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक के उपयोग सहित जैव विविधता की पूरी श्रृंखला के संरक्षण का ज्ञान रखने वाले कुशल वन्यजीव जीवविज्ञानी और सामाजिक वैज्ञानिक भी आवश्यक हैं। अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के पास भी जमीनी स्तर पर समान कौशल होना चाहिए। आगे, अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के निरंतर कौशल उन्नयन के लिए प्रत्येक राज्य में एक वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी प्रस्तावित था।

(i) अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी

विभाग के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के अनुसार, आरएफओ, वनपाल और वनरक्षी क्रमशः प्रक्षेत्र, बीट और सब-बीट की देखभाल करते हैं, और उन्हें संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति स्टाफ माना जाता है। वन्यजीव प्रमंडलो में मार्च 2019 और मार्च 2023 तक अग्रिम पंक्ति स्टाफ की स्वीकृत बल और कार्यरत बल **चार्ट 2.1** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.1: वन्यजीव प्रमंडलो में अग्रिम पंक्ति स्टाफ की स्वीकृत बल और कार्यरत बल

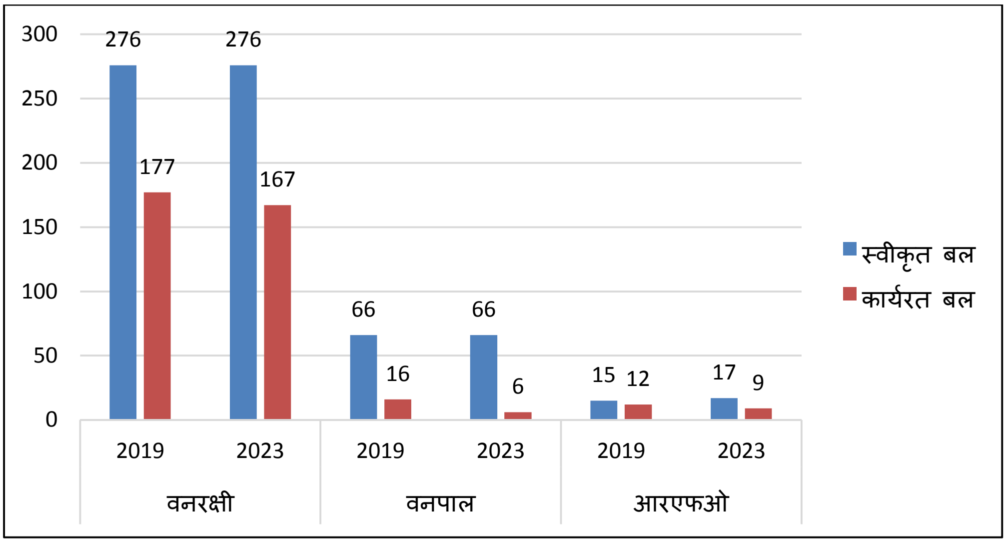

मार्च 2019 तक, 357 स्वीकृत बल के मुकाबले कार्यरत बल 205 (57 प्रतिशत) थी, जो मार्च 2023 में घटकर 182 (51 प्रतिशत) हो गई। हालांकि, विभाग ने 2018-23 के दौरान अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू नहीं किया था, यद्यपि 2018-30 के लिए झारखण्ड के विजन डॉक्यूमेंट में 2021 तक सभी रिक्तियों को भरने का लक्ष्य रखा गया था। अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी ने

योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया और संरक्षित क्षेत्र की अपर्याप्त सुरक्षा कारण बना।

लेखापरीक्षा ने क्षेत्र (प्रति वर्ग किमी) के संदर्भ में संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के स्वीकृत बल में विसंगतियों को भी देखा, जैसा कि **चार्ट 2.2** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2: संरक्षित क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की स्वीकृत बल के अनुसार प्रति वर्ग किमी प्रशासनिक क्षेत्र (प्रक्षेत्र, बीट और सब-बीट)

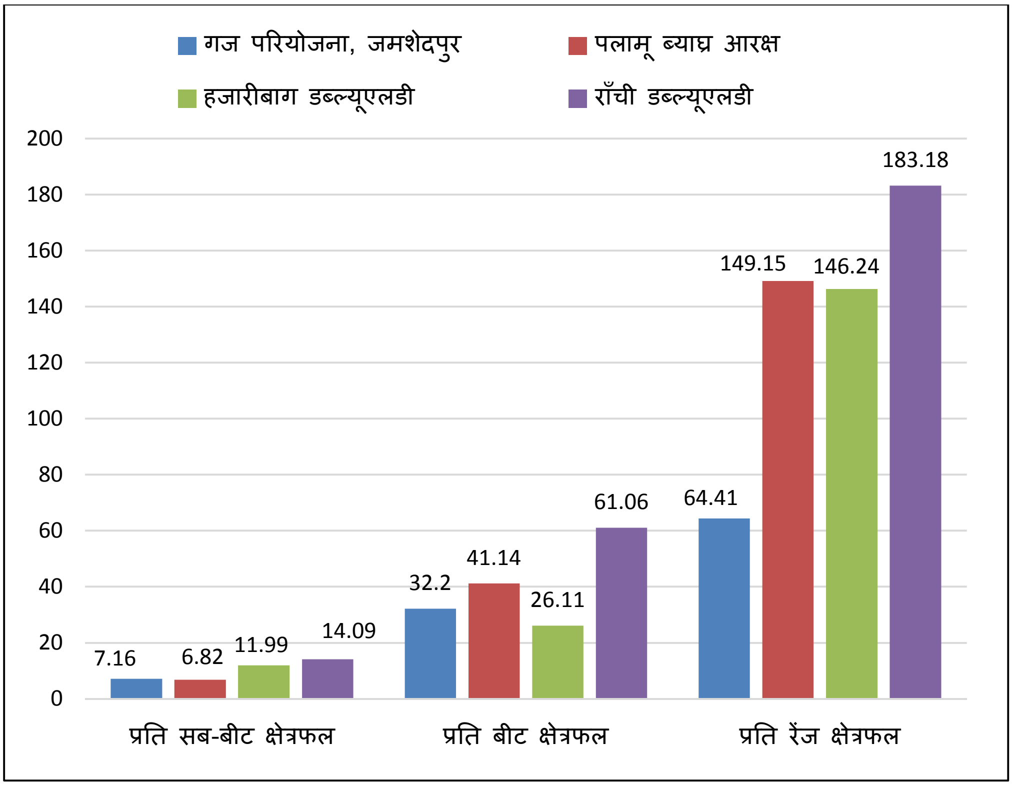

जैसा कि **चार्ट 2.2** में दिखाया गया है, प्रति उप-बीट प्रशासनिक क्षेत्र सात से 14 वर्ग किलोमीटर, प्रति बीट 26 से 61 वर्ग किलोमीटर और प्रति प्रक्षेत्र 64 से 183 वर्ग किलोमीटर तक था। इस प्रकार, कुछ संरक्षित क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्र प्रति अग्रिम पंक्ति कर्मचारी अन्य संरक्षित क्षेत्र की तुलना में दोगुने से भी अधिक थे, जो प्रक्षेत्र में कर्मचारियों के बंटवारे और तैनाती में विसंगतियों को दर्शाता है। आगे, स्वीकृत बल की तुलना में 49 प्रतिशत अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा अधिकारियों के कार्यभार में असामान्य वृद्धि हुई, जिसका संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने संरक्षित क्षेत्रों के अपर्याप्त प्रबंधन के पीछे एक कारण के रूप में अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी को भी मान्यता दी थी और अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या, अलग प्रक्षेत्र के निर्माण और विशेषज्ञ अधिकारियों के पद का प्रस्ताव दिया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- हजारीबाग (2020-30) और कोडरमा (2021-31) वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना ने क्रमशः तीन वनपालों और 14 वनरक्षियों के अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव दिया था।
- उधवा झील पक्षी आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2021-31) ने संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आंकड़ा संग्रहण के लिए उधवा में दो बीट और चार उप-बीट के साथ एक अलग प्रक्षेत्र का प्रस्ताव (जनवरी 2022) रखा था।
- इसके अतिरिक्त, प्रबंधन योजना ने संरक्षित क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए अनुसंधान कार्य करने, जंगली जानवरों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने तथा प्रमंडल और अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों[45] के पदों के सृजन का प्रस्ताव दिया था।

हालांकि, विभाग ने संरक्षित क्षेत्रों के लिए अग्रिम पंक्ति कर्मचारी के अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने या विशेष अधिकारियों के पद सृजित करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि 2018-23 के दौरान अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा लगातार राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था। हालांकि, भर्ती नियमों से संबंधित मुद्दों के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, जिसे अब सुलझा लिया गया है और भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ अधिकारियों के संबंध में कहा गया कि पीटीआर में तीन जीवविज्ञानी और दो पशु चिकित्सक तैनात किए गए हैं।

(ii) कौशल विकास

वन उप महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों को 'वनपालों और वनरक्षियों के प्रशिक्षण' पर मार्गदर्शिका निर्गत किए थे (मार्च 2013)। मार्गदर्शिका में वनपालों/ वनरक्षियों के लिए छः महीने का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण और प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए निर्धारित किए गए थे। विशेष कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में विशेष लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा, उचित कैरियर नियोजन के लिए प्रशिक्षुओं का एकीकृत डेटा बेस बनाए रखना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में वनपालों और वन रक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए तीन[46] प्रशिक्षण संस्थान हैं। हालांकि, नमूना जांचित प्रमंडलो में तैनात 175 वनरक्षियों में से, केवल 16 (नौ प्रतिशत) वनरक्षियों को छः महीने का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया गया था (जुलाई 2023 तक), जबकि 138 वनरक्षियों

---

45 अनुसंधान अधिकारी, प्रकृतिवादी, वायरलेस ऑपरेटर और पशु चिकित्सक।

46 वनपाल एवं वनरक्षी प्रशिक्षण स्कूल, चाईबासा, हजारीबाग एवं महिलौंग, रांची।

को केवल एक महीने का परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया गया था **(परिशिष्ट 2.12)**। 2018-23 के दौरान केवल 137 वनरक्षियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था। जुलाई 2023 तक रांची वन्यजीव प्रमंडल में तैनात 14 वनरक्षियों में से किसी को भी सेवा में शामिल होने के बाद से परिचयात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था (जुलाई और अगस्त 2017।

आगे, 175 वनरक्षियों में से केवल 57 वनरक्षियों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण (24 वनरक्षियों), वन अग्नि प्रबंधन (आठ वनरक्षियों), ट्रैंक्विलाइजेशन और संघर्ष शमन (16 वनरक्षियों), वन सर्वेक्षण (आठ वनरक्षियों) और प्रकृति गाइड (एक वनरक्षी) पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। पालकोट वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-30) ने अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के लिए वन्यजीव प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया था क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था। हालांकि, 2021-23 के दौरान पालकोट के 14 वनरक्षियों में से केवल चार को विभाग द्वारा ये प्रशिक्षण दिए गए।

इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों को अपेक्षित परिचयात्मक और विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्गत वनपालों और वनरक्षियों के प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शिका में परिकल्पित किया गया था। जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि 2017 में राज्य में 2,400 वनरक्षियों की भर्ती की गई थी। चूंकि, तीनों प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता केवल 240 थी, इसलिए संरक्षित क्षेत्रों में तैनात वनरक्षियों को केवल एक महीने का परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जा सकता था। औपचारिक छः महीने का परिचयात्मक प्रशिक्षण 2022-23 से शुरू किया गया है और सभी वनरक्षियों को जल्द से जल्द प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण के संबंध में बताया गया कि अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण नियमित आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं।

हालांकि, तथ्य यह है कि संरक्षित क्षेत्रों में तैनात अधिकांश वनरक्षियों को संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक छः महीने का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण और अन्य विशिष्ट कार्यस्थल पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

अनुशंसा 8: विभाग प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम पंक्ति स्टाफ और विशेषज्ञ अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है और आवश्यकतानुसार परिचयात्मक और विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

2.4.1.4 वन अपराधों की जांच

भारतीय वन अधिनियम, 1927(धारा 52) में प्रावधानित है कि जब यह मानने का कारण हो कि किसी वन-उपज के संबंध में वन-अपराध किया गया है, तो ऐसी उपज को सभी औजारों सहित किसी भी वन-अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति को जब्त करने वाले प्रत्येक अधिकारी को, यथाशीघ्र, अपराध की

सुनवाई करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसी जब्ती की प्रतिवेदन देनी होगी। आगे, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार की वन्यजीव अपराध जांच पुस्तिका, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि अपराधों की जांच क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अपराध प्रतिवेदन दर्ज करने के साथ शुरू होनी चाहिए और शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।

वन अपराधों को कम करने के लिए, सभी संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने संबंधित प्रमंडलो द्वारा अपराध पंजी का रखरखाव करने, आदतन अपराधियों की संचिकाओं को रखने, तथा कम से कम छः महीने में एक बार पुलिस के साथ अपराध संचिकाओं को साझा करने, तथा निकटवर्ती वन प्रमंडलो के साथ भी सूचना साझा करने का प्रस्ताव था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-23 के दौरान नमूना जांचित प्रमंडलो में 1,057 अपराधों की सूचना दी गई थी। हालांकि, इन अपराधों में से, मार्च 2023 तक संबंधित डीएफओ द्वारा केवल 748 मामलों (71 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 2.13)** के लिए अभियोजन प्रतिवेदन (अभियोजन प्रतिवेदन) अदालत में प्रस्तुत की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा (नमूनाजांचित 52 मामलों में) कि संबंधित डीएफओ ने अपराधों के पंजीकरण के बाद अदालत में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नौ से 68 महीने का समय लिया **(परिशिष्ट 2.14)**। नमूना जांचित प्रमंडलो में देखी गई अन्य कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- किसी भी निर्धारित समयसीमा के अभाव में, नमूना जांचित 52 मामलों में से आठ में **(परिशिष्ट 2.14)** अदालत में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में पांच साल से अधिक की देरी हुई।
- नमूना जांचित प्रमंडलो ने पुलिस तथा समीपवर्ती वन प्रमंडलो के साथ साझा करने के लिए अपराध संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और आदतन अपराधियों की दस्तावेज तैयार नहीं किया।
- नमूना जांचित प्रमंडलो ने जब्त की गई संपत्तियों की सूची नहीं बनाई, ताकि उनकी रिहाई, क्षय या निपटान की निगरानी की जा सके और संरक्षित क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों में उनके उपयोग की संभावना का आकलन किया जा सके।
- हजारीबाग वन्यजीव प्रमंडल ने दिशा-निर्देशों के अभाव में छः संरक्षित क्षेत्र[47] के 39 अभियोजन प्रतिवेदन में समान प्रकृति के अपराधों जैसे भूमि, पेड़ों, झाड़ियों आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजा और जुर्माना नहीं लगाया। इसके अलावा, हाथी परियोजना, जमशेदपुर और साहिबगंज वन प्रमंडल ने किए गए

[47] गौतम बुद्ध, हज़ारीबाग, कोडरमा, लावालौंग, पारसनाथ और तोपचांची।

अपराधों के खिलाफ कोई मुआवजा का निर्धारण या जुर्माना नहीं लगाया **(परिशिष्ट 2.14)**।

इस प्रकार, नमूनाजांचित प्रमंडलो में अपराध प्रबंधन प्रभावी नहीं था क्योंकि न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी हुई, अपराध क्षेत्रों की मैपिंग का अभाव था, पुलिस और समीपवर्ती वन प्रमंडलो के साथ सूचना साझा नहीं की गई और जब्त वस्तुओं की सूची का रखरखाव नहीं किया गया। अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी और संरक्षित क्षेत्र की अपर्याप्त गश्त के कारण अपराधों की कम रिपोर्टिंग या पहचान की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी/विलंब जांच अधिकारी स्तर पर रिक्तियों के कारण था और जांच की दिशा में सुधार की गुंजाइश है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है। उपलब्ध कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। मुआवजा वसूलने के संबंध में, यह कहा गया कि अपराध की गंभीरता को उजागर करने के लिए अभियोजन प्रतिवेदन में आरोप लगाए जाते हैं और केवल न्यायालयों को ही वास्तविक जुर्माना लगाने का अधिकार है।

मुआवजा न वसूलने के संबंध में उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है, क्योंकि हजारीबाग प्रमंडल ने न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले मुआवजा और जुर्माना लगाया था।

अनुशंसा 9: विभाग वन अपराधों की जांच और समयबद्ध तरीके से न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है।

2.4.2 वन अग्नि प्रबंधन

वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएफएफ), 2018, आग को रोकने पर जोर देती है और वन प्रबंधन नीतियों और कार्यक्रमों में आग के खतरों के खिलाफ वन की लचीलापन में सुधार को प्राथमिकता देने का सुझाव देती है। वन अग्नि प्रबंधन में अग्नि जोखिम क्षेत्रों के मैपिंग के माध्यम से योजना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा तकनीकी हस्तक्षेप, कुशल क्षेत्रीय कर्मचारियों, अग्नि निरीक्षकों और सामुदायिक अग्निशामकों के माध्यम से आग की रोकथाम, पहचान और दमन के लिए तंत्र विकसित किया जाता है। कार्य योजना आग प्रभावित क्षेत्र की प्राकृतिक रूपरेखा को बहाल करने के लिए आग के बाद के प्रबंधन पर जोर देती है।

2.4.2.1 अग्नि प्रबंधन योजना

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने वनों में लगने वाली आग की वास्तविक समय निगरानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के सहयोग से राज्य वन विभागों को अग्नि संकेतों के प्रसार की पहल (2016 से) की थी। भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन

(आईएसएफआर) 2021 ने झारखण्ड में कुल वन क्षेत्र (23,721 वर्ग किमी) के 11.33 प्रतिशत (2,686.97 वर्ग किमी[48]) को (i) अत्यधिक उच्च और (ii) उच्च अग्नि प्रवण क्षेत्र और शेष क्षेत्र[49] (21,034.03 वर्ग किमी) को मध्यम या कम अग्नि प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। तदनुसार, विभाग ने संरक्षित क्षेत्र (प्रमंडल-वार) में अग्नि प्रवण क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों की पहचान की थी (जनवरी 2023), जैसा कि **चार्ट 2.3** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.3: प्रमंडल-वार अग्नि प्रवण क्षेत्र

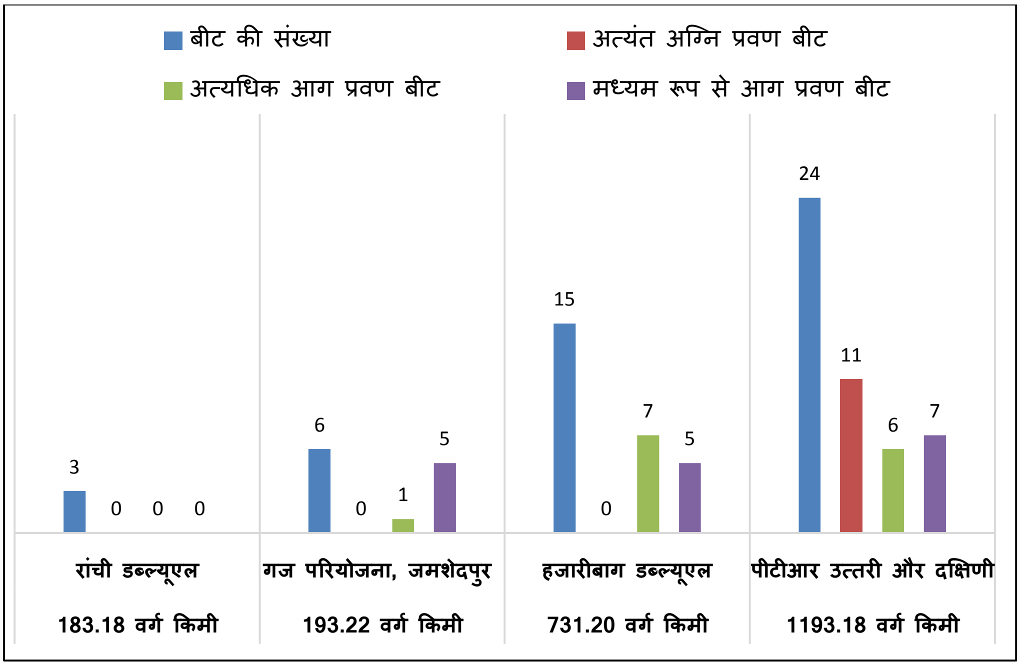

चार्ट 2.3 से देखा जा सकता है कि संरक्षित क्षेत्र में 48 बीटों में से 25 (52 प्रतिशत) अत्यंत या अत्यधिक आग प्रवण क्षेत्र में थे, जिनमें अधिकतम पीटीआर में थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-21 के दौरान इन तीन अग्नि मौसमों के दौरान एफएसआई द्वारा झारखण्ड को क्रमशः 6,221 (नवंबर 2018 से जून 2019), 2,613 (नवंबर 2019 से जून 2020) और 21,713 (नवंबर 2020 से जून 2021) अग्नि संकेत भेजे गए थे। 2020-21 के दौरान झारखण्ड में 1,082 बड़ी जंगल की आग की घटनाओं में से 514 घटनाओं में आग बुझाने में एक से पांच दिन लगे थे, जबकि 46 घटनाओं में छः से 10 दिन लगे थे और तीन घटनाओं में 11 से 14 दिन लगे थे। प्रमंडलीय अभिलेखों के अनुसार, 2018-23 के दौरान आग की घटनाओं के कारण संरक्षित क्षेत्र का 4,027 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था **(परिशिष्ट 2.15)**। नमूना जांचित प्रमंडलो ने एफएसआई द्वारा भेजे गए अग्नि संकेतो के आंकड़ों को संकलित

[48] अत्यधिक आग प्रवण: 47.36 वर्ग किमी., बहुत अधिक आग प्रवण: 480.45 वर्ग किमी. तथा अत्यधिक आग प्रवण: 2,159.16 वर्ग किमी.

[49] मध्यम रूप से आग प्रवण: 4,227.02 वर्ग किमी., तथा कम आग प्रवण: 16,807.01 वर्ग किमी.

नहीं किया था और इसलिए, लेखापरीक्षा इन संकेतो के विरुद्ध शुरू की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी।

आगे, संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना में हर साल अग्नि प्रबंधन योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, नमूना जांचित प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजनाएं तैयार नहीं की थीं। प्रमंडलो ने पिछले अग्नि घटनाओं के कारणों, प्रभाव और तीव्रता का विश्लेषण किए बिना या उचित आवश्यकता का आकलन किए बिना विभाग के पास अग्नि शमन उपायों जैसे अग्नि रेखाओं के रखरखाव और अग्निशमन दस्तों की तैनाती के लिए निधियों की मांग रखी थी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि राज्य में वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत अग्नि रेखाओं के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य किया गया था। अग्नि कार्य योजना और अग्नि मानचित्र तैयार कर लिए गए हैं तथा कार्रवाई प्रतिवेदन एफएसआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अग्नि कार्य योजना तैयार करने और अग्नि अलर्ट पर कार्रवाई प्रतिवेदन के संबंध में उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमंडलो ने अग्नि कार्य योजना और 2018-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्र में हुई अग्नि घटनाओं **(परिशिष्ट 2.15)** के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके।

2.4.2.2 अग्नि रेखाओं का रख-रखाव

राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, 2018 में पूर्व की अग्नि घटनाओं के आंकड़ों, वनों के प्रकार, बस्तियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए अग्नि रेखाओं[50] के रख-रखाव की स्थिति, कार्यक्षमता और पर्याप्तता की समीक्षा और नई अग्नि रेखाओं का आकलन निर्धारित किया गया है।

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित अंतराल पर निरीक्षण के लिए मौजूदा अग्नि रेखाओं की मैपिंग और सफाई, नई अग्नि रेखाओं को काटने और प्रक्षेत्र-वार अग्नि रेखा पंजी के रखरखाव का भी प्रस्ताव दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2023 तक संरक्षित क्षेत्र में अग्नि रेखाओं/ट्रेन्च की लंबाई 1,268 किमी थी **(परिशिष्ट 2.16)**। 2018-22 के दौरान अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में 224.09 हेक्टेयर से 2,009.07 हेक्टेयर तक की वृद्धि **(परिशिष्ट 2.15)** के बावजूद, 2018-23 के दौरान केवल 635 (50 प्रतिशत) से 727 किमी (57 प्रतिशत) अग्नि रेखाओं को सूखे पत्तों और झाड़ियों से साफ किया गया था। अग्नि रेखाओं के रखरखाव और आवश्यकता आकलन में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

---

50 यह उन साफ़ या नियंत्रित क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए अवरोध पैदा करने के लिए वनस्पति को हटा दिया गया है। ये रेखाएँ आग की प्रगति को धीमा करने और अग्निशमन प्रयासों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक रोकथाम उपाय के रूप में कार्य करती हैं।

- पीटीआर, उत्तरी प्रमंडल ने 2017-18 तक पीटीआर में 367 किलोमीटर लंबी अग्नि रेखाएँ बताई थीं। 2018-19 से यह घटकर 121 किलोमीटर रह गई है, जबकि पीटीआर के 24 बीट[51] में से 17 बीट अत्यंत/अत्यधिक अग्नि प्रभावित क्षेत्र में हैं।
- महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में 145 किलोमीटर की अग्नि रेखाएँ का रखरखाव 2018-23 के दौरान बिल्कुल नहीं किया गया, जबकि 2018-20 और 2022-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्र में 59.24 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आग की घटनाओं के 37 मामले सामने आए। प्रमंडल द्वारा 2020-22 के आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया था।
- संरक्षित क्षेत्र में अग्नि रेखाएं की लंबाई 0.27 किमी प्रति वर्ग किमी (कोडरमा वन्य जीव आश्रयणी) और 2.29 किमी प्रति वर्ग किमी (महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी) के बीच थी। जबकि, पीटीआर में, जिसमें सबसे अधिक अग्नि प्रभावित क्षेत्र था, अग्नि रेखाएं की लंबाई केवल 0.41 किमी प्रति वर्ग किमी थी।
- नमूना जांचित प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान नई अग्नि रेखाओ की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था और न ही निर्धारित प्रक्षेत्रवार अग्नि रेखा पंजी का रखरखाव किया गया था।

इस प्रकार, प्रमंडलो ने न तो संवेदनशील अग्नि प्रवण क्षेत्रों के संबंध में अग्नि रेखाओं की आवश्यकता का आकलन किया और न ही संरक्षित क्षेत्र में अग्नि घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अग्नि रेखाओं का रखरखाव किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि अग्नि रेखाओं की सफाई और रखरखाव निधि की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है जो आवश्यकता से कम है। यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में प्रबंधन योजना के निर्धारण की समीक्षा की जाएगी।

अपर्याप्त निधियों के बारे में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमंडलो द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना या वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजना तैयार किए बिना अग्नि रेखाओं के रखरखाव के लिए निधि की मांग की गई थी।

2.4.2.3 अग्निशमन कौशल और उपकरण

राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, 2018 में अग्निशमन में शामिल क्षेत्रदल अधिकारियों/कर्मचारियों, मौसमी अग्निशमन कर्मियों और सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई थी। उन्हें लीफ लिटर ब्लोअर और सुरक्षात्मक कपड़ों सहित पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों से लैस किया जाना था। अत्यधिक आग

[51] जिसमें महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी की बीट भी शामिल हैं।

लगने वाले क्षेत्रों में आग लगने के मौसम से पहले मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था। संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजनाओं के आधार पर अग्निशमन कर्मियों के कौशल विकास और अग्निशमन उपकरणों जैसे अग्निशामक यंत्र, गमबूट, अग्निरोधी सूट आदि की खरीद का भी निर्धारण किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान अग्निशमन दस्ते में तैनात कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की थी या अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। नमूना जांचित प्रमंडलो में 2018-23 के दौरान अग्नि संभावित किसी भी बीट में मॉक ड्रिल भी आयोजित नहीं की गई थी। नमूना जांचित प्रमंडलो में अग्निशमन दस्तों का मूवमेंट पंजी भी नहीं रखा था, जो आवश्यक थी। नतीजतन, लेखापरीक्षा के दौरान अग्निशमन दस्तों की क्षेत्र-विशिष्ट आवाजाही और प्रतिक्रिया समय का आकलन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अग्निशमन दस्ते (आमतौर पर पांच व्यक्तियों से युक्त) को आग के मौसम के दौरान 12 संरक्षित क्षेत्रों में से केवल सात में तैनात किया गया था **(परिशिष्ट 2.10)**। पीटीआर, महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी और पालकोट वन्य जीव आश्रयणी में 2018-23 के दौरान कोई अलग से अग्निशमन दस्ता तैनात नहीं किया गया था। पीटीआर और महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में आग की घटनाओं को कम करने के लिए, प्रमण्डल सामुदायिक स्वयंसेवकों पर निर्भर थे, जबकि पालकोट वन्य जीव आश्रयणी में इसे त्वरित प्रतिक्रिया टीमों[52] द्वारा संभाला गया था।

नमूना जांचित प्रमण्डलो ने अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया। मार्च 2023 तक, प्रमण्डलो के पास उपलब्ध 216 अग्निशामक यंत्रों में से 163 (75 प्रतिशत) काम में लाने योग्य अग्निशामक यंत्र थे। प्रति वर्ग किलोमीटर काम में लाने योग्य अग्निशामक यंत्रों और अग्निशमन दस्तों की उपलब्धता अलग-अलग संरक्षित क्षेत्र में असंगत थी, जैसा कि **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

---

[52] मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए एक विध्वंस-विरोधी टीम का गठन किया गया।

2.4: संरक्षित क्षेत्र में सेवा योग्य अग्निशामक यंत्रों और अग्निशमन दस्तों की उपलब्धता (प्रति वर्ग किलोमीटर) में विसंगति

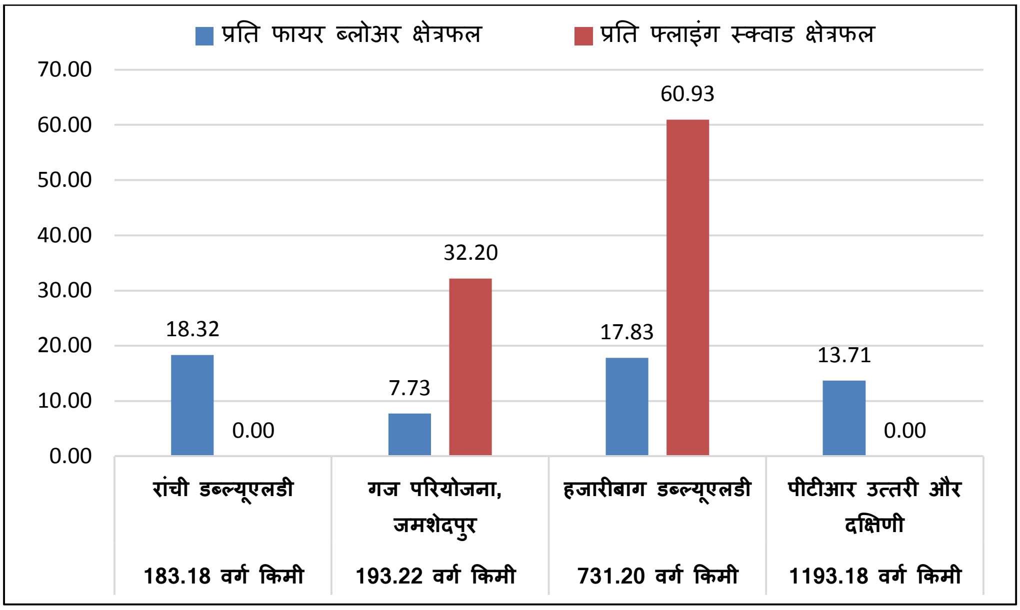

चार्ट 2.4 से देखा जा सकता है कि नमूना जांचित प्रमण्डलो ने उपयोगी अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता और अग्निशमन दस्तों की तैनाती के मामले में एक समान पैमाने नहीं अपनाए थे। आगे, अत्यधिक/अधिक प्रभावित अग्नि प्रवण बीट के मुकाबले अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता भी अनियमित थी क्योंकि पीटीआर (महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी सहित) में ऐसे बीट का 71 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद प्रति 14 वर्ग किमी में एक अग्निशामक यंत्र था, जबकि हाथी परियोजना (दलमा वन्यजीव आश्रयणी) में ऐसे बीट का 17 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद प्रति आठ वर्ग किमी में एक अग्निशामक यंत्र था। इसके अतिरिक्त, हाथी परियोजना[53], जमशेदपुर को छोड़कर नमूना जांचित पांच प्रमण्डलो के पास न तो अग्निशमन किट[54] थे और न ही 2018-23 के दौरान उन्हें खरीदा गया था।

इस प्रकार, नमूना जांचित प्रमण्डलो ने अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था या न ही अग्निशमन में लगे स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। आगे, प्रमण्डलो में अग्नि प्रवण क्षेत्रों में अग्निशामक यंत्रों की तर्कसंगत उपलब्धता और अग्निशमन दस्तों की तैनाती भी सुनिश्चित नहीं की गई थी, जिसके कारण 2018-22 के दौरान आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई।

जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता का अब आकलन किया गया है और 2023-24 और

53 प्रमण्डल ने 2018-19 के दौरान 20 अग्निशमन किट खरीदे।

54 फायर जैकेट, गमबूट, अग्निशमन अर्क, फायर हुक, फायर ग्लास, हेलमेट, आदि।

2024-25 में अधिक अग्निशामक यंत्र और अग्निशमन किट की खरीद के लिए प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया कि आवश्यकतानुसार अग्नि सुरक्षा दस्ते गठित किए गए हैं और आग की घटनाओं के प्रभाव को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है। पीटीआर में, प्रत्येक गांव के लिए ग्रामीणों की एक अलग टीम को अग्निशमन दल के रूप में नियोजित किया जा रहा है, जबकि पालकोट वन्य जीव आश्रयणी में, अग्नि मौसम के दौरान अग्नि पहरेदार को नियोजित किया जाता है।

आवश्यक अग्निशमन दस्ते के गठन के संबंध में विभाग का तर्क आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमण्डलों ने अग्निशमन दस्तों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना में निर्धारित अग्नि मौसम से पहले अग्निशमन के लिए नियुक्त कर्मचारियों और ग्रामीणों को प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.4.2.4 अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार

राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, 2018 में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए उनकी प्राकृतिक रूपरेखा को बहाल करने के लिए एक उचित पुनरुद्धार योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई थी। भूमि की नमी धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मृदा नमी संरक्षण उपायों को अपनाया जाना था और अग्नि प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर स्वदेशी वनस्पति अवरोधों का निर्माण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-23 के दौरान 4,027 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र आग से प्रभावित हुए थे **(परिशिष्ट 2.15)**। हालाँकि, नमूना जाँचित प्रमण्डलो ने न तो आग से होने वाले नुकसान का आकलन किया था और न ही अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई पुनरुद्धार योजना तैयार की थी। पुनरुद्धार योजनाओं की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण की चालू योजनाओं के अंतर्गत आते हैं या नहीं। इस प्रकार, नमूना-जांचित प्रमण्डलों ने अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की प्राकृतिक रूपरेखा की बहाली सुनिश्चित नहीं की।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि वनों की आग की प्रकृति ज्यादातर जमीन/सतह की आग थी, जिससे न्यूनतम नुकसान हुआ। यह भी कहा गया कि अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की पुनरुद्धार प्रबंधन योजना में निर्धारित है, और तदनुसार संबंधित संरक्षित क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि नमूना जांचित संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना में पुनरुद्धार के उपाय निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की पुनरुद्धार के लिए 2018-23 के दौरान कार्यान्वित की गई गतिविधियों का साक्ष्य, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अनुशंसा 10: विभाग अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजनाओं और पुनरुद्धार योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित कर सकता है। विभाग अग्निशमन कर्मियों का प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल का आयोजन और अग्निशमन दस्तों के लिए पर्याप्त अग्निशमन किट, संचार उपकरण और अग्निशामक यंत्र प्रदान करना भी सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.3 पर्यावास प्रबंधन

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-2 (2002-16) में कहा गया है कि बढ़ते कृषि, औद्योगिक और जनसांख्यिकीय दबाव के कारण वन्यजीव और जैव-विविधता के भंडार या तो सिकुड़ गए हैं या गायब हो गए हैं। इसलिए, मुख्य प्रबंधन उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों को प्रतिकूल प्रभाव से बचाना और प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देना होना चाहिए, क्योंकि यह जंगली स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों की शाश्वतता या वापसी सुनिश्चित करने का सबसे पक्का तरीका है। आगे, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण क्षेत्रों और क्षीण पर्यावासों की पहचान की जानी चाहिए और इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधन उपाय तैयार किए जाने चाहिए।

2.4.3.1 वन आवरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झारखण्ड में वर्ष 2015 में अभिलेखित वन क्षेत्र (आरएफए) 23,605 वर्ग किमी था और वर्ष 2016 में 25,118 वर्ग किमी था। हालांकि, झारखण्ड में आरएफए के अंतर्गत वन क्षेत्र[55] 2015 में 51 प्रतिशत और 2021 में 49 प्रतिशत था, जो 2015 में 62 प्रतिशत और 2021 में 67 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत[56] से कम था। 2015 की तुलना में 2021 में आरएफए और वन आवरण में बदलाव **तालिका 2.3** में दिखाया गया है।

तालिका 2.3: झारखण्ड में आरएफए और वन आवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

श्रेणियां	आईएसएफआर, 2015	आईएसएफआर, 2021	2015 से 2021 में बदलाव
अभिलेखित वन आवरण	23,605	25,118	(+)1,513
कुल वन आवरण	23,478	23,721	(+)243
आरएफए के अंदर वन आवरण	12,149	12,282	(+)133
आरएफए के बाहर वन आवरण	11,329	11,439	(+)110

---

55 वृक्षों से आच्छादित भूमि का क्षेत्र, जिसे किसी भी भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें वृक्ष छत्र घनत्व कम से कम 10 प्रतिशत हो तथा क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से अधिक हो।

56 आईएसएफआर 2015 के अनुसार, 4,10,806 वर्ग किमी (केवल 12 राज्यों के लिए) के आरएफए के मुकाबले, आरएफए के अंतर्गत वन क्षेत्र 2,53,373 वर्ग किमी था।

जैसा कि **तालिका 2.3** में दिखाया गया है, 2015 की तुलना में 2021 में झारखण्ड में आरएफए में 1,513 वर्ग किमी की वृद्धि हुई। हालांकि, वन आवरण में केवल 133 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, हालांकि विभाग ने कई वानिकी योजनाएं लागू की थीं **(परिशिष्ट 2.6)**।

भूमि उपयोग भूमि कवर (एलयूएलसी) आंकड़े के अनुसार, 4,228.95 वर्ग किमी[57] क्षेत्र को आवृत्त करने वाले 12 संरक्षित क्षेत्र के, 2017 की तुलना में 2021 में संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र में 67.89 वर्ग किमी (2.60 प्रतिशत) की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान, इन 12 संरक्षित क्षेत्रों में खुला मैदान में 75.04 वर्ग किमी (13.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और निर्मित क्षेत्र में 22.43 वर्ग किमी (22.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पेड़ों से आवृत्त क्षेत्र में अधिकतम कमी गौतम बुद्ध वन्य जीव आश्रयणी (18 प्रतिशत से), लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी (9 प्रतिशत से) और पीटीआर (1 प्रतिशत से) में देखी गई। पेड़ों से आवृत्त क्षेत्र में कमी और निर्मित तथा खाली क्षेत्रों में वृद्धि मुख्य रूप से पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्रीय मास्टर प्लान के गैर-कार्यान्वयन **(कंडिका 2.2.6)** और संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अपर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण उपायों **(कंडिकाएँ 2.4.1** और **2.4.2)** के कारण हुई।

इस प्रकार, विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न वानिकी योजनाओं पर नमूना जांचित प्रमंडलों में ₹ 356.64 करोड़ **(कंडिका 2.3.2)** का व्यय किए जाने के बावजूद, संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन आवरण में सुधार नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण वाले या अतिक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य किए जाते हैं। यह भी कहा गया कि विभाग द्वारा प्रमुख आवास बहाली कार्यों के माध्यम से वन और वृक्ष आवरण में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में, यह कहा गया कि संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ों से आवृत्त क्षेत्र में कमी की जांच संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

2.4.3.2 वन्यजीव आबादी

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जंगली जानवरों को छः अनुसूचियों (I से VI) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में मुख्य रूप से तेंदुए, भेड़िये, भालू, हिरण, हाथी, सियार, चीतल, सांभर, जंगली सूअर, लकड़बग्घा आदि पाए जाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संरक्षित क्षेत्रों में अनुमानित कुल वन्यजीव

---

[57] इस क्षेत्र में 2,155.76 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर 2,073.19 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल (रैयती, सरकारी आदि) शामिल है। इस क्षेत्र को आठ श्रेणियों में मैप किया गया था, जैसे कि खाली जमीन, निर्मित क्षेत्र, फसलें, बाढ़ वाली वनस्पति, घास, झाड़ियाँ, पेड़ और पानी।

आबादी 2017-18 में 20,028 से घटकर 2020-21 में 19,882 हो गई है। विभाग ने 2021-22 के दौरान सात[58] संरक्षित क्षेत्र में वार्षिक पशु गणना नहीं की। वन्यजीवों की वर्षवार अनुमानित आबादी **चार्ट 2.5** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.5: वन्यजीव आबादी

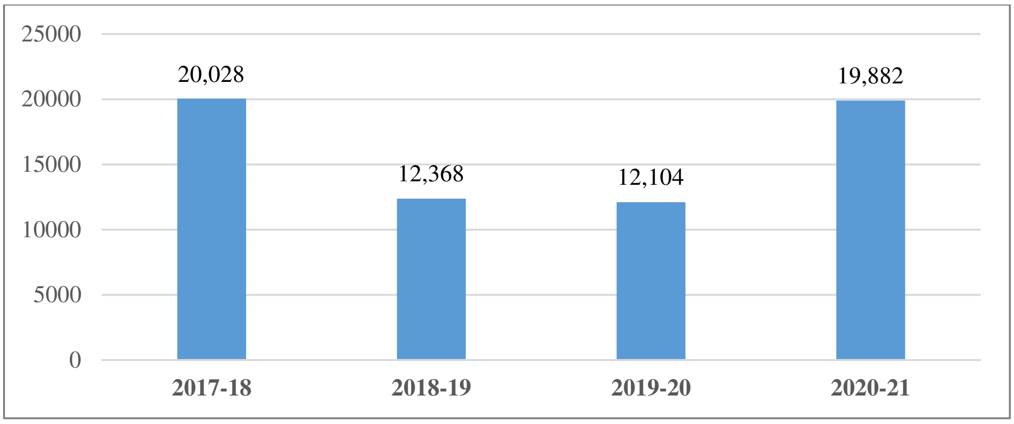

चार्ट 2.5 से देखा जा सकता है कि 2018-19 और 2019-20 के दौरान अनुमानित वन्यजीव आबादी में भारी गिरावट आई है। पिछले वर्ष की आबादी की तुलना में 2018-19 में वन्यजीव आबादी में 38 प्रतिशत (7,660 की कमी) और 2020-21 में 64 प्रतिशत (7,778 की वृद्धि) का व्यापक उतार-चढ़ाव इस बात की संभावना को दर्शाता है कि विभाग ने ट्रांसेक्ट वॉक और वाटरहोल डेटा रिकॉर्डिंग के माध्यम से एकत्र किए गए जनगणना आंकड़ा को मान्य करने के लिए वैज्ञानिक जनगणना तंत्र जैसे कि थर्ड आई निगरानी, स्कैट विश्लेषण, फुटमार्क सर्वेक्षण आदि को नहीं अपनाया था। चार वर्षों (2017-21) के दौरान पालकोट वन्य जीव आश्रयणी **(परिशिष्ट 2.17)** में जंगली जानवरों की संख्या में छः गुना वृद्धि (669 से 4,333) और 2020-21 के दौरान पीटीआर में 25 तेंदुओं की अचानक पहचान, जहां 2017-20 **(परिशिष्ट 2.18)** के दौरान कोई तेंदुआ नहीं देखा गया था, ने भी इंगित किया कि जनगणना वैज्ञानिक रूप से नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

- संरक्षित क्षेत्र में प्रति वर्ग किमी जंगली जानवरों की जनसंख्या घनत्व में दो (लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी) और 24 (पालकोट वन्य जीव आश्रयणी) प्रति वर्ग किमी के बीच व्यापक भिन्नता थी **(परिशिष्ट 2.17)**। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) प्रतिवेदन 2017-18 ने भी गौतम बुद्ध और लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी में बेहद कम वन्यजीव आबादी की ओर इशारा किया। हालाँकि, विभाग संरक्षित क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक आवासों में सुधार नहीं कर सका और वन्यजीव गलियारों को सुरक्षित नहीं कर सका, जैसा कि **कंडिका 2.2.3** में चर्चा की गई है।

58 हज़ारीबाग़, लावालौंग, कोडरमा, गौतम बुद्ध, तोपचांची, पारसनाथ और पालकोट।

- अनुसूची I से III **(परिशिष्ट 2.18)** में शामिल पांच[59] सामान्य जानवरों की आबादी में परिवर्तन की प्रवृत्तियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि हिरण (ट्रैगियस मोमिमा), अनुसूची I जानवर; बंदर और लंगूर (अनुसूची II); और लकड़बग्घा और जंगली सूअर (अनुसूची III), की संख्या में काफी कमी आई है, मुख्य रूप से तोपचांची, पारसनाथ, पीटीआर, कोडरमा और गौतम बुद्ध संरक्षित क्षेत्र में।
- 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार, राज्य में केवल एक[60] बाघ था, हालांकि राज्य में एक समर्पित बाघ संरक्षण अभयारण्य है, जिस पर 2018-23 के दौरान ₹ 277.70 करोड़ खर्च किए गए थे और जहां 2000 से 2005 के दौरान 34 से 46 बाघों का पता लगाया गया था।

इस प्रकार, झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में समग्र वन्यजीव आबादी में पिछले कुछ वर्षों में सुधार नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव को कम करके जंगली जानवरों के लिए अछूते स्थान का निर्माण न करना, मांसाहारियों के लिए शिकार के आधार की कमी, शाकाहारी जानवरों के लिए अपर्याप्त चारागाह और वन्यजीव जीवों के लिए अनुकूल वातावरण की कमी है।

विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी का घनत्व कम है और कहा कि इसे संबोधित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में गहन स्थल-विशिष्ट आवास सुधार कार्य शुरू किए गए हैं। विभाग ने आगे कहा कि संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी के अनुमान में, जंगली जानवरों की संख्या के साथ-साथ प्रजातियां समय, गिनती के मौसम और जानवरों की गतिविधि के आधार पर भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रक्रिया केवल अनुमान है और इसे पूर्ण आंकड़े नहीं माना जा सकता है। पीटीआर में बाघों की उपस्थिति के संबंध में, यह कहा गया कि बीच की अवधि में बाघों की संख्या में गिरावट विभिन्न सुरक्षा मुद्दों और गिनती के तरीके के कारण थी। पीटीआर ने 2024-25 के दौरान चार बाघों की उपस्थिति की सूचना दी है।

वार्षिक आकलन के दौरान वन्यजीवों की संख्या और प्रजातियों में उतार-चढ़ाव के बारे में उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने जंगली जानवरों की संख्या में बड़े अंतर या कुछ प्रजातियों के अचानक दिखने के बाद भी जनगणना के आंकड़ों को मान्य करने के लिए अन्य वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि थर्ड आई निगरानी प्रणाली, स्कैट विश्लेषण, पदचिह्न सर्वेक्षण आदि को नहीं अपनाया था।

अनुशंसा 11: विभाग संरक्षित क्षेत्र में वन/वृक्ष आवरण में कमी के कारणों का पता लगाने और उपयुक्त शमन उपायों का सुझाव देने के लिए वानिकी योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करने पर विचार कर सकता है। संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीव आबादी

---

[59] हिरण, लकड़बग्घा, लंगूर, बंदर और जंगली सूअर।

[60] स्कैट डीएनए आधारित जनसंख्या।

के आकलन के लिए वैज्ञानिक जनगणना पद्धति अपनाई जा सकती है और उचित संरक्षण योजना तैयार की जा सकती है।

2.4.3.3 उधवा झील पक्षी आश्रयणी का प्रबंधन

उधवा झील पक्षी आश्रयणी (क्षेत्रफल: 5.65 वर्ग किमी.), अगस्त 1991 में अधिसूचित, दो जल चैनलों[61] से जुड़ी दो[62] झीलों से घिरा हुआ है। झीलें प्रचुर मात्रा में जलीय वनस्पतियों और मछली जीवों का समर्थन करती हैं और पक्षियों के घोंसले बनाने, प्रजनन और बसेरा करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान करती हैं। आश्रयणी भारत का एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे[63] के प्रवासी मार्ग पर स्थित है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए इन राममनी एट अल., 2016) के रूप में भी पहचाना गया है। 2009-18 के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार, आश्रयणी में 39 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों सहित पक्षियों की 146 प्रजातियाँ पाई गईं थी।

उधवा झील पक्षी आश्रयणी की प्रबंधन योजना (2005-06 से 2015-16) (i) जलीय वनस्पतियों और जीवों के लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और दुर्लभ तत्वों पर जोर देते हुए जैव-विविधता का संरक्षण करना (ii) गाद और अप्रिय खरपतवार संक्रमण को नियंत्रित करना (iii) झील के पानी के रसायन और इसकी जैविक संरचना का अध्ययन और निगरानी करना (iv) निवासी और प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ जलीय वनस्पतियों की चेकलिस्ट को अद्यतन करना और (v) आश्रयणी के आवास सुधार कार्यक्रमों और प्रबंधन के लिए तत्काल कदम उठाना के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आश्रयणी में पक्षियों की संख्या 2017-18 के दौरान 3,434 से बढ़कर 2018-19 में 3,882 हो गई, लेकिन उसके बाद 2019-20 (3,765) और 2020-21 (3,260) के दौरान घट गई। प्रबंधन योजना (2021-31) के अनुसार, आश्रयणी के अंदर आवश्यक अवसंरचना का निर्माण न होने के कारण पक्षी आश्रयणी का विकास खतरे में पड़ गया था। बरहेल झील, हाथीदह नाला में गाद जमा होने और उधवा नाला में मानसून के बाद पानी के प्रतिकूल प्रवाह के कारण गर्मी के मौसम में सूख जाती है। इसलिए, प्रबंधन योजना ने नालों की गाद निकालने और उन्हें गहरा करने तथा उधवा नाला के मुहाने पर जलद्वार गेट के साथ एक संरचना के निर्माण का प्रस्ताव रखा ताकि पानी के प्रतिकूल प्रवाह को रोका जा सके और पूरे वर्ष झील में एक समान जल स्तर बनाए रखा जा सके। हालांकि, जुलाई 2023 तक संबंधित

---

[61] हाथीदह नाला और उधवा नाला।

[62] बरहले (410 हेक्टेयर) और पतौरा (155 हेक्टेयर) झीलें।

[63] मध्य एशिया में फैला एक प्रमुख प्रवासी मार्ग, जो साइबेरिया और उत्तरी एशिया के आर्कटिक क्षेत्रों से लेकर दक्षिण एशिया तक फैला हुआ है।

प्रमंडल द्वारा गाद निकालने और जलद्वार गेट के साथ एक संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था।

आगे, भारत सरकार जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के अंतर्गत आर्द्रभूमि[64] के प्रबंधन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रमंडल ने आर्द्रभूमि के सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए रामसर[65] सम्मेलन के अनुसार आश्रयणी को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित करने के लिए विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था (मई 2023)। हालांकि, विभाग ने मार्च 2024 तक आश्रयणी को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया था, यद्यपि यह राष्ट्रीय वेटलैंड एटलस, 2010[66] में दिखाई दिया था। नतीजतन, विभाग ने भारत सरकार से एनपीसीए के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर खो दिया।

विभाग ने 2019-21 के दौरान आश्रयणी में पक्षियों की कम संख्या के पीछे प्रवासी पक्षियों के आगमन में कमी (अगस्त 2024) को कारण बताया। आगे बताया गया कि आश्रयणी को रामसर साइट घोषित करने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और आश्रयणी को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए राज्य प्राधिकरण को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रीय एनपीसीए के अंतर्गत तैयार एकीकृत प्रबंधन योजना (आईप्रबंधन योजना) में संचार, अवसंरचना और अनुसंधान गतिविधि में सुधार के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में विभाग ने आश्वासन दिया कि आश्रयणी को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.4.3.4 पीटीआर का प्रबंधन

बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने झारखण्ड के पीटीआर सहित देश भर के नौ बाघ अभयारण्यों में ब्याघ्र परियोजना की शुरुआत की (अगस्त 1974)। इस योजना का उद्देश्य पूरे बायोटॉप[67]के संरक्षण पर ध्यान देना और मुख्य क्षेत्र से शिकार, चराई, वनों की कटाई और अन्य परेशान करने वाले कारकों को खत्म करने के लिए विशेष उपाय करना है।

---

64 एनपीसीए, 1986 में शुरू हुए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूसीपी) और 2001 में शुरू हुए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के विलय के बाद फरवरी 2013 में प्रभावी हुआ।

65 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिस पर यूनेस्को के तत्वावधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। भारत ने सितंबर 1982 में रामसर कन्वेंशन को मंजूरी दी। यह वेटलैंड्स के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान करता है।

66 अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और झारखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा तैयार किया गया।

67 एक समान पर्यावरणीय स्थिति वाला क्षेत्र, जो पौधों और जानवरों के एक विशिष्ट समूह को रहने का स्थान प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा-38V में बाघ अभयारण्य के उचित प्रबंधन के लिए एक ब्याघ्र संरक्षण योजना (टीसीपी) तैयार करने की परिकल्पना की गई है ताकि अभयारण्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आवास में प्राकृतिक शिकार-शिकारी पारिस्थितिक चक्र को विकृत किए बिना बाघों की व्यवहार्य आबादी के लिए सह-शिकारियों और शिकार जानवरों के लिए क्षेत्र विशिष्ट आवास इनपुट प्रदान करना है। तदनुसार, पीटीआर की टीसीपी (2013-14 से 2022-23) को एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया (नवंबर 2015)। टीसीपी ने बाघ और उसके शिकार की सुरक्षा और प्रबंधन, मानवजनित दबाव में कमी और अछूते आवासों के निर्माण के लिए एक ठोस और वैज्ञानिक सूचना आधार स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। टीसीपी का उद्देश्य बाघों, सह-शिकारियों और आहार की घटती आबादी की प्रवृत्ति को उलटना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2000 से 2005 के बीच पीटीआर में 34 से 46 बाघ थे। हालांकि, उसके बाद पीटीआर में बाघों की संख्या[68] में लगातार कमी होती गई और 2022 में केवल एक बाघ पाया गया, जबकि तुलनात्मक रूप से पूरे भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, जो 2006 में 1,411 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई। इसी तरह, पीटीआर में अनुमानित आहार उपलब्धता 2012-13 में 85,666 से घटकर 2022-23 में 4,411 हो गया, जो पीटीआर में बाघों की संख्या में कमी के पीछे प्रमुख कारणों में से एक था। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और 2018-23 के दौरान पीटीआर के संरक्षण पर ₹ 277.70 करोड़ (प्रशासनिक व्यय सहित) खर्च करने के बावजूद पीटीआर में बाघों की आबादी विलुप्त होने के कगार पर है।

लेखापरीक्षा के दौरान पीटीआर के संरक्षण और सुरक्षा में पाई गई प्रमुख कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (धारा 4) के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम ,1972 (धारा 38V), वन्यजीव संरक्षण के लिए अछूते क्षेत्रों के निर्माण के उद्देश्य के लिए वन अधिकार धारकों को परस्पर सहमत शर्तों पर मुख्य या महत्वपूर्ण आवासों से स्वैच्छिक पुनर्वास की परिकल्पना करता है।

लेखापरीक्षा ने टीसीपी (2013-23) से देखा कि मुख्य/महत्वपूर्ण ब्याघ्र पर्यावास के अंदर आठ[69] गांव थे, जो पीटीआर पर अलग-अलग मात्रा में जैविक दबाव डाल रहे थे। भारत सरकार ने आठ गांवों में से दो (लाटू और कुजरुम) के लिए पुनर्वास

[68] भारत में बाघों, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति रिपोर्ट, 2022 (एनटीसीए द्वारा प्रकाशित): 2006 (भारत: 1,411 और झारखण्ड: 0), 2010 (भारत: 1,706 और झारखण्ड: 10), 2014 (भारत: 2,226 और झारखण्ड: 3), 2018 (भारत: 2,967 और झारखण्ड: 5) और 2022 (भारत: 3,682 और झारखण्ड: 1)।

[69] लाटू, कुजरूम, रामनदाग, बिजयपुर, गोपखांर, घुटुवा, पांड्रा और हेनार।

योजना को मंजूरी दी थी (दिसंबर 2019) और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए राज्य को अपना हिस्सा ₹ 12.60 करोड़ विमुक्त किया था (दिसंबर 2019)। विभाग ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पीटीआर, दक्षिणी प्रमंडल को ₹ 21 करोड़ (राज्य के हिस्से के साथ) विमुक्त किए (मार्च 2021)। इसके अतिरिक्त, कैम्पा के तहत 2020-21 में पुनर्वास के लिए पांच करोड़ रुपये विमुक्त किए गए। विभाग ने ₹ 26 करोड़ की पूरी राशि पीटीसीएफ के बैंक खाते में रखने के निर्देश भी निर्गत किए थे (मार्च 2021)। यह पाया गया कि ₹ 27.56 करोड़[70] की उपलब्ध निधि में से, प्रमंडल ने गांवों की पारिस्थितिकी विकास समितियों (ईडीसी) और उप निदेशक, पीटीआर के संयुक्त बैंक खातों में ₹ 3.60 करोड़ हस्तांतरित कर दिए थे। हालांकि, पीटीसीएफ ने निधि के हस्तांतरण और इसके उपयोग से संबंधित अभिलेख नहीं रखा। सितंबर 2023 तक पीटीसीएफ के बैंक खाते में ₹ 23.96 करोड़ की शेष राशि पड़ी हुई थी। इसके अलावा, शेष छः गांवों का पुनर्वास प्रस्ताव सितंबर 2023 तक भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके अलावा, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (मंडल बांध) के प्रभाव के शमन के लिए स्थल विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पीटीआर का मुख्य क्षेत्र 414.08 वर्ग किमी से बढ़ाकर 545.59 वर्ग किमी कर दिया गया (मई 2022)। विस्तारित मुख्य क्षेत्र में 26 अतिरिक्त गांव शामिल हैं, जिनके लिए सर्वेक्षण और पुनर्वास प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए थे (सितंबर 2023)। इस प्रकार, विभाग ने पीटीआर के मुख्य महत्वपूर्ण आवास के भीतर स्थित गांवों का समय पर पुनर्वास सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि गांवों का पुनर्वास खासकर एक आदिवासी बहुल राज्य में इसकी भूमि और सांस्कृतिक गतिशीलता के साथ स्वैच्छिक प्रकृति का है और एक जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि तीन गांवों का पुनर्वास अंतिम चरण में है, जबकि शेष पांच गावों के लिए पुनर्वास प्रक्रियाधीन है।

- एनटीसीए ने जनवरी 2023 में पीटीआर में अग्नि लेखापरीक्षा करने के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल निर्गत किया था (मई 2022), ताकि आग की रोकथाम, तैयारी, पहचान, दमन और आग के बाद प्रबंधन के लिए संकेतक स्थापित किए जा सकें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफएसआई ने 2017 से 2022 तक पीटीआर में 4,664 वन अग्नि बिंदुओं के बारे में अलर्ट भेजे थे, जिससे 2,405.86 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। हालांकि, जुलाई 2023 तक पीटीआर में फायर ऑडिट नहीं किया गया था। फायर ऑडिट के अभाव में, पीटीआर आग से पर्यावास की रक्षा और प्रभावित क्षेत्रों की बहाली के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार नहीं कर सका।

---

[70] इसमें अगस्त 2023 तक अर्जित ₹ 1.56 करोड़ का ब्याज भी शामिल है।

- MSTrIPES (बाघों के लिए निगरानी प्रणाली: गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति), एनटीसीए की एक ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रणाली तीन मॉड्यूल (गश्ती, पारिस्थितिक और संघर्ष) का उपयोग करते हुए, गश्ती ट्रैक लॉग, जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ अपराध स्थल, गश्ती दलों के अवलोकन, मांसाहारी और बड़े खुर वाले[71] जानवरों का कब्ज़ा, संरक्षित क्षेत्रों पर मानवजनित प्रभाव और मनुष्यों/पशुधन/फसल/संपत्ति पर जंगली जानवरों के हमलों का स्थानिक डेटाबेस बनाए रखने के लिए करती है। एप्लिकेशन का फोन ऐप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में प्रीलोडेड बेस मैप के माध्यम से घटनाओं के वास्तविक समय के दृश्य की अनुमति देता है। वन्यजीव संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए डेटाबेस का विश्लेषण किया जाता है।

अक्टूबर 2020 से पीटीआर द्वारा बनाए गए MSTrIPES डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला है कि गश्त से संबंधित डेटा जैसे गश्ती आईडी, रेंज, बीट, गश्त का विवरण (व्यक्ति, प्रकार, कार्यप्रणाली, दिनांक और देशांतर व अक्षांश के साथ दूरी) डेटाबेस में दर्ज किया जा रहा था। हालाँकि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शन के क्षेत्र, जल संसाधन, पशु मृत्यु दर, मानव प्रभाव और साइट फ़ोटोग्राफ़ से संबंधित आंकड़े फ़ील्ड डेटाबेस में संधारित नहीं किए जा रहे थे। इन सूचनाओं के अभाव में, अपराधों की स्थिति, मांसाहारी और बड़े खुर वाले जानवरों का कब्ज़ा, संरक्षित क्षेत्र पर मानवजनित प्रभाव, जंगली जानवरों के हमले और फसल/संपत्ति के नुकसान का विश्लेषण MSTrIPES से नहीं किया जा सका, ताकि पीटीआर की प्रबंधन आवश्यकताओं को तैयार किया जा सके। इस प्रकार, पीटीआर प्रबंधन ने आवास की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और पीटीआर के प्रभावी प्रबंधन के लिए शिकारियों और शिकार की आबादी की बहाली के लिए आवश्यक आंकड़े को संधारित करने के लिए MSTrIPES का कुशल उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने MSTrIPES पर आंकड़े संधारित करने में विभिन्न लॉजिस्टिक और तकनीकी चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया (अगस्त 2024) और कहा कि पीटीआर प्रबंधन मानवबल के कौशल में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। आगे कहा गया कि जनशक्ति के क्षमता निर्माण के लिए एनटीसीए टीम को भी शामिल किया गया है और भविष्य में MSTrIPES का अधिक व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

- लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एनटीसीए की एक समिति ने (नवंबर 2021) पीटीआर में विभिन्न कमियों को देखा था, जैसे प्रभावी अछूते क्षेत्र की अनुपस्थिति, बहुत कम शिकार आधार, अत्यधिक खंडित जंगल, छोटे और खरपतवार से ग्रस्त घास के मैदान आदि, जिन्हें पीटीआर में खुर वाले जानवरों की आबादी को बनाए रखने और बाघों की आबादी को बहाल करने के लिए हल

[71] एक खुरधारी शाकाहारी, चौपाया स्तनपायी जैसे सूअर, गाय, हिरण, घोड़े, हाथी, गैंडा आदि।

किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, पीटीआर की वर्तमान प्रबंधन व्यवस्था अभयारण्य में बाघों की आबादी का समर्थन करने के लिए प्रभावी नहीं थीं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि एनटीसीए समिति के सुझावों को नए टीसीपी (2023-33) में शामिल किया गया है जिसे एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है (अप्रैल 2024)। डब्ल्यूआईआई द्वारा नवीनतम शिकार आधार अध्ययन ने पीटीआर में 18 से अधिक बाघों की वहन क्षमता का अनुमान लगाया है। पीटीआर के त्वरित पुनरुद्धार के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और अगले पांच से दस वर्षों में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार होगा। विभाग ने निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में यह भी कहा कि शिकार आधार को बढ़ाने के लिए पीटीआर के आवास को बेहतर बनाने और शाकाहारी जानवरों के स्थानांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशंसा 12: विभाग बाघों के लिए एक प्रभावी अछूता क्षेत्र बनाने के लिए मुख्य क्षेत्र में स्थित गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। एमएसट्रिप्स अनुप्रयोग का उपयोग आवास की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने तथा शिकारियों और शिकार की आबादी की बहाली के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है।

2.4.4 पशु स्वास्थ्य निगरानी

एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) के अनुसार, वन्यजीव पर्यावास विखंडन और भूमि उपयोग स्वरुप में परिवर्तन जंगली जानवरों को मनुष्यों के साथ लगातार संपर्क में आने के लिए मजबूर करता है, और इस तरह वन्यजीव स्वास्थ्य वन्यजीव प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। संरक्षित क्षेत्रों के एम पी ने जंगली जानवरों के बीच संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में या उसके आसपास रहने वाले जंगली जानवरों के उपचार/पुनर्वास और पालतू जानवरों के टीकाकरण का भी प्रस्ताव रखा। इसने वन्यजीव कीटों और बीमारियों का उचित दस्तावेजीकरण, जंगली जानवरों के लिए बचाव/पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और संरक्षित क्षेत्रों में एक पशु चिकित्सक की स्थायी तैनाती का सुझाव दिया।

2.4.4.1 वन्यजीवों का स्वास्थ्य प्रबंधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में अवैध शिकार (09), सड़क/रेल दुर्घटनाएं (18), बिजली का झटका (02), प्राकृतिक मृत्यु/मृत जन्म (08), बीमारी (05), आपसी झगड़े (04), कुत्तों के काटने (04) और अन्य कारणों (08) से कुल 58 जंगली जानवरों की मौत हुई **(परिशिष्ट 2.19)**।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि रांची के चिड़ियाघर (बिरसा प्राणी उद्यान) को छोड़कर राज्य में जंगली जानवरों के लिए कोई पशु चिकित्सालय नहीं था। 12

संरक्षित क्षेत्रों में से चार[72] में जंगली जानवरों के लिए चार बचाव और पुनर्वास केंद्र-सह-बाड़े थे। पीटीआर में एक पशु चिकित्सा देखभाल इकाई थी, लेकिन बचाए गए जंगली जानवरों के पुनर्वास के लिए कोई बाड़ा नहीं था। इसके अलावा, किसी भी संरक्षित क्षेत्र में कोई स्थायी पशु चिकित्सक तैनात नहीं था। लेखापरीक्षा ने दलमा वन्य जीव आश्रयणी और हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी में बचाव और पुनर्वास केंद्रों में निम्नलिखित भी देखा।

- अगस्त 2023 तक मकुलाकोचा हिरण बचाव केंद्र में 116 हिरण थे। यद्यपि 2018-23 के दौरान भोजन और दवाओं पर ₹ 1.45 करोड़ खर्च किए गए थे, लेकिन बचाए गए हिरणों की संख्या, उनके बचाव के कारणों और बचाव केंद्र में दवा/रहने की अवधि के बारे में कोई आंकड़ा नहीं रखा गया था। इसके अलावा, 2018-23 के दौरान किसी भी हिरण को उनके प्राकृतिक आवास में नहीं छोड़ा गया और उनका पुनर्वास नहीं किया गया।
- यद्यपि हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी में उसी प्रकार केंद्र था, लेकिन प्रमंडल ने 2018-23 के दौरान भोजन और चिकित्सा देखभाल पर ₹ 4.30 लाख खर्च करने के बावजूद बचाए गए जानवरों और उनकी रिहाई का आंकड़ा नहीं रखा था। क्षेत्र भ्रमण के दौरान, बचाव केंद्र के अंदर स्वास्थ्य केंद्र की अनुपस्थिति में एक क्षतिग्रस्त कर्मचारी निवास में अस्थायी तौर पर एक हिरण के बच्चे की देखभाल की जा रही थी, जैसा कि **चित्र 2.5 और 2.6** में दिखाया गया है।

चित्र 2.5

चित्र 2.6

बचाए गए हिरण के बच्चे का अस्थायी व्यवस्था में इलाज किया जा रहा है (19 अगस्त 2023)

- इस प्रकार, विभाग ने जंगली जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए स्थायी पशु चिकित्सकों और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं के साथ सभी संरक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित नहीं की। इसके अलावा, मौजूदा केंद्रों का उपयोग बचाए गए जानवरों को इलाज के बाद उनके

[72] दलमा वन्यजीव आश्रयणी, हज़ारीबाग़ वन्यजीव आश्रयणी, कोडरमा वन्यजीव आश्रयणी और उधवा झील पक्षी आश्रयणी।

प्राकृतिक आवास में छोड़ने के बजाय लंबे समय तक रखने के लिए किया गया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि बचाव केंद्रों में रखे गए जानवर ज्यादातर घायल हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और जंगल में छोड़े जाने के लायक नहीं हैं। विभाग ने झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में नियमित प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने को स्वीकार किया और कहा कि वन विभाग ने पशुपालन विभाग (एएचडी) के 10 पशु चिकित्सकों का चयन करने की पहल की है और उन सभी को उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा है।

2.4.4.2 घरेलू मवेशियों का स्वास्थ्य प्रबंधन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 33ए (I) के अनुसार, मुख्य वन्यजीव वार्डन को आश्रयणी के पांच किलोमीटर क्षेत्र में या उसके भीतर रहने वाले पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण के उपाय करने होते हैं। कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करवाए बिना आश्रयणी में किसी भी मवेशी को ले नहीं जा सकता, ले जाने का कारण नहीं बन सकता, या चरा नहीं सकता। एम पी के अनुसार, आश्रयणीयों पर मवेशियों के चराई का दबाव है क्योंकि स्थानीय लोग ज्यादातर भूमिहीन या सीमांत किसान हैं और मवेशियों के पालन के लिए अपने स्तर पर चारा उत्पन्न नहीं कर सकते और इसलिए आस-पास के जंगलों का इस्तेमाल मवेशियों के चरने के लिए किया जाता है। तदनुसार, एम पी ने जंगली जानवरों के बीच संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए गांव के मवेशियों का नियमित टीकाकरण करने के लिए पशुधन का विस्तृत सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच[73] संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना के पास संरक्षित क्षेत्र पर निर्भर पशुधन के आंकड़े नहीं था। शेष सात संरक्षित क्षेत्रों में, पीटीआर सहित, उनके प्रबंधन योजनाओं के अनुसार लगभग 3.39 लाख मवेशियों का चारागाह दबाव था। हालाँकि, नमूना जांचित प्रमंडल 2018-23 के दौरान ₹ 48.08 लाख की उपलब्ध निधि के मुकाबले 10 संरक्षित क्षेत्रों में मवेशी स्वास्थ्य/टीकाकरण शिविरों पर केवल ₹ 36.82 लाख का उपयोग कर सके **(परिशिष्ट 2.20)**। लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य देखभाल/टीकाकरण में कमियों को देखा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- ₹ 3.20 लाख की उपलब्धता के बावजूद 2018-23 के दौरान दो संरक्षित क्षेत्रों[74] में टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी।
- तीन आश्रयणीयों (हजारीबाग, पारसनाथ और तोपचांची) में मवेशियों के चरने के प्रभाव पर अध्ययन के लिए 2020-21 में विमुक्त ₹ 90,000 का उपयोग नहीं किया जा सका।

---

73 गौतम बुद्ध, कोडरमा, लावालौंग, तोपचांची और उधवा।

74 पारसनाथ और तोपचांची डब्लूएलएस।

- नमूना जांचित प्रमंडलों ने निधि की उपलब्धता के बावजूद 2018-23 के दौरान तीन[75] संरक्षित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की।
- नमूना जांचित प्रमंडलों (पीटीआर, दक्षिणी को छोड़कर) ने प्रतिरक्षित मवेशियों का आंकड़े संकलित नहीं किया। इसके अलावा, प्रमंडलों ने कभी भी जंगली जानवरों पर संचारी रोगों के प्रभाव का सर्वेक्षण नहीं किया।

इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्रों ने जंगली जानवरों के बीच संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले घरेलू मवेशियों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के मवेशियों का टीकाकरण वन विभाग के साथ-साथ पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। संरक्षित क्षेत्र प्रशासन ने पशुपालन विभाग के साथ मिलकर घरेलू मवेशियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है।

उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमंडलों ने संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले टीकाकृत मवेशियों का डेटाबेस नहीं रखा था।

अनुशंसा 13: विभाग बचाव केंद्रों से उपचारित पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की व्यवस्था कर सकता है। यह संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण सुनिश्चित कर सकता है और उसका दस्तावेजीकरण भी कर सकता है।

2.4.5 मानव-पशु सह-अस्तित्व

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) में परिकल्पना की गई है कि पारंपरिक रूप से प्राकृतिक बायोमास पर निर्भर स्थानीय समुदायों को ऐसे संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। मानव-पशु संघर्ष वन्यजीव आवासों के सिकुड़ने, विखंडन और ह्रास का परिणाम है और जंगली जानवरों और संरक्षित क्षेत्रों के खिलाफ दुश्मनी पैदा करता है।

2.4.5.1 मानव-वन्यजीव संघर्ष

एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) के अनुसार, मानव-वन्यजीव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी) फसलों, पशुधन, संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है। वन्यजीव पर्यावासों के नुकसान से जंगली जानवरों के अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलने से कृषि और लोगों से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। एनडब्ल्यूएपी ने स्थानीय समुदायों के साथ सार्थक जुड़ाव और भागीदारी के आधार पर पी ए द्वारा किए जाने वाले

[75] हजारीबाग में 2020-22 के दौरान, दलमा में 2021-22 के दौरान और पालकोट में 2018-23 के दौरान।

संघर्ष उन्मूलन उपायों का सुझाव दिया। इसके अलावा, एचडब्ल्यूसी स्थितियों को संबोधित करने के लिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित कार्यबल का गठन करना, जागरूकता कार्यक्रमों को लागू करना और एचडब्ल्यूसी पर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना भी रेखांकित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार संरक्षित क्षेत्रों के वर्तमान प्रबंधन योजना[76] ने संरक्षित क्षेत्रों में पिछले एचडब्ल्यूसी का कोई विश्लेषण नहीं किया और न ही उन्होंने शमन कार्यक्रम शुरू किए। महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2016-26) में एचडब्ल्यूसी को एक गंभीर मुद्दा नहीं माना गया था, हालांकि 2012-18 के दौरान वन्य जीव आश्रयणी में एचडब्ल्यूसी के मामलों की एक बड़ी संख्या (मवेशी मृत्यु: 92, मानव मृत्यु: 05 और मानव चोट: 21) थी। दलमा, पालकोट और पीटीआर के एम पी ने हाथियों के गलियारे/प्रवासी मार्ग के विखंडन और हाथियों को आकर्षित करने वाले संरक्षित क्षेत्रों में धान की फसल की खेती के कारण संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी के एक प्रमुख घटक के रूप में मानव-हाथी संघर्ष पर प्रकाश डाला।

2018-23 के दौरान राज्य और संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी मामलों का विवरण **तालिका 2.4** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4 2018-23 के दौरान राज्य और संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी मामलों का विवरण

क्रम सं.	एचडब्ल्यूसी का प्रभाव	राज्य में मामलों की संख्या		संरक्षित क्षेत्र में मामलों की संख्या	
		2018-19	2019-23	2018-19	2019-23
1	फसल क्षति	8,864	33,221	675	2,142
2	खाद्य अनाज क्षति		4,992		81
3	संपत्ति क्षति		7,872		163
4	मवेशी मृत्यु		782		552
5	मानव मृत्यु	87	388	3	22
6	मानव आघात	178	718	33	82
कुल		**9,129**	**47,973**	**711**	**3,042**

तालिका 2.4 से देखा जा सकता है कि राज्य में 2018-23 के दौरान एचडब्ल्यूसी के मामलों में फसल/खाद्यान्न/संपत्ति की क्षति एक बड़ा हिस्सा रहा। ये नुकसान मुख्य रूप से मानव-हाथी संघर्ष के कारण हुए। इसके अलावा, मवेशियों की हत्या संरक्षित क्षेत्रों में शिकारियों के लिए जंगली शिकार आधार की कमी के कारण हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना में एचडब्ल्यूसी का विस्तृत अध्ययन, हाथी रोधी खाइयां खोदने, रणनीतिक स्थानों पर सौर बाड़ लगाने,

[76] गौतम बुद्ध (2021-31), कोडरमा (2021-31), लावालौंग (2021-31) और पारसनाथ (2020-30)।

पटाखों और रोशनी के साथ प्रतिरक्षक टीमों के गठन और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी संघर्ष क्षेत्रों में रसदार फलों के बागान लगाने के प्रस्ताव शामिल थे। संरक्षित क्षेत्रों में चराई के दौरान शिकारियों द्वारा मवेशियों की हत्या से बचने के लिए ग्रामीणों को मवेशियों को स्टॉल पर खिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। अन्य शमन उपायों के तहत एचडब्ल्यूसी से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी सुझाए गए थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने 12 संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में एचडब्ल्यूसी से निपटने में निम्नलिखित कमियाँ देखीं।

- नमूना जांचित प्रमंडलों ने पीए में उपयुक्त शमन उपायों को अपनाने के लिए एचडब्ल्यूसी का क्षेत्र और प्रजाति-वार अध्ययन नहीं किया।
- मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए, पी ए मुख्य रूप से हाथियों को मानव बस्तियों से दूर रखने के लिए एंटी-डिप्रेडेशन टीमों और ग्रामीणों को पटाखे, मशालें, जूट के बैग, इस्तेमाल किए गए मोबिल ऑयल और तार के वितरण पर निर्भर थे। स्थानीय समुदाय को हाथियों की आवाजाही के बारे में बताने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे। हालाँकि, 2018-23 के दौरान हाथी रोधी खाइयाँ खोदना, सौर बाड़ लगाना, एचडब्ल्यूसी से संबंधित प्रशिक्षण और रसदार पौधे लगाना जैसे अन्य उपाय नगण्य थे।
- एनडब्ल्यूएपी के अनुसार, प्रकृति, मानव और जंगली जानवरों के बीच संबंधों के बारे में शिक्षा के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और वन्यजीव संरक्षण के लिए सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक व्याख्या केंद्र (एनआईसी) बनाए जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 में से छः[77] पी ए में एनआईसी नहीं थे। हालांकि पीटीआर, हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी और उधवा झील पक्षी आश्रयणी के एनआईसी कार्यशील थे, लेकिन उनमें की गई गतिविधियों को संबंधित प्रमंडलों द्वारा दस्तावेजित नहीं किया गया था ताकि यह आश्वासन मिल सके कि पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, दलमा वन्य जीव आश्रयणी में, पुनर्निर्मित एनआईसी, जिसमें प्रकाश और ध्वनि शो, जंगली जानवरों के 3 डी मॉडल, पृष्ठभूमि पेंटिंग, विशेष ध्वनि प्रभाव, निगरानी बिंदु आदि की सुविधाओं, को 2017-22 के दौरान ₹ 4.31 करोड़ खर्च करने के बावजूद, अगस्त 2023 तक कार्यशील नहीं बनाया जा सका। तैयार की गई सुविधाओं की देखभाल के लिए कोई कुशल मानवबल भी तैनात नहीं की गई थी।

- राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) ने विभाग को पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीव संरक्षण पर स्कूली छात्रों को शिक्षित करना शुरू करने का निर्देश दिया (फरवरी 2022)। इसके लिए, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र को वृत्तचित्रों और फिल्मों के माध्यम से संबंधित मुद्दों के प्रचार के लिए एक बहुउद्देश्यीय वाहन उपलब्ध कराया

[77] गौतम बुद्ध, लावालौंग, महुआडांड़, पालकोट, पारसनाथ और तोपचांची।

जाना था। स्थानीय स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए मानदेय के आधार पर संसाधन संपन्न व्यक्तियों, अधिमानतः पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र में स्थानीय स्नातकों को तैनात किया जाना था। हालाँकि, जुलाई 2023 तक किसी भी प्रमण्डल ने एसबीडब्ल्यूएल के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया।

इस प्रकार, नमूना जांचित प्रमंडलों ने उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने के लिए एचडब्ल्यूसी का आवश्यक विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने एचडब्ल्यूसी को कम करने के लिए जनता के बीच पर्याप्त बाड़/खाइयां और जागरूकता कार्यक्रम भी सुनिश्चित नहीं किए।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्रों में मवेशियों का शिकार/मृत्यु के लिए न केवल कम शिकार आधार बल्कि संरक्षित क्षेत्रों में आवारा मवेशियों की आबादी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एचडब्ल्यूसी के शमन के लिए, कई कदम जैसे, हाथी ट्रैकिंग मोबाइल एप्लिकेशन का विकास, दैनिक आधार पर जनता को रेडियो (एफएम) अलर्ट, पी ए में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (क्यूआरटी) की नियुक्ति, हाथियों को डराने के लिए पटाखे/केरोसिन तेल/ड्रम का वितरण आदि शुरू किए गए हैं, इसके अलावा सभी प्रमंडलों को भारत सरकार की एसओपी के बारे में बताया गया है। आगे कहा गया कि कार्यशील एनआईसी में स्कूली बच्चे और जनता अक्सर आते हैं तथा नया एनआईसी के लिये प्रस्ताव 2023-24 में कैम्पा में रखा गया। यह भी बताया गया कि संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन स्थानीय स्कूली बच्चों और जनता के साथ जागरूकता सृजन गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

मवेशियों की हत्या के बारे में जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीसीपी (2023-33) खुद संकेत देता है कि शिकार का आधार बेहद कम है। इसके अलावा, विभाग ग्रामीणों को अपने मवेशियों को स्टॉल पर खिलाने के लिए जागरूक या प्रोत्साहित भी नहीं कर सका। एचडब्ल्यूसी को कम करने के लिए प्रमण्डलों द्वारा भारत सरकार के एसओपी का भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, विभाग ने जागरूकता फैलाने के लिए सभी संरक्षित क्षेत्रों में एनआईसी का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया।

अनुशंसा 14: विभाग संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी से प्रभावी ढंग से निपटने और उपयुक्त शमन उपायों को अपनाने के लिए एक एसओपी तैयार कर सकता है।

2.4.6 पारिस्थितिकी-पर्यटन

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-2 (2002-16) में विनियमित और कम प्रभाव वाले पर्यटन को वन्यजीव संरक्षण के लिए जन समर्थन प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य केवल जंगली जानवरों को दिखाने के बजाय जनता में प्रकृति के प्रति शिक्षा और सम्मान पैदा करना है। पारिस्थितिकी-पर्यटन को भी इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि रोजगार के

अवसरों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को इसमें शामिल किया जा सके और उन्हें लाभ मिल सके।

2.4.6.1 पारिस्थितिकी-पर्यटन की योजना

झारखण्ड पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति, 2015 में पारिस्थितिकी-पर्यटन को उस क्षेत्र की वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदारीपूर्ण भ्रमण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति (सितंबर 2018) में पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना पर जोर दिया गया है, जिसमें चिन्हित स्थान, यात्रा के मार्ग, अनुमत गतिविधियां, भ्रमण का समय और साधन तथा पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों की देखरेख के लिए डीएफओ की अध्यक्षता में एक स्थानीय स्तर की समिति (एलएलसी)[78] का गठन शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12[79] में से 10 संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने पर्यावरण अनुकूल पर्यटन अवसंरचना[80] के विकास तथा आतिथ्य, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत, व्याख्या और संचार कौशल के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 145.39 वर्ग किलोमीटर पर्यावरण पर्यटन क्षेत्रों की पहचान की थी। हालांकि, नमूना-जांचित प्रमंडलों ने किसी भी संरक्षित क्षेत्र, जिनमें पारिस्थितिकी-पर्यटन क्षेत्रों की पहचान की गई हो, के लिए विशिष्ट पारिस्थितिकी-पर्यटन योजनाएं तैयार नहीं की थीं।

95.34 वर्ग किलोमीटर के पारिस्थितिकी-पर्यटन जोन वाले चार[81] संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जा सका, क्योंकि संबंधित प्रमंडलों ने जुलाई 2023 तक विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। आगे, यद्यपि 2018-23 के दौरान शेष छः[82] संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी-पर्यटन प्रचलन में था, लेकिन संरक्षित क्षेत्र की वहन क्षमता, अनुमेय गतिविधियां और निर्माण, भ्रमण के स्थान, भ्रमण मार्ग, भ्रमण के साधन आदि को रेखांकित करने वाली कोई पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना तैयार नहीं की गई थी। किसी भी संरक्षित क्षेत्र में चल रही पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों की निगरानी के लिए एलएलसी का गठन नहीं किया गया था। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास के माध्यम से

---

[78] पर्यटन विभाग, स्थानीय पंचायत, स्थानीय समुदायों और वन्यजीव विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ।

[79] महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य में कोई पर्यटन क्षेत्र नहीं है और तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रबंधन योजना अभी तक तैयार नहीं थे।

[80] जैसे कैम्पिंग सुविधाएं, आराम करने के स्थान, प्रकृति व्याख्यान केंद्र, सफारी वाहन, वॉच टावर आदि।

[81] गौतम बुद्ध: 18.90 वर्ग किमी., कोडरमा: 26.62 वर्ग किमी., लावालौंग: 24.31 वर्ग किमी. और पालकोट: 25.51 वर्ग किमी.

[82] बेतला, दलमा, हजारीबाग, पलामू, पारसनाथ और उधवा।

पारिस्थितिकी-पर्यटन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी प्रमंडलों द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी।

पीटीआर के मामले में, यह पाया गया कि वहां कोई अनुमोदित पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना नहीं थी और मार्गदर्शिका के अनुसार एनटीसीए की पूर्व स्वीकृति के बिना बेतला में पर्यटन अवसंरचना के निर्माण पर ₹ 21.20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

इस प्रकार, चिन्हित पर्यटन क्षेत्रों वाले चार संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियां सुनिश्चित नहीं की गईं। अन्य छः संरक्षित क्षेत्रों में, इसे किसी भी पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना के अनुरूप व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया, जिसके कारण संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में कहा गया कि स्थानीय लोगों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उन्हें पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।

2.4.6.2 पीटीआर में वाहनों का परिचालन

एनटीसीए के मार्गदर्शिका (धारा 2.2.4 (v) और 2.3.3) के अनुसार, पर्यटन योजना में बाघ अभयारण्य के प्रबंधन के साथ पंजीकृत वाहनों के माध्यम से आगंतुकों का बाघ अभयारण्य में प्रवेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिनके साथ एक अधिकृत गाइड भी होना चाहिए। सभी गाइडों और ड्राइवरों को अनिवार्य रूप से व्याख्यान और नियमों व विनियमों का एक लघु पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था, जिसके बाद ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने से पहले मौखिक परीक्षा ली जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीटीआर की संचालन समिति[83] ने पीटीआर के अंदर भ्रमण के लिए 10 सफारी वाहन खरीदने का निर्णय (फरवरी 2018) लिया था। पीटीआर, उत्तरी प्रमंडल ने 2021-22 के दौरान पीटीसीएफ निधि से ₹ 40.00 लाख की लागत से दो वाहन (एक ट्रैवलर और एक पिकअप) खरीदे थे। हालाँकि, ये वाहन अगस्त 2023 तक कार्यालय परिसर में रखे हुए पाए गए, क्योंकि उन्हें प्रमंडल द्वारा परिवहन विभाग में पंजीकृत नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निजी वाहन पीटीआर प्रबंधन के साथ अगस्त 2023 तक पंजीकृत हुए बिना ही पर्यटकों को पीटीआर भ्रमण के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इन निजी वाहनों से जुड़े ड्राइवरों और गाइडों को भी पीटीआर प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। निजी वाहनों के पंजीकरण के अभाव में, पीटीआर प्रबंधन का निजी वाहनों के किराया और आवागमन पर कोई नियंत्रण नहीं था, जैसा कि एफडी, पीटीआर द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को बताया (अगस्त 2018) गया।

---

[83] मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डब्ल्यूपीए की धारा 38यू के अंतर्गत गठित।

इस प्रकार, जैसा कि संचालन समिति द्वारा निर्णय लिया गया था, पीटीआर में विभागीय वाहनों को संचालित करने में पीटीआर प्रबंधन की असमर्थता के कारण बाघ अभयारण्य में अनधिकृत निजी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही हो रही थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि वर्तमान में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सफारी वाहनों का परिचालन निजी वाहन स्वामियों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, आगंतुकों को अनिवार्य इको-गाइड के साथ जंगल सफारी में अपने वाहन चलाने की भी अनुमति है। इको-गाइड के लिए प्रमाणन पाठ्यक्रम का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है।

हालांकि, तथ्य यह है कि पीटीआर के अंदर निजी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित और सीमित नहीं किया जा सका क्योंकि वे पीटीआर प्रबंधन के पास पंजीकृत नहीं थे।

2.4.6.3 पीटीआर में पारिस्थितिकी-पर्यटन की निगरानी का अभाव

एनटीसीए मार्गदर्शिका (धारा 2.1.8, 2.1.9 और 2.3.4) में एक स्थानीय सलाहकार समिति[84] (एलएसी) की स्थापना का प्रावधान है, जो भवनों और अवसंरचनाओं पर स्थल विशिष्ट मानदंडों को सुनिश्चित करेगी और पर्यटक सुविधाओं जैसे आवृत्त क्षेत्र, निर्माण के प्रकार, कर्मचारियों की संख्या आदि की नियमित समीक्षा करेगी, ताकि शमन और पुनरोद्धार उपायों का सुझाव दिया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2023 तक पीटीआर में एलएसी का गठन नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि विभागीय आवास सुविधा के अलावा, पीटीआर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) में बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास पांच होटल (चार निजी होटल और एक झारखण्ड पर्यटन विकास निगम का) और चार रेस्तरां/ढाबे थे। यद्यपि निजी होटलों की गतिविधियों को पीटीआर के पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए ईएसजेड की अधिसूचना के तहत विनियमित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन एलएसी के गठन न होने के कारण इस प्रभाव की निगरानी नहीं की जा सकी। पीटीआर प्रबंधन ने बेतला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में निजी स्वामित्व वाली सुविधाओं के संचालन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी विकसित नहीं की थी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि पीटीआर की पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति पर पीटीसीएफ के शासी निकाय में गहन चर्चा की गई और नीति में एक पर्यटन प्रबंधक की नियुक्ति और राजस्व साझाकरण मॉडल को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी

---

[84] प्रमंडलीय आयुक्त या समकक्ष स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न सदस्यों, जैसे संबंधित क्षेत्र के राज्य विधानमंडल के सदस्य, जिला कलेक्टर, बाघ अभयारण्य के क्षेत्रीय निदेशक, स्थानीय प्रादेशिक प्रमंडलीय वन अधिकारी, राज्य पर्यटन और जनजातीय विभागों के अधिकारी, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, वन्यजीव और सामाजिक वैज्ञानिक तथा स्थानीय संरक्षणवादी।

दे दी गई है। आगे कहा गया कि निजी ऑपरेटर पीटीआर प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निजी ऑपरेटरों की गतिविधियों को ईएसजेड अधिसूचना के तहत विनियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, एलएसी का गठन न होने के कारण पीटीआर के आसपास पारिस्थितिकी-पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास सहित पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों की उचित निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2.4.6.4 पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी में अनियंत्रित आवाजाही

पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी के अंतर्गत पारसनाथ (एक जैन मंदिर स्थल) अंतरराष्ट्रीय महत्व[85] का एक पर्यटन स्थल है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी की प्रबंधन योजना में वन्य जीव आश्रयणी में पर्यटन अवसंरचना[86] की कमी, कर्मचारियों की कमी, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का अभाव और हर साल अक्टूबर से जून के बीच बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों से निपटने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना का अभाव पाया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हजारीबाग वन्यजीव प्रमंडल ने 2018-23 के दौरान पारसनाथ वन्यजीव आश्रयणी में पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना विकसित करने और आगंतुकों को विनियमित करने के लिए कोई पहल नहीं की। प्रमंडल ने आश्रयणी क्षेत्र में आगंतुकों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए वन्यजीव आश्रयणी की वहन क्षमता या आगंतुकों की संख्या का कोई आकलन भी नहीं किया। इस प्रकार, पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना के अभाव में, 2018-23 के दौरान वन्य जीव आश्रयणी में आगंतुकों की आवाजाही को विनियमित नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि धार्मिक स्थल होने के कारण, पर्यटकों की आवाजाही को विनियमित करना संभव नहीं है। इसके अलावा, मधुबन पारसनाथ की तलहटी में स्थित एक बस्ती है, जहां आवास की अच्छी सुविधाएं हैं, और इसलिए वन्य जीव आश्रयणी में और अधिक सुविधाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रमंडल ने वन्यजीव आश्रयणी की वहन क्षमता के संबंध में चिन्हित स्थानों, यात्रा के मार्गों, अनुमेय गतिविधियों, समय और यात्रा के साधनों को शामिल करते हुए कोई भी पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना नहीं बनाई, जैसा कि झारखण्ड पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति, 2015 और पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए भारत सरकार की नीति (सितंबर 2018) के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए तीर्थयात्रियों/पर्यटकों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए

---

85 जैसा कि पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित (फरवरी 2019) किया गया।

86 शयनगृह, विश्रामगृह, व्याख्यान केंद्र, निगरानी टावर, साइनेज, अच्छी तरह प्रशिक्षित गाइड आदि।

आवश्यक है। विभाग अवसंरचना जैसे कि व्याख्या केंद्र, निगरानी टावर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित गाइड, सुरक्षा व्यवस्था आदि के निर्माण पर कोई चर्चा नहीं किया, जैसा कि प्रबंधन योजना में उजागर किया गया था।

2.4.6.5 उधवा झील पक्षी आश्रयणी में पारिस्थितिकी-पर्यटन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उधवा झील पक्षी आश्रयणी को पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल और युवा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित (फरवरी 2019) किया गया था। हालाँकि, प्रमंडल ने आश्रयणी में आने वाले आगंतुकों के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखा। सितंबर 2023 में लेखापरीक्षा द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान, यह देखा गया कि आश्रयणी में पर्यटकों की संख्या बहुत कम थी, जिसका मुख्य कारण अवसंरचना, जैसे कि संपर्क सड़कें, आवास और भोजन की सुविधा, नावें और अच्छी तरह से प्रशिक्षित गाइड, की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आश्रयणी से 25 से 60 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय और राजकीय महत्व के अन्य पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे जुरासिक (मेसोज़ोइक) युग (199.6 से 65.5 मिलियन वर्ष पूर्व) के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए मंडरो में एक जीवाश्म पार्क, एक जलप्रपात (मोती-झरना), दो धार्मिक स्थल (कन्हैया स्थान और शिवगादी धाम) और तीन ऐतिहासिक स्मारक (मान सिंह दलान, जामी मस्जिद और बारहद्वारी)। हालांकि, पूरे क्षेत्र को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर होने के बावजूद, विभाग ने अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की और न ही कोई व्यापक प्रचार-प्रसार किया।

इस प्रकार, क्षेत्र को एक पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना के अभाव, उचित प्रचार-प्रसार की कमी और पर्याप्त पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना के निर्माण न होने के कारण, विभाग आश्रयणी में पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सका और रोजगार सृजन के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका को नहीं बढ़ा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना का विकास प्रक्रियाधीन है।

2.4.6.6 पर्यटकों से प्रवेश शुल्क

भारत सरकार की पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति, 2018 में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें स्थानीय आजीविका के मुद्दों, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन और पारिस्थितिकी-विकास के माध्यम से संरक्षण के लिए पर्यटकों से संरक्षण शुल्क ले सकती हैं। पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना का उद्देश्य हितधारकों अर्थात स्थानीय समुदायों के लिए एक व्यवहार्य राजस्व साझाकरण तंत्र को शामिल करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के लिए कोई प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं किया था। वर्ष 2018-23 के दौरान 4.37 लाख पर्यटकों ने छः संरक्षित क्षेत्रों में से चार[87] का दौरा किया, जहां पारिस्थितिकी-पर्यटन उपलब्ध था। संबंधित प्रमंडलों ने सभी चार संरक्षित क्षेत्र में प्रत्येक पर्यटक वाहन से प्रवेश शुल्क वसूला। हालाँकि, लागू दरों में कोई एकरूपता नहीं थी। दलमा वन्य जीव आश्रयणी में 2.46 लाख पर्यटकों से प्रति पर्यटक 2 रुपये का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क भी वसूला गया, जबकि हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी और पीटीआर में 1.92 लाख पर्यटकों से यह शुल्क नहीं वसूला गया। शेष दो संरक्षित क्षेत्र (पारसनाथ और उधवा) में प्रमंडलों ने न तो पर्यटकों का आंकड़ा रखा और न ही कोई प्रवेश शुल्क वसूला। इस प्रकार, प्रमंडलों ने सभी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश (संरक्षण) शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया।

2018-23 के दौरान प्रमंडलों द्वारा प्रवेश शुल्क, आवास और अन्य शुल्कों के कारण पारिस्थितिकी-पर्यटन से ₹ 1.66 करोड़[88] की राशि राजस्व के रूप में वसूल की गई थी। हजारीबाग और दलमा वन्य जीव आश्रयणी में वसूल की गई राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई, जबकि पीटीआर में इसे पीटीसीएफ में जमा कर दिया गया। हालाँकि, विभाग ने स्थानीय समुदायों के साथ राजस्व साझा करने के लिए किसी भी व्यवहार्य तंत्र का आकलन नहीं किया। इससे संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि प्रबंधन योजना में परिकल्पित किया गया था।

यह भी पाया गया कि इन पारिस्थितिकी-पर्यटन क्षेत्रों का प्रमंडलो द्वारा उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था। स्थल भ्रमण (सितंबर 2023) के दौरान, दलमा वन्य जीव आश्रयणी में पॉलिथीन/प्लास्टिक सामग्री जैसी पूरी तरह से प्रतिबंधित वस्तुएं, बिखरी हुई पाई गईं, जबकि आगंतुकों के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता बोर्ड लगाए गए थे, जिन पर स्वच्छता बनाए रखने और प्रतिबंधित वस्तुओं को न ले जाने के संदेश प्रदर्शित किए गए थे, जैसा कि **चित्र 2.7** और **2.8** में देखा जा सकता है।

---

[87] पीटीआर (पलामू वन्यजीव आश्रयणी और बेतला राष्ट्रीय उद्यान): 1,26,515, दलमा: 2,46,030 और हजारीबाग: 64,256.

[88] हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी (₹ 10.07 लाख), दलमा वन्यजीव आश्रयणी (₹ 61.91 लाख) और पीटीआर (₹ 94.42 लाख).

चित्र 2.7	चित्र 2.8
दलमा टॉप के पास पर्यटक मार्ग ***(07 सितंबर 2023)***	***मकुलाकोचा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स*** ***(04 सितंबर 2023)***

इस प्रकार, विभाग ने न तो सभी संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क वसूलना सुनिश्चित किया और न ही संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने की व्यवहार्यता का आकलन किया।

जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक पारिस्थितिकी-पर्यटन स्थल में पर्यटकों को आकर्षित करने की अलग-अलग क्षमता होती है, और इसलिए, प्रवेश शुल्क वसूलने में एकरूपता संभव नहीं है। आगे कहा गया कि स्थानीय ई.डी.सी. संरक्षित क्षेत्र, विशेषकर पीटीआर, में पारिस्थितिकी-पर्यटन में सक्रिय रूप से शामिल हैं, तथा ई.डी.सी. के सदस्यों को आतिथ्य में क्षमता निर्माण के लिए समय-समय पर भेजा जाता है। राजस्व साझाकरण तंत्र का लाभ वर्तमान में दलमा वन्य जीव आश्रयणी में सुनिश्चित किया गया है और इसी तरह की व्यवस्था राज्य के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी।

प्रवेश शुल्क के संग्रहण के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि स्थानीय आजीविका के मुद्दों को हल करने और पारिस्थितिकी-विकास के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन वाले सभी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश शुल्क एकत्र किया जा सकता था। पारिस्थितिकी-पर्यटन में ई.डी.सी. की सक्रिय भागीदारी और कौशल विकास भी तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि ई.डी.सी. का गठन संरक्षित क्षेत्र के केवल 40 प्रतिशत गांवों में ही किया गया है, जैसा कि **कंडिका 2.4.7.1** में चर्चा की गई है।

अनुशंसा 15: विभाग प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए विशिष्ट पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना तैयार कर सकता है, जिसमें उसकी वहन क्षमता, यात्रा मार्ग, यात्रा के साधन, प्रवेश शुल्क आदि का विवरण दिया जाएगा। पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए स्थानीय समुदाय का कौशल विकास और जागरूकता सृजन सुनिश्चित किया जा सकता है।

2.4.7 पारिस्थितिकी-विकास

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-2 (2002-16) इस तथ्य को रेखांकित करती है कि किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के बाद स्थानीय समुदायों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वन भूमि[89] और अन्य प्राकृतिक उपज से वंचित कर दिया जाता है। प्रभावी वन्यजीव संरक्षण के लिए, उन्हें अवसरों की हानि तथा जंगली जानवरों द्वारा जान-माल को पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजा देना आवश्यक है। एनडब्ल्यूएपी प्रत्येक वर्ष एक बार सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने पर जोर देता है, ताकि इस तरह के नुकसान के साथ-साथ वनों की आग, पशुओं के चरने, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से वन्यजीवों को होने वाली प्रतिकूलताओं को शामिल किया जा सके, ताकि रोकथाम और नियंत्रण उपायों की योजना बनाई जा सके और प्रभावित लोगों की भागीदारी के साथ उनका कार्यान्वयन किया जा सके।

2.4.7.1 पारिस्थिकी विकास समिति का गठन न होना

झारखण्ड सरकार ने संरक्षित क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर या आसपास स्थित सभी गांवों में पारिस्थितिकी विकास समितियों (ईडीसी) के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव निर्गत किया था (सितंबर 2001 में)। ईडीसी का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सतत विकास प्रदान करना, वन संसाधनों पर उनकी निर्भरता कम करना तथा वन और वन संसाधनों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता लाना है, ताकि उन्हें वन्यजीवों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रस्ताव के अनुसार, ईडीसी की एक कार्यकारी समिति[90] का गठन किया जाना था, जिसका चयन (पदेन सदस्यों को छोड़कर) गांव की आम सभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाना था। चयनित कार्यकारी समिति को संबंधित डीएफओ के पास पंजीकृत होना था।

नमूना जांचित प्रमंडलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि ईडीसी का गठन संरक्षित क्षेत्र में और उसके आसपास स्थित 1,412 गांवों में से केवल 571 (40 प्रतिशत) गांवों में किया गया था (जुलाई 2023 तक) और ईएसजेड अधिसूचनाओं के अनुसार संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव पैदा हो रहा था। इनमें से 254 ईडीसी (44 प्रतिशत) की कार्यकारी समितियों का डीएफओ के पास जुलाई 2023 तक दो वर्ष तक की अवधि के लिए वैध पंजीकरण था (**परिशिष्ट 2.4**)।

इस प्रकार, नमूना जांचित प्रमंडलों ने सभी गांवों में ईडीसी के गठन के माध्यम से वन्यजीव और उनके आवास की सुरक्षा के लिए गतिविधियों की योजना बनाने और

---

89 कानूनी अधिकार जो किसी व्यक्ति या पक्ष को वनों का उपयोग करने, उनसे लाभ उठाने या उनसे आय प्राप्त करने का अस्थायी अधिकार देता है।

90 इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सचिव (वनपाल) और उप सचिव (वनरक्षी) तथा अन्य सदस्यों को मिलाकर 18 से 25 सदस्य होते हैं।

कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, जो संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव पैदा कर रहे थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि अधिकांश गांवों में ईडीसी का गठन किया जा चुका है, जिनका संरक्षित क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नए चुनावों के माध्यम से नई समितियों के गठन और ईडीसी के नवीनीकरण के प्रयास जारी हैं। गांवों की जरूरतों को समझने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण भी कराया गया है। यह भी कहा गया कि संबंधित प्रमंडल शेष बचे गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित करेंगे।

2.4.7.2 सूक्ष्म योजना का न बनाना

झारखण्ड सरकार के संकल्प (सितंबर 2001) के अनुसार, ईडीसी को गांव के विकास के लिए तथा ग्रामीणों की वन पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने के लिए, सामान्यतः 10 वर्षों के लिए, एक विशिष्ट ग्रामीण स्तर की सूक्ष्म योजना तैयार करनी है। सूक्ष्म योजना को वन संरक्षक (सीएफ) द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अनुमोदित सूक्ष्म योजना के आधार पर, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जानी हैं और सक्षम प्राधिकारी (डीएफओ और सीएफ) द्वारा उनके वित्तीय प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित की जानी हैं। वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 571 ईडीसी में से 429 ईडीसी[91] ने 2016-20 के दौरान अपना सूक्ष्म योजनाएँ तैयार किया था। इनमें से 299 योजनाओं[92] को संबंधित वन संरक्षक द्वारा मंजूरी (जुलाई 2019 और सितंबर 2020 के बीच) दे दी गई थी, शेष 130 योजनाओं को जुलाई 2023 तक मंजूरी नहीं दी गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(i) पीटीआर की 96 सूक्ष्म योजनाओं (2016-20 के दौरान तैयार) में से, जिन्हें मंजूरी नहीं दी गई थी, 43 को सीसीएफ, पीटीआर द्वारा आवश्यक संशोधन के लिए वापस कर दिया गया था। दो योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई थी, क्योंकि ये गांव कोर जोन में स्थित थे, इसलिए इन्हें स्थानांतरित किया जाना था। पीटीआर प्रमंडलो (उत्तरी और दक्षिणी) ने शेष 51 योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी।

(ii) रांची वन्यजीव प्रभाग, पालकोट वन्यजीव आश्रयणी से संबंधित 29 सूक्ष्म योजनाओं (2019-20 में तैयार) जो मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव द्वारा अनुमोदन

---

91 दलमा: 82, गौतम बुद्ध: 15, हजारीबाग: 40, कोडरमा: 15 और लावालौंग: 30, पीटीआर: 168 और पालकोट: 79.

92 दलमा: 77, गौतम बुद्ध: 15, हजारीबाग: 40, कोडरमा: 15 और लावालौंग: 30, पीटीआर: 72 और पालकोट: 50.

के लिए मार्च 2020 से लंबित थीं, की स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका, जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया।

(iii) हाथी परियोजना, जमशेदपुर ने संशोधन के साथ पांच सूक्ष्म योजनाओं को सीसीएफ, वन्यजीव को मंजूरी के लिए प्रस्तुत (जुलाई 2020) किए। हालाँकि, उनकी स्वीकृति की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

- 2018-19 की एमईई प्रतिवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दो संरक्षित क्षेत्रों (पारसनाथ और तोपचांची) में पारिस्थिकी-विकास कार्यक्रम बहुत कमजोर थे, क्योंकि विभाग से संसाधनों की कमी के कारण ईडीसी लगभग निष्क्रिय थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन संरक्षित क्षेत्रों में 33 ईडीसी गठित किए गए थे, लेकिन केवल चार ही कार्यशील (जुलाई 2023 तक) थे। इस प्रकार, संबंधित प्रमंडलों ने एमईई प्रतिवेदन में इस बात को उजागर किए जाने के बावजूद ईडीसी का पुनरुद्धार नहीं किया।
- ई.डी.सी. ने अनुमोदित सूक्ष्म योजनाओं के आधार पर वार्षिक कार्य-योजना तैयार नहीं की थी। यद्यपि तीन प्रमंडलो[93] ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए 2018-23 के दौरान ईडीसी को ₹ 9.04 करोड़ रुपये विमुक्त किए थे, लेकिन ईडीसी ने जुलाई 2023 तक प्रमंडलो को निधियों के उपयोग का विवरण दर्शाते हुए वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। इसलिए, उनके द्वारा की गई गतिविधियों का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, प्रमंडलो ने सभी गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित नहीं किया, जिससे संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव पड़ा या गठित ईडीसी के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूक्ष्म योजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के कारण गांवों में विकासात्मक गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिससे कि गांवों की संरक्षित क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। प्रमंडलो ने ईडीसी को उपलब्ध कराये गये निधियों के विरूद्ध उनके द्वारा लेखा प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि शेष 130 सूक्ष्म योजनाओं का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है और शेष सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। हालाँकि, ईडीसी द्वारा लेखा प्रस्तुत न करने के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

अनुशंसा 16: विभाग को संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव वाले सभी गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित करना चाहिए। गांवों में विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

93 हजारीबाग प्रमंडल: ₹ 76 लाख, दलमा: ₹ 7.40 करोड़ और पालकोट ₹ 87.88 लाख

2.5 प्रभाव मूल्यांकन और निगरानी

2.5.1 सतत् विकास लक्ष्य

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 15 "भूमि पर जीवन" से संबंधित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन करना, वनों का स्थायी प्रबंधन करना और जैव विविधता की हानि को रोकना है।

सतत् विकास लक्ष्य 15 को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने छः संकेतक सुझाए थे, जैसे (i) वन आवरण (ii) वृक्ष आवरण (iii) वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र (कुल भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले प्रतिशत) (iv) कुल भूमि क्षेत्र पर बंजर भूमि का प्रतिशत (v) मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि और (vi) संरक्षित क्षेत्र के प्रति मिलियन हेक्टेयर वन्यजीव अपराध। इन संकेतकों के आधार पर, नीति आयोग ने राज्यों के प्रदर्शन का भी आकलन किया था, जिसमें झारखण्ड ने 100 में से 71 अंक (एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21) हासिल किए थे और 28 राज्यों में आठवें स्थान पर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग 2021-22 से वार्षिक लक्ष्य और आउटपुट/परिणाम संकेतक दिखाकर परिणाम बजट तैयार कर रहा था। वनरोपण एवं मृदा संरक्षण, वन अग्नि प्रबंधन और सीमाओं के सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। हालांकि, अन्य योजनाओं जैसे वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण, पारिस्थितिकी पर्यटन, हाथी परियोजना, ब्याघ्र परियोजना, प्रशिक्षण, प्रचार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन आदि के लिए, पहचाने गए परिणाम संकेतकों जैसे वन्यजीव आवास में सुधार, मानव-पशु संघर्ष में कमी, वन्यजीव अपराधों में कमी, जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि, वन्यजीव संरक्षण के संबंध में सामुदायिक जागरूकता और वन अधिकारियों और स्थानीय लोगों के कौशल विकास के विरुद्ध उपलब्धियों की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, नीति आयोग के संकेतकों के संबंध में इन योजनाओं की वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन एसडीजी 15 के अनुरूप नहीं किया जा सका **(परिशिष्ट 2.21)**।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक योजना के लिए लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है तथा उसी के अनुसार कार्य निष्पादित किये जाते हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे तथा उपलब्धियों की निगरानी नहीं की गई थी, जैसा कि वार्षिक परिणाम बजट में देखा गया है।

अनुशंसा 17: विभाग संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक योजना के लिए बजट में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। राज्य में एसडीजी 15 की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित परिणामों के विरुद्ध प्रगति की निगरानी की जा सकती है।

2.5.2 वन्यजीव संरक्षण लक्ष्य

पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास के विकल्प सुझाने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य के 2030 के विजन के अनुरूप झारखण्ड विजन और कार्य योजना 2021 तैयार की है। योजना में प्रदर्शन संकेतक तथा प्रत्येक संकेतक के लिए 2021, 2025 और 2030 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य शामिल थे। 2021 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: वन्यजीव संरक्षण ध्येय के लक्ष्य और उपलब्धियां

सूचक	2021 का लक्ष्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
1. राज्य वन आवरण	वनों के संसाधन मानचित्रण का कार्य पूरा करना।	स्वीकृत प्रबंधन योजना (2020-31) में जल स्रोतों की अनुपस्थिति, आवास क्षरण और अवांछित खरपतवारों के आक्रमण जैसे खतरों को विशिष्ट स्थलों के विवरण के बिना उजागर किया गया था। प्रबंधन योजना ने भविष्य में खतरों को कम करने के लिए गतिविधियां चलाने के लिए स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण का प्रस्ताव रखा था।
2. वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी	शत-प्रतिशत क्षेत्र को आवृत्त किया जाएगा तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) का विकास किया जाएगा।	संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव डालने वाले सभी गांवों में ई.डी.सी. का गठन नहीं किया गया और न ही पहले से गठित ई.डी.सी. के पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया। संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन ने प्रकृति शिक्षा के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और वन्यजीव संरक्षण के लिए जन समर्थन प्राप्त करने को सुनिश्चित नहीं किया।
3. हाथियों की आबादी का संरक्षण	हाथी संरक्षित क्षेत्रों के लिए आगामी वर्षों हेतु प्रबंधन योजना की तैयारी	हाथी अभयारण्य के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। संबंधित प्रमंडलों ने अपनी कार्ययोजना के आधार पर अभयारण्य का प्रबंधन किया, जिसमें स्थल विशिष्ट आवश्यकताएं शामिल नहीं थीं।
4. महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों का संरक्षण (आईबीए)	राज्य के लिए पक्षी चेकलिस्ट का विकास	उधवा झील पक्षी आश्रयणी को 2009-18 के दौरान 146 प्रजातियों के पक्षियों के साथ एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था (*रहमानी एट अल 2016*)। हालाँकि, विभाग ने अगस्त 1991 में अपनी अधिसूचना के बाद से संरक्षित क्षेत्र को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया था। स्थानीय और प्रवासी पक्षियों सहित स्थानीय जलीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए, स्थानीय स्तर पर अवसंरचना के विकास को उचित महत्व नहीं दिया गया।

सूचक	2021 का लक्ष्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
5. वन विभाग के कार्मिकों की संस्थागत क्षमता	रिक्तियों को 100% भरना	विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों और विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी। मार्च 2023 तक 49 प्रतिशत अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी से संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
6. वन एवं वन्यजीव संरक्षण में प्रौद्योगिकी एकीकरण	वन एवं वन्यजीव मानचित्रण के लिए पूर्णतः एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की स्थापना	MSTrIPES एप्लीकेशन एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रणाली है जो प्रभावी गश्त, पारिस्थितिकी स्थिति के आकलन में सहायता करती है तथा बाघ अभयारण्य में और उसके आसपास मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करती है। पी.टी.आर. के प्रबंधन के लिए एप्लिकेशन का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि डेटाबेस में पारिस्थितिकी की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और शिकारियों और शिकार की आबादी में सुधार के लिए आवश्यक आंकड़े संधारित नहीं था।

इस प्रकार, जैसा कि **तालिका 2.5** से देखा जा सकता है, विभाग ने मार्च 2023 तक जैव-विविधता समृद्ध पर्यावरण के संतुलित और सतत संरक्षण के लिए 2021 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि विजन और कार्य योजना 2021 में तैयार की गई थी और विभाग द्वारा 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने मध्यावधि लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, जैसा कि विजन और कार्य योजना में निर्धारित किया गया था, जिन्हें धीरे-धीरे 2021, 2025 और अंततः 2030 तक हासिल किया जाना था।

2.5.3 नियंत्रण प्रपत्र और संरक्षित क्षेत्र बुक

प्रबंधन योजना पर मार्गदर्शिका (कंडिका 6.1, 6.2 और 6.3) में सभी प्रबंधन गतिविधियों[94], समस्याओं, उनके परिमाण[95] और घटनाओं के विवरण[96] को अभिलेखित करने के लिए नियंत्रण प्रपत्र संधारित करने की परिकल्पना की गई है।

---

94 जल कुंडों का निर्माण और रखरखाव, आवासों का पुनरुद्धार, संचार और मानव शक्ति सहित बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव, पारिस्थितिकी-विकास और पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियां आदि।

95 वृक्षारोपण की प्रतिक्रिया, वन्यजीवों की मृत्यु, पौधों और जानवरों में रोग का प्रकोप, मानव-पशु संघर्ष, वन्यजीवों द्वारा निजी संपत्ति को नुकसान, मवेशियों का चरना, आग लगना, अपराध के मामले का पता लगाना आदि।

96 अनुसंधान, पारिस्थितिकी-पर्यटन/पारिस्थितिकी-विकास गतिविधियां, निगरानी, आवंटित धनराशि का विवरण, राजस्व और व्यय, सर्वेक्षण और सूची आदि।

इन नियंत्रण प्रपत्रों का उपयोग वार्षिक प्रतिवेदन, योजना संशोधन, प्रबंधन समीक्षा और मध्यावधि सुधार के लिए संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र में प्रबंधन गतिविधियों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए पीए बुक और रेंज बुक को संधारित करना है, जिसमें बनाए गए और अनुमोदित विचलन प्रस्ताव भी शामिल हैं। आवास प्रवृत्तियों, प्राकृतिक और मानव प्रेरित प्रभावों और प्रबंधन व्यवस्थाओं की दक्षता के मूल्यांकन के लिए कम्पार्टमेंट हिस्ट्री भी प्रतिवर्ष तैयार किया जाना है।

प्रबंधन योजना में संरक्षित क्षेत्र के बारे में सूचना संकलित करने के लिए वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल और संबंधित कर्मचारियों द्वारा संधारित नियंत्रण प्रपत्रों के प्रारूप भी शामिल थे। हालांकि, नमूना जांचित प्रमंडलों ने गतिविधियों की निगरानी और संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के लिए नियंत्रण प्रपत्र, पीए बुक, रेंज बुक और कम्पार्टमेंट हिस्ट्री का रखरखाव नहीं किया था। प्रबंधन ने वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन और निधियाँ विमुक्त करने से पहले क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा इन अभिलेखों का रखरखाव भी सुनिश्चित नहीं किया।

इस प्रकार, क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा पर्यावास प्रवृत्तियों, संरक्षित क्षेत्र पर प्राकृतिक और मानव प्रेरित प्रभावों तथा प्रबंधन प्रथाओं की दक्षता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक निर्धारित अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित करने में उच्च अधिकारियों की ओर से निगरानी का अभाव था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि प्रमंडलों और प्रक्षेत्रों में भारी मनावबल की कमी के कारण नियंत्रण प्रपत्र और संरक्षित क्षेत्र पुस्तकों का रखरखाव नहीं किया जा सका। आगे कहा गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन को विधिवत नोट कर लिया गया है तथा संबंधित इकाइयों को भविष्य में इसका अनुपालन करने के निर्देश दिए जाएंगे।

2.5.4 अनुसंधान गतिविधि का अभाव

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक को अपने-अपने संरक्षित क्षेत्र के लिए अनुसंधान प्राथमिकताएं तैयार करनी होंगी, जिन्हें राज्य वन्यजीव अनुसंधान योजना में समेकित किया जाएगा, जिसे राज्य वन विभाग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में तैयार किया जाएगा। एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण रणनीतियों और प्रबंधन योजनाओं (प्रबंधन योजना) को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि प्रबंधन योजना (2020-31) पुराने शोध आंकड़े और सूचना के आधार पर तैयार किए गए थे। प्रबंधन योजना ने स्थानीय रूप से विलुप्त प्रजातियों को पुनः शामिल करने, विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या का अध्ययन करने, वनस्पति प्रकारों का मानचित्रण करने, पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली आक्रामक प्रजातियों का अध्ययन करने, वनस्पतियों और जीवों का

वैज्ञानिक अध्ययन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मानक ज्ञान में सुधार करने के लिए अनुसंधान आधार को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया था। अनुसंधान कार्य सम्पन्न करने के लिए प्रबंधन योजना में प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में अनुसंधान अधिकारी का एक पद निर्धारित किया गया। हालाँकि, किसी भी संरक्षित क्षेत्र में अनुसंधान अधिकारी को नियोजित नहीं किया गया था और 2018-23 के दौरान कोई अनुसंधान गतिविधि शुरू नहीं की गई थी। आगे, विभाग ने वन्यजीवों और उनके आवासों से संबंधित अनुसंधान के लिए कोई कोष नहीं बनाया है और न ही उसने एनडब्ल्यूएपी के अनुरूप राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार की है।

अपेक्षित अनुसंधान के अभाव में, प्रबंधन योजना में अपनाई गई संरक्षित क्षेत्र की संरक्षण रणनीतियों को जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था, जो आवास परिवर्तन, बीमारियों के उद्भव, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के तेजी से प्रसार और जंगल की आग का कारण बन सकते थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और बताया कि पीटीआर को छोड़कर राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में नियमित शोधकर्ताओं और प्रकृतिवादियों को नियुक्त नहीं किया गया है। हालाँकि, नियमित अनुसंधान कार्य सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ताओं, पशु चिकित्सकों, प्रकृतिवादियों आदि से युक्त एक परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए 2024-25 में प्रावधान किया गया है।

अनुशंसा 18: विभाग निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी संरक्षित क्षेत्र में पीए बुक, रेंज बुक और नियंत्रण प्रपत्रों का रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है। अनुसंधान गतिविधि आरंभ करने तथा संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए एक राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय III

3.1 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

पथ निर्माण विभाग

3.1.1 पथ निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण पर निष्फल व्यय

सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अतिरिक्त निधि प्रदान करने में विभाग की असमर्थता और निर्धारित समय के अंदर भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु, कार्यपालक अभियंता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप, ₹ 19.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

मुख्य अभियंता (सीई), केंद्रीय निरूपण संगठन (सीडीओ), पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), राँची द्वारा "कोदम्बरी-मंडरो-रानीडीह-अस्को पथ (लंबाई: 18.85 किमी) का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण" कार्य हेतु सितंबर 2011 में ₹ 29.94 करोड़, तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया। परियोजना का प्रशासनिक स्वीकृति, सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिया गया (जनवरी 2012)। प्रति वर्ष 50 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के लक्ष्य के साथ, कार्य को दो वित्तीय वर्षों (2011-12 और 2012-13) के अंदर पूरा किया जाना था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार, मौजूदा सड़क में, 2.5 किमी में कच्चा ट्रैक, कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त पथ-परत, मौजूदा 46 पुलियों का अपर्याप्त वाहन-मार्ग एवं जल-मार्ग और एक संकीर्ण छोटा पुल शामिल था। बेहतर आवागमन के लिए पुलियों और पुल के प्रतिस्थापन के साथ-साथ, संपूर्ण विस्तार/मार्ग पर 3.00 मीटर के वाहन मार्ग की मौजूदा चौड़ाई को 5.50 मीटर तक बढ़ाया जाना था। डीपीआर में, सड़क मार्ग से लगे 30 मीटर तक को आच्छादित करने वाले 20 गांवों की 86.16 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹ 8.37 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान भी शामिल था।

कार्यपालक अभियंता (ईई), आरसीडी, पथ प्रमंडल, गिरिडीह के अभिलेखों की जांच (सितंबर 2021 और मार्च 2023) से पता चला कि ईई ने सड़क परियोजना के लिए चिह्नित 86.16 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए उपायुक्त, गिरिडीह से अनुरोध (मार्च 2012 और मार्च 2013 के बीच) किया था। जवाब में, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ), गिरिडीह ने ₹ 19.15 करोड़ के निधि की मांग की (मार्च 2012 और मार्च 2013), जो ईई द्वारा डीएलएओ को प्रदान कर दिए गए थे (मार्च 2012 और मार्च 2013 के बीच)। तदनुसार, जुलाई 2016 से प्रभावी दरों की निवर्तमान अनुसूची के आधार पर ₹ 51.12 करोड़ (भू-अर्जन के लिए ₹ 19.15 करोड़ सहित) का संशोधित अनुमान, सीई, सीडीओ, आरसीडी द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया था (दिसंबर 2016)।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया में डीएलएओ, गिरिडीह ने आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 270 दिनों[1] की निर्धारित समय सीमा से अधिक तक का विलंब किया। डीएलएओ ने 20 गांवों में 86.16 एकड़ भूमि के, अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएँ (अक्टूबर 2012 और जुलाई 2015 के बीच), भू-अर्जन की अधिघोषणा (मार्च 2013 और फरवरी 2016 के बीच) और भू-अर्जन के अधिनिर्णय की घोषणा (जून 2015 और जुलाई 2016 के बीच) विलंब से जारी की, जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: भूमि अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में विलंब

चरण	विलंब की सीमा (दिनों में)	प्रभावित गांवों की संख्या
भू-अर्जन की अधिसूचना	15 से 1,089	13 गाँव
भू-अर्जन की घोषणा	19 से 520	सभी 20 गाँव
अधिनिर्णय की घोषणा	7 से 964	सभी 20 गाँव

इस बीच, मार्च 2015 में झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू किया गया। उपायुक्त, गिरिडीह ने सचिव, आरसीडी से नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भू-अर्जन हेतु, ₹ 104.46 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया (जून 2017)। आगे, डीएलएओ ने उपलब्ध निधि से ₹ 19.15 करोड़ (मुआवजा: ₹ 15.35 करोड़ और स्थापना: ₹ 3.80 करोड़) का व्यय करके, 20 में से 15 गांवों में, टुकड़ों में, 10.57 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया (सितंबर 2016 और अगस्त 2017 के बीच) और पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर शेष ₹ 85.31 करोड़ की अतिरिक्त मांग की। तदनुसार, ईई ने सीई, सीडीओ, आरसीडी को स्वीकृति हेतु ₹ 139.28 करोड़[2] (₹ 104.46 करोड़ सहित अर्थात् भू-अर्जन की पुनरीक्षित लागत) का पुनरीक्षित डीपीआर प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2017), जो प्रदान नहीं की गई थी (जून 2024 तक), जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था।

इस बीच, अधिग्रहण की उच्च लागत को देखते हुए, सचिव, आरसीडी ने ईई को 30 मीटर के प्रारंभिक प्रस्ताव के विरुद्ध, सड़क से लगे केवल 15 मीटर को आच्छादित करते हुए भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को पुनरीक्षित करने का आदेश दिया (अगस्त 2018)। तदनुसार, ईई ने डीएलएओ से, तीन गांवों (मारुडीह, विजयासिंघा और आरागारो) को छोड़कर, जहां भूमि के लिए मुआवजा राशि पहले ही भुगतान कर

---

[1] राजस्व और भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित (दिसम्बर 2007) समय सीमा: प्रारंभिक जाँच और सत्यापन के बाद भू-अर्जन के लिए अधिसूचना: 63 दिनों तक; आपत्तियों के संकलन और निपटान के बाद भू-अर्जन के लिए घोषणा: 129 दिनों तक; मुआवजे के लिए अनुमानों के अनुमोदन के बाद पंचाट की घोषणा: 255 दिनों तक; और पंचाट राशि का संवितरण और भूमि का कब्जा: 270 दिनों तक

[2] ₹ 104.46 करोड़: भू-अर्जन और गृह व्यय (₹ 85.85 करोड़ + ₹ 18.61 करोड़), ₹ 0.06 करोड़: हैंड पंप, ₹ 2.51 करोड़ बिजली और ₹ 32.25 करोड़: सड़क निर्माण कार्य

दी गई थी, भू-अर्जन की प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध किया (अगस्त 2018)। तदनुसार, डीएलएओ ने अधिगृहित 10.57 एकड़ भूमि के विवरण के साथ, मूल अधियाचना वापस कर दी (दिसंबर 2020)। हालांकि, अधिगृहित भूमि का उपयोग चौड़ीकरण कार्य में नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसे टुकड़ों में/अव्यवस्थित तरीके से अधिगृहित किया गया था, जैसा कि ईई द्वारा देखा गया (फरवरी 2021)।

इसके बाद, मुख्य अभियंता, आरसीडी के अनुदेश पर, ईई ने मौजूदा भू-अधिकारों के अनुरूप ही पथ कार्य पूरा करने हेतु ₹ 35.79 करोड़ (भू-अर्जन पर पहले से किए गए ₹ 19.15 करोड़ सहित) का एक पुनरीक्षित डीपीआर प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2020 और जनवरी 2022 के बीच) ताकि कोई भू-अर्जन की आवश्यकता न हो। पुनरीक्षित डीपीआर, मौजूदा सड़क की दयनीय स्थिति और भू-अर्जन प्रक्रिया में देरी के कारण, केवल एकल लेन पथ (अर्थात् 3.75 मीटर चौड़ाई) के लिए जनहित में तैयार किया गया था। सीई, सीडीओ, आरसीडी ने ₹ 35.79 करोड़ के पुनरीक्षित डीपीआर को तकनीकी रूप से स्वीकृति दी (जुलाई 2022)।

एकल लेन पथ का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूर्ण करने हेतु, एक संवेदक के साथ ₹ 13.87 करोड़ का एकरारनामा (अक्टूबर 2022) किया गया। जनवरी 2024 तक, ₹ 14.85 करोड़ के भुगतान के विरुद्ध निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा कर लिया गया था।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक ₹ 104.46 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान करने में विभाग तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भू-अर्जन प्रक्रिया को पूरा करने में डीएलएओ की असमर्थता और आवश्यक 86.16 एकड़ के विरुद्ध केवल 10.57 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के कारण ₹ 19.15 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। इसके अलावा, बेहतर आवागमन के लिए सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य, इसकी स्वीकृति के 10 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, प्राप्त नहीं किया जा सका और अंततः, केवल एकल लेन पथ का निर्माण हुआ।

उत्तर में, ईई ने कहा (सितंबर 2021) कि डीएलएओ, गिरिडीह द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण, इसकी लागत बढ़ गई और विभाग द्वारा इसे स्वीकृति नहीं दी गई। डीएलएओ ने कहा (जुलाई 2022) कि नए अधिनियम के अधिनियमन के कारण अधिग्रहण की लागत बढ़ गई थी, जिसके तहत अधिनिर्णय घोषित किया जाना था।

ईई और डीएलएओ के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि ईई ने 270 दिनों की समय-सीमा के भीतर भू-अर्जन की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु, डीएलएओ के साथ संतोषजनक रूप से समन्वय स्थापित नहीं किया था। डीएलएओ ने भी किसी अधिनिर्णय की घोषणा से पहले, आवश्यक धन की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की थी और भूमि का अधिग्रहण टुकड़ों में किया। इसके अलावा, विभाग ने नए अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात पुनरीक्षित मांग के अनुसार, भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक निधि प्रदान नहीं किया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित की गई थी (नवंबर 2023); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2024)।

3.1.2 पुलों के निर्माण पर निष्फल व्यय

दामोदर और गवई नदियों पर दो पुलों के निर्माण पर हुए ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इसे उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि पहुँच पथों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (जेपीडब्ल्यूडी) संहिता (नियम 132) यह प्रावधान करता है कि, सामान्य मरम्मत जैसे आकस्मिक कार्य के मामले को छोड़कर, कोई कार्य उस भूमि पर शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जिसे जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा विधिवत न सौंपा गया हो। आगे, पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), झारखण्ड सरकार के आदेशों (अगस्त 2012) के अनुसार, यदि किसी पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो, तो संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ) से आवश्यक भूमि के विषय में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

मुख्य अभियंता (सीई), केंद्रीय निरूपण संगठन (सीडीओ), पथ निर्माण विभाग (आरसीडी), झारखण्ड द्वारा रामगढ़ और बोकारो जिलों में क्रमशः दामोदर और गवई नदियों पर संपर्क पथ सहित, दो उच्च स्तरीय (एचएल) पुलों[3] के निर्माण के लिए ₹ 18.06 करोड़[4] अनुमोदित किया गया। संवेदकों के माध्यम से, पुलों का निर्माण ₹ 19.57 करोड़[5] की लागत पर शुरू किया गया और ₹ 15.09 करोड़[6] के व्यय के पश्चात, जून 2017 और मार्च 2023 के बीच पूर्ण हुआ। हालांकि, आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाने के कारण, मार्च 2024 तक पहुँच पथ का निर्माण नहीं किया जा सका था, जिसकी चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

(क) रामगढ़ जिले में हेसापोडा-कुसुमडीह पथ में दामोदर नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों तक निर्बाध संपर्कता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत "वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए सड़क संपर्कता परियोजना" शुरू की (दिसंबर 2016)। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दो जिलों, रामगढ़ और बोकारो के कई

---

[3] **पुल** क: गवई नदी के ऊपर, बोकारो जिले के बहादुरपुर-कसमर-पीटरवार-पश्चिम बंगाल सीमा (बीकेपीडब्ल्यूबी) पथ के 22.05 किमी की चेनेज में; पुल ख: रामगढ़ जिले के हेसापोडा-कुसुमडीह पथ में दामोदर नदी के ऊपर

[4] **पुल** क: ₹ 2.30 करोड़ (सितंबर 2014) और पुल ख: ₹ 15.76 करोड़ (अप्रैल 2018)

[5] **पुल** क: ₹ 1.99 करोड़ और पुल ख: ₹ 17.58 करोड़

[6] **पुल** क: ₹ 1.37 करोड़ (जून 2017) और पुल ख: ₹ 13.72 करोड़ (मार्च 2023)

गांवों के बीच बेहतर परिवहन संपर्कता प्रदान करने के लिए हेसापोडा-कुसुमडीह पथ में दामोदर नदी पर एक उच्च-स्तरीय पुल के निर्माण के लिए ₹ 11.49 करोड़ स्वीकृत किया (मार्च 2018)।

सीई, सीडीओ, ने पहुँच पथ के साथ पुल कार्य के लिए ₹ 15.76 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (टीएस) दी (अप्रैल 2018)। टीएस के अनुसार, रामगढ़ की ओर संपर्क पथ के निर्माण के लिए, 1.20 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक था।

कार्यपालक अभियंता (ईई), पथ प्रमंडल, रामगढ़ के अभिलेखों की जांच (सितंबर 2023) से पता चला कि सीई (यातायात), आरसीडी द्वारा कार्य के लिए निविदा आमंत्रित किया गया (नवंबर 2018), जिसे विभागीय निविदा समिति द्वारा ₹ 17.58 करोड़ की लागत पर अंतिम रूप दिया गया (दिसंबर 2018)। तदनुसार, ईई ने जून 2020 तक कार्य को पूरा करने के लिए संवेदक के साथ ₹ 17.58 करोड़ का एक एकरारनामा निष्पादित किया (दिसंबर 2018)। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने निर्णय लिया (दिसंबर 2018) कि पहुँच पथ के निर्माण के लिए आवश्यक 0.873 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एनओसी निर्गत कर दी जाएगी, जैसा कि प्रमंडल द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, ईई ने फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किया। इसके विपरीत, ईई ने केवल 0.10 हेक्टेयर (0.25 एकड़) वन भूमि के लिए, और 11 पेड़ों को काटने की अनुमति के साथ, एनओसी निर्गत करने के लिए, वन प्रमण्डल पदाधिकारी (डीएफओ), रामगढ़ को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2023)। डीएफओ ने प्रस्ताव में कमियाँ पाई, क्योंकि आवेदन में वर्णित क्षेत्र, मूल्यांकित वन भूमि 0.893 हेक्टेयर से कम था, और ईई को कमियों का अनुपालन करने को कहा (जनवरी 2024)।

संवेदक ने दामोदर नदी पर पुल का कार्य पूर्ण कर लिया (मार्च 2023) और उसे ₹ 13.72 करोड़ का भुगतान किया गया (जुलाई 2023 तक)। कार्य निष्पादन के दौरान, ग्रामीणों ने, वर्षा ऋतु में अपने खेतों में जल जमाव को रोकने के लिए, बोकारो की ओर पहुँच पथ में एक बॉक्स पुलिया के निर्माण की मांग की। ईई ने ₹ 75 लाख की अनुमानित लागत पर, बॉक्स पुलिया के निर्माण के लिए, मुख्य अभियंता (यातायात) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल और नवंबर 2023), जिसे अभियंता-प्रमुख, आरसीडी द्वारा स्वीकृत किया गया (15 मार्च 2024)। हालांकि, 16 मार्च 2024 से मॉडल आचार संहिता (आम संसदीय चुनाव) शुरू होने के कारण, निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी।

प्रमंडल के प्रभारी अभियंता के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) के दौरान, यह देखा गया कि दोनों ओर पहुँच पथों का निर्माण शुरू नहीं किया गया था, जैसा कि **चित्र 3.1** और **3.2** में देखा जा सकता है।

चित्र 3.1 (बोकारो की ओर)

चित्र 3.2 (रामगढ़ की ओर)

हेसापोडा-कुसुमडीह रोड पर दामोदर नदी पर उच्च स्तरीय पुल (06 सितंबर 2023)

इस प्रकार, पुल के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल रहा (जुलाई 2024)।

उत्तर में, ईई ने कहा (जुलाई 2024) कि रामगढ़ की ओर पहुँच पथ के निर्माण के लिए, वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि बोकारो की ओर बॉक्स पुलिया के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।

ईई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संहिता के प्रावधानों और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर, प्रमंडल ने आवश्यक भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

(ख) बोकारो जिले में गवई नदी के ऊपर पहुँच पथ के साथ उच्च स्तरीय (एचएल) पुल का निर्माण।

बोकारो जिले के बहादुरपुर-कसमार-पेटरवार-पश्चिम बंगाल सीमा (बीकेपीडब्ल्यूबी) पथ के 22.05 किलोमीटर की श्रृंखला में गवई नदी पर पहुँच पथ (400 मीटर) के साथ एक उच्च स्तरीय (एचएल) पुल के निर्माण के लिए सीई, सीडीओ, आरसीडी, झारखण्ड द्वारा ₹ 2.30 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (सितंबर 2014) और आरसीडी, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया (जून 2015)। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार, छः मीटर के आवागमन मार्ग के साथ एचएल पुल, मौजूदा निम्न स्तरीय और जलमग्न पुल को बदलने के लिए आवश्यक था। यह आवश्यक था, क्योंकि बीकेपीडब्ल्यूबी पथ (लंबाई 33.30 किमी) का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाना था और मौजूदा पुल वर्षा ऋतु के दौरान सर्व-ऋतु यातायात को बाधित करता। यह भी देखा गया कि संपर्क पथों के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान के लिए, बीकेपीडब्ल्यूबी पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की आवश्यकता के साथ-साथ आकलन किया गया और तदनुसार, 29 गांवों/मौजा[7] की 54.03 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक थी।

कार्यपालक अभियंता (ईई), आरसीडी, पथ प्रमंडल, बोकारो के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2020 और मार्च 2024) से पता चला कि निविदा के पश्चात (जुलाई 2015), पुल का निर्माण कार्य ₹ 1.99 करोड़ में एक संवेदक को सौंपा गया (सितंबर 2015)।

---

[7] कसमार ब्लॉक (बोकारो जिला) के मौजा-मुरहुलसूदी में स्थित प्रस्तावित एचएल ब्रिज

तत्पश्चात, अक्टूबर 2016 तक कार्य को पूरा करने के लिए संवेदक के साथ ₹ 1.99 करोड़ का एक एकरारनामा निष्पादित किया गया (अक्टूबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पुल निर्माण के दौरान, ईई ने उपायुक्त (डीसी), बोकारो को आवश्यक 54.03 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था (नवंबर 2015 और जुलाई 2016 के बीच)। हालांकि, प्रस्ताव अधूरा होने के कारण, अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी हुई। ईई ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ), बोकारो को मांग पर (अगस्त 2018) ₹ 19.54 करोड़ हस्तांतरित कर दिए थे (मार्च 2019)। डीएलएओ ने मुरहुलसुदी मौजा में 2.13 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में घोषणापत्र निर्गत की (अक्टूबर 2019), जो पहुँच पथों के निर्माण के लिए आवश्यक था। हालांकि, भूमि को कब्जे में नहीं लिया जा सका, क्योंकि भू-स्वामियों ने मार्च 2024 तक मुआवजे के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार, पहुँच पथों का निर्माण शुरू नहीं किया जा सका।

इस बीच, संवेदक ने ₹ 1.37 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया (जून 2017) और ईई से एकरारनामा को बंद करने का अनुरोध किया (फरवरी 2018 और जून 2019 के बीच) क्योंकि पहुँच पथों के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। तदनुसार, अभियंता-प्रमुख, आरसीडी ने भूमि की अनुपलब्धता के आधार पर एकरारनामा को समय-पूर्व बंद करने का आदेश दिया (अगस्त 2022)। हालांकि, विभाग[8] द्वारा समय-विस्तार (ईओटी) के अनुमोदन (अप्रैल 2024) और शेष कार्य सहित पूरे कार्य के लिए ₹ 2.60 करोड़ के पुनरीक्षित टीएस के अनुमोदन (जुलाई 2023) के बाद, जुलाई 2024 में ही एकरारनामा को बंद किया जा सका। इस प्रकार, पहुँच पथ के अभाव में, पुल को जून 2017 में इसके पूरा होने के बाद से छः वर्ष से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। प्रमंडल के प्रभारी इंजीनियर के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2024) के दौरान पुल अप्रयुक्त पड़ा पाया गया, जैसा कि **चित्र 3.3 से 3.5** में देखा जा सकता है।

चित्र 3.3

सीएच 22.050 कि.मी. में गवई नदी पर निर्मित एचएल पुल (06 मार्च 2024)

---

8 सचिव, आरसीडी द्वारा दिया गया ईओटी और सीई, सीडीओ, आरसीडी द्वारा दिए गए टीएस को संशोधित किया।

चित्र 3.4	चित्र 3.5

पुल के दोनों छोर से संपर्क पथ के बिना एचएल पुल (06 मार्च 2024)

जवाब में, ईई ने कहा (जुलाई 2024) कि संपर्क पथ के निर्माण सहित शेष कार्य के लिए, ₹ 1.24 करोड़ की अनुमानित लागत पर 19 जून 2024 को निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा को अंतिम रूप देने के बाद, शेष कार्य पूरा हो जाएगा।

ईई का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संहिता के प्रावधानों और विभागीय निर्देशों का उल्लंघन कर, प्रमंडल ने आवश्यक भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

इस प्रकार, संपर्क पथों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बिना पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के कारण, उपर्युक्त पुलों के निर्माण पर हुआ ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, क्योंकि एलडब्ल्यूई से प्रभावित कठिन और दूर-दराज क्षेत्र को संपर्कता प्रदान करने का परियोजना का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

ग्रामीण विकास विभाग

3.1.3 मॉल के लिए भवन निर्माण पर निष्फल व्यय

बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखण्ड में एक मॉल के लिए निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.09 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ग्रामीण विकास विभाग[9] (विभाग), झारखण्ड सरकार (जीओजे), ने एक बैठक (जनवरी 2014) में लिए गए निर्णयों के आधार पर जिला परिषद् (जेडपी), बोकारो की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बोकारो जिले के चंदनकियारी और चास प्रखण्ड में मॉल (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) के निर्माण के लिए एक योजना को स्वीकृति दी। तदनुसार, विभाग ने, मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास, विशेष प्रक्षेत्र, राँची द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति (जुलाई 2014) के आधार पर, ₹ 4.82 करोड़ प्रत्येक के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (अगस्त 2014)। चंदनकियारी प्रखण्ड में मॉल के निर्माण का कार्य, निविदा के आधार पर ₹ 5.16 करोड़ की सहमत मूल्य पर एक संवेदक को सौंपा गया (अक्टूबर 2014) और ₹ 5.09 करोड़ की लागत से मार्च 2018 में पूर्ण

[9] पूर्ववर्ती पंचायती राज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमण्डल) विभाग

कर लिया गया था। कार्य पूर्ण होने के पश्चात, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जेडपी, बोकारो ने, मॉल में दुकानों एवं हॉलों की नीलामी/आवंटन के लिए, दैनिक समाचार-पत्रों में 19 सार्वजनिक सूचना (फरवरी 2018 और सितंबर 2023 के बीच) प्रकाशित किया।

जेडपी, बोकारो के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि जेडपी, बोकारो ने ₹ तीन करोड़ की सुरक्षा जमा और ₹ तीन लाख के मासिक किराए के साथ चास और चंदनकियारी प्रमंडलों में मॉल की नीलामी के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी (फरवरी 2018)। एक वर्ष बाद, दोनों मॉलों के लिए सुरक्षा जमा राशि को घटाकर ₹ 2.68 करोड़ कर दिया गया (फरवरी 2019)। आगे, जेडपी की बैठक (मई 2019) में लिए गए निर्णय के अनुसार, चास और चंदनकियारी में मॉल के लिए पूर्व-निर्धारित न्यूनतम सुरक्षा राशि को फिर से घटाकर क्रमशः ₹ 2.13 करोड़ और ₹ 1.48 करोड़ कर दिया गया था। हालांकि, चंदनकियारी मॉल के लिए कोई आवेदन (जुलाई 2019) प्राप्त नहीं हुआ था। फरवरी 2019 से जून 2020 के दौरान, सार्वजनिक सूचनाओं में मॉल के लिए मासिक किराया प्रकाशित नहीं किया गया था, परन्तु बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए, बाद में विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं (**परिशिष्ट 3.1** में विस्तारित) के माध्यम से, मॉल के लिए सुरक्षा राशि को और कम, ₹ 89 लाख (जुलाई 2019 में) और अक्टूबर 2023 में ₹ 10 लाख तक, किया गया। अंत में, एक एजेंसी (मेसर्स ब्लैक पैंथर गार्ड एंड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड.) से प्राप्त प्रस्ताव (सितंबर 2023) के आधार पर पूरे मॉल के आबंटन के लिए, जेडपी, बोकारो द्वारा अपनी बैठक (नवंबर 2023) में तकनीकी रूप से एकल योग्य बोलीदाता को ₹ 1.43 लाख के मासिक किराए पर, एक वर्ष के लिए ₹ 10 लाख की सुरक्षा जमा के साथ मॉल आबंटित करने का निर्णय लिया गया (दिसंबर 2023)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एजेंसी द्वारा ₹ 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया था (नवंबर 2023) और एजेंसी को मॉल सौंपने के लिए एजेंसी के साथ सुरक्षा जमा और बातचीत की जा रही थी (मई 2024)। इस प्रकार, जेडपी द्वारा एजेंसी को मॉल नहीं सौंपा गया था और मई 2024 तक उपयोग में नहीं लाया गया था।

पूछे जाने पर, जेडपी बोकारो ने कहा (मार्च 2024) कि क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के कारण अपेक्षित वाणिज्यिक गतिविधि और आवासीय आवश्यकताओं के मद्देनजर चंदनक्यारी में एक मॉल बनाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि मॉल के लिए चुनी गई साइट 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में आती है। इसके अलावा, जेडपी, बोकारो द्वारा मॉल की स्थापना के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता का कोई आकलन किए बिना निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (05 मार्च 2024) कि लंबे समय तक मॉल के गैर-उपयोग और गैर-रखरखाव के कारण भवन की स्थिति खराब हो गई थी, जैसा कि मॉल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया (**चित्र 3.6** से **3.9**)।

चित्र 3.6	चित्र 3.7
चित्र 3.8	**चित्र 3.9**

दीवारों, रेलिंग, सीढ़ियों के दरवाजों और खिड़कियों को नुकसान दिखाते हुए मॉल भवन (संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 05 मार्च 2024 को ली गई तस्वीरें)

भौतिक सत्यापन (5 मार्च 2024) के दौरान पाया गया कि भवन की दीवारें, फर्श, सीढ़ियाँ, रेलिंग, खिड़कियाँ आदि क्षतिग्रस्त थीं। इसके अलावा, इमारत में लगाए गए 66 सीलिंग पंखे की चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। क्षतिग्रस्त दीवारों / फर्श / सीढ़ियों आदि की मरम्मत के लिए जेडपी, बोकारो द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, और चोरी किए गए पंखों के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

अतः चंदनक्यारी में मॉल निर्माण के लिए इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन किए बिना स्थल का चयन किया गया, फलस्वरूप इसके पूरा होने (मार्च 2018) के बाद से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का उपयोग नहीं हुआ, और इसके निर्माण पर ₹ 5.09 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

3.1.4 वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली के विकास पर निष्फल व्यय

वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.77 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ग्रामीण विकास विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रोमोशनल टेक्नोलॉजी (जैप-आईटी) द्वारा विकसित ईआरपी सॉफ्टवेयर "वेब-आधारित लेखांकन प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस)" के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास

अभिकरणों (डीआरडीए) और प्रखण्ड कार्यालयों के लेखाओं के ऑनलाइन संधारण के लिए योजना को स्वीकृति दी (जुलाई 2015)। यह एप्लिकेशन (डब्ल्यूएएमएस) राज्य के सभी 24 जिलों, 24 जिला परिषदों और 265 प्रखण्डों में लागू किया जाना था। एप्लिकेशन में ट्रैकिंग, निगरानी, लेखाओं का बैंकों और कोषागारों के साथ एकीकरण और लेखांकन के लिए विभिन्न विशेषताएँ इत्यादि शामिल थीं। तदनुसार, जैप-आईटी ने ₹ 1.89 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया (अक्टूबर 2015), जिसे 24 माह के अन्दर पूरा किया जाना था, जिसमें विकास, कार्यान्वयन, सहायता और रख-रखाव आदि कार्य सम्मिलित थे।

विभाग के प्रधान सचिव ने प्रस्तावित परियोजना लागत के लिए ₹ 1.83 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी (नवंबर 2015) और निर्देश दिया (नवंबर 2015) कि परियोजना का कार्यान्वयन विभाग तथा जैप-आईटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में किया जाएगा। विभाग ने इस परियोजना के लिए जैप-आईटी को दो किस्तों[10] में ₹ 1.83 करोड़ प्रदान किए (दिसंबर 2015 और अगस्त 2017) जिसके विरुद्ध ₹ 1.77 करोड़ खर्च किए गए थे (फरवरी 2019 तक)।

प्रस्तावित परियोजना के अनुसार, एक ही या विभिन्न जिलों के दो प्रखण्डों में सफल पायलट अध्ययन के बाद एप्लिकेशन का कार्यान्वयन शुरू किया जाना था। तत्पश्चात, आठ जिलों को आच्छादित किया जाना था, जहां प्रशिक्षकों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था। जिला स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों और कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और एप्लिकेशन का उपयोग शुरू करने में सहायता करनी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2022) में पाया गया कि विभाग ने पायलट आधार पर 21 अक्टूबर 2016 से डब्ल्यूएएमएस के माध्यम से लेखाओं के ऑनलाइन संधारण के लिए राँची जिले में नगड़ी प्रखण्ड का चयन किया (अक्टूबर 2016)। जैप-आईटी ने विभाग से पायलट/प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए 10 प्रखण्डों की पहचान करने का भी अनुरोध किया था (मार्च 2017) ताकि एप्लिकेशन की सटीकता, उपयोगिता और निष्पादन का पता लगाया जा सके। प्रत्युत्तर में, विभाग द्वारा नगड़ी प्रखण्ड सहित छः प्रखण्डों[11] की पहचान (मार्च 2017) की गई और जैप-आईटी की डब्ल्यूएएमएस दल द्वारा प्रखण्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हालाँकि, जैप-आईटी इस पायलट कार्यान्वयन के परिणाम का आकलन नहीं कर सका क्योंकि इसे उपयोगकर्ताओं से कोई प्रतिपुष्टि नहीं मिली। इसलिए इसने विभाग को सूचित किया (16 मार्च 2017) कि डब्ल्यूएएमएस एप्लिकेशन या तो शुरू नहीं हुआ था या केवल पायलट प्रखण्डों द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा था और विभाग

[10] जैप-आईटी को ₹ 1.08 करोड़ की पहली किस्त दिसंबर 2015 में निर्गत की गई थी और ₹ 0.75 करोड़ की दूसरी किस्त अगस्त 2017 में निर्गत की गई।

[11] नगड़ी, बेड़ो, बुंडू, कांके (रांची जिला), कुडु (लोहरदगा जिला) और हजारीबाग सदर ब्लॉक (हजारीबाग जिला)।

से अनुरोध किया कि प्रखण्ड को एप्लिकेशन का उपयोग करने और जैप-आईटी को अपनी प्रतिपुष्टि संप्रेषित करने का निर्देश दें ताकि सभी प्रखण्डों में डब्ल्यूएएमएस लागू किया जा सके।

विभाग ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1 अप्रैल 2017 से डब्ल्यूएएमएस का उपयोग करते हुए प्रखण्ड कार्यालयों के लेखों को ऑनलाइन संधारित करने का निर्देश दिया था (मार्च 2017) और प्रखण्ड स्तरीय कर्मचारियों के लिए (अप्रैल 2017 और जून 2017 के बीच) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तत्पश्चात, जैप-आईटी द्वारा परियोजना की अपर्याप्त मानव-बल, अनियमित अनुश्रवण और मूल्यांकन का हवाला देते हुए विभाग ने विभागीय स्तर पर परियोजना शुरू करने और शेष कार्यों[12] को पूरा करने का निर्णय लिया (जनवरी 2018) और जैप-आईटी को निर्देश दिया कि परियोजना, विभाग को हस्तगत कर दे। जैप-आईटी ने पाँच सर्वरों और परियोजना के लिए नियुक्त डब्ल्यूएएमएस दल के साथ, परियोजना, विभाग को हस्तगत कर दिया (मई 2018)। विभाग ने, डब्ल्यूएएमएस दल (पाँच सदस्यों का) की सेवाओं को, 1 जून 2018 से 31 मार्च 2019 अथवा परियोजना के पूरा होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक जारी रखने की अनुमति दी (जून 2018)। आगे, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि परियोजना हस्तगत करने के बाद भी, विभाग, जिला या प्रखण्ड स्तर पर, एप्लिकेशन के माध्यम से कोई कार्य नहीं किया जा रहा था और लेखाओं का संधारण मैनुअल रूप से किया जा रहा था।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2024) में कहा कि डब्ल्यूएएमएस एप्लिकेशन को प्रखण्डों में कार्य करने वाले मानव-बल के माध्यम से संचालित करना अपेक्षित था। वहाँ कार्यरत कर्मियों की अक्षमताओं और बाधाओं के कारण, एप्लिकेशन में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थीं और इस तरह, वर्तमान में एप्लिकेशन अकार्यात्मक है। विभाग ने यह भी कहा कि, चूंकि डब्ल्यूएएमएस को ईआरपी के पुराने संस्करण में विकसित किया गया था, इसलिए इसे अनुरूप बनाने के लिए अद्यतित करना आवश्यक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने, परियोजना को वर्तमान रूप में इसकी उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना ही, अधिकार में ले लिया और आवश्यकतानुसार, अग्रेतर सुधार तथा कर्मियों द्वारा एप्लिकेशन के उपयोग कराने के लिए, डब्ल्यूएएमएस दल की सेवाओं को उपयोग में लाने में भी विफल रहा। तथ्य यह है कि झारखण्ड के किसी भी प्रखण्ड में डब्ल्यूएएमएस एप्लिकेशन संचालित नहीं किया जा सका।

परिणामतः डब्ल्यूएएमएस के विकास पर किए गए ₹ 1.77 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

[12] सभी जिलों/जिला परिषदों/प्रखण्डों में कार्यान्वयन, समर्थन और रखरखाव

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

3.1.5 छंटाई श्रेणीकरण सुविधाओं और शीतागार के निर्माण पर निष्फल व्यय

जनवरी और जून 2014 के बीच ₹ 3.67 करोड़ की लागत से निर्मित 16 शीतागार और छंटाई श्रेणीकरण सुविधाओं को चालू नहीं किया गया, जिससे व्यय निष्फल रहा।

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पार्षद (जेएसएएमबी) की स्थापना (मार्च 2001), राज्य के कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) के माध्यम से, अपने हितधारकों को विपणन सुविधाएं और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए की गई थी। जेएसएएमबी ने सीमांत किसानों को, विशेष रूप से बागवानी में शामिल, बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, कृषि उपजों के शीत-भंडारण और संरक्षण के लिए, राज्य के अंतर्गत एकीकृत शीतागार प्रणाली के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए एक परियोजना भी शुरू की थी।

परियोजना में (i) कृषि उपज के उचित रख-रखाव के लिए वैज्ञानिक भंडारण, संरक्षण, प्रसंस्करण और फसल कटाई पश्चात हथालन अवसंरचनाओं का निर्माण (ii) राज्य में मौजूदा भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता का संवर्धन और (iii) वैज्ञानिक भंडारण और प्रसंस्करण पद्धति को बढ़ावा देना और राज्य में एकीकृत शीतागार प्रणाली को लोकप्रिय बनाना शामिल था।

प्रबंध निदेशक (एमडी), जेएसएएमबी द्वारा 18 शीतागार इकाइयों[13] के निर्माण हेतु ₹ 4.21 करोड़ (प्रत्येक इकाई के लिए ₹ 23.52 लाख[14]) का प्रशासनिक स्वीकृति (मई 2010), अधीक्षण अभियंता (एसई), जेएसएएमबी द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के आधार पर दिया गया था। इन इकाइयों के निर्माण के लिए, 33.33 प्रतिशत निधि, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत प्राप्त किया गया था और शेष 66.67 प्रतिशत एपीएमसी द्वारा प्रदान किया जाना था, जहां इन इकाइयों की स्थापना की जानी थी। सभी 18 इकाइयों के निर्माण के लिए कार्यादेश, कार्यपालक अभियंता (ईई), जेएसएएमबी, राँची द्वारा, आदेश निर्गत करने की तारीख से छः माह के अंदर कार्य को पूरा करने की शर्त के साथ, एक संवेदक[15] को निर्गत किए गए थे (मार्च 2012 और मई 2012)।

जेएसएएमबी के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2020) और संबंधित एपीएमसी से एकत्र की गई (नवंबर 2022 और जनवरी 2023) सूचनाओं से पता चला कि 16 इकाइयों के निर्माण के लिए ईई, जेएसएएमबी, राँची को ₹ 3.67 करोड़ (एपीएमसी

---

13 राँची में आठ शीतगार इकाई, रामगढ़ में दो इकाई और लोहरदगा, जमशेदपुर, गुमला, सिमडेगा, देवघर, हजारीबाग, बेरमो और दुमका में एक-एक इकाई

14 सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यः ₹ 3.72 लाख; मल्टीपल फ्रूट-वेज श्रेणीकरण इकाईः ₹ 13.40 लाख; 5 एमटी का शीतगृहः ₹ 4.35 लाख; जेनसेट 7.5 केवीएः ₹ 1.42 लाख; वजन तौलने की मशीनः ₹ 0.34 लाख; आकस्मिकता 5 प्रतिशतः ₹ 0.29 लाख

15 मेसर्स एयर कंट्रोल एंड केमिकल इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता

से ₹ 2.72 करोड़ और एनएचएम से ₹ 0.95 करोड़) उपलब्ध कराए गए थे। शेष दो इकाइयों (बेड़मो और दुमका) का निर्माण, भूमि की अनुपलब्धता के कारण (जनवरी 2023) शुरू नहीं किया जा सका। 16 इकाइयों का निर्माण, ₹ 3.67 करोड़ की लागत से, पूर्ण हो चुका था (जनवरी और जून 2014 के बीच)। तत्पश्चात, एसई, जेएसएएमबी ने सचिव, जेएसएएमबी से अनुरोध किया (नवंबर 2013) कि उपकरण निर्माता द्वारा प्रशिक्षित होने के लिए शीतागार इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रशिक्षित पेशेवरों को तैनात किया जाए। प्रत्येक निर्मित इकाई की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की भी मांग की गई। जेएसएएमबी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह उपकरणों के निष्क्रिय पड़े रहने कारण संभावित नुकसान से बचाव के लिए इकाइयों को संचालित रखे। जवाब में, प्रबंध निदेशक, जेएसएएमबी ने एक तीन सदस्यीय समिति[16] का गठन किया (जनवरी 2014) और शीतागारों के संचालन पर एक विस्तृत प्रतिवेदन देने को कहा (जनवरी 2014)। हालांकि, आईटीआई प्रशिक्षित पेशेवरों अथवा सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और शीतागारों के संचालन पर विस्तृत प्रतिवेदन अभिलेखों में नहीं था।

चूंकि स्थानीय किसानों ने अपने उत्पादों को संरक्षित करने के लिए शीतागार सुविधाओं में रुचि नहीं दिखाई और अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने लगे, इसलिए एमडी, जेएसएएमबी ने झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडेरेशन लिमिटेड (वेजफेड) के माध्यम से शीतागार इकाइयों को संचालित करने का निर्णय लिया (सितंबर 2016) और संबंधित एपीएमसी के सचिवों को वेजफेड के क्षेत्राधिकार में आने वाले सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (वीपीसीसी) को इन इकाइयों को सौंपने का निर्देश दिया। यह देखा गया कि वेजफेड के कई अनुरोधों के बावजूद, किसी भी एपीएमसी ने, वीपीसीसी को इकाइयां नहीं सौंपी थीं (जनवरी 2023)। यद्यपि, एमडी, वेजफेड ने कृषि निदेशक, झारखण्ड से अनुरोध किया था (अप्रैल 2020) कि वे निर्मित इकाइयों को सौंपने के लिए एपीएमसी को अग्रेतर अनुदेश जारी करें, तथापि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इकाइयों की भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए विपणन पार्षद के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा 16 शीतागार इकाइयों का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया (नवंबर 2022 और जनवरी 2023)। भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया कि सभी 16 निर्मित इकाइयां बेकार और चिंताजनक स्थिति में पड़ी थीं, जैसा कि **चित्र 3.10** से **3.13** में दर्शाया गया है।

---

[16] एसई, जेएसएएमबी, निदेशक, जेएसएएमबी और संबंधित एपीएमसी के सचिव

चित्र 3.10	चित्र 3.11
पिठोरिया में क्षतिग्रस्त शीतागार इकाई (30 नवंबर 2022)	***लोहरदग्गा में क्षतिग्रस्त शीतागार इकाई (10 जनवरी 2023)***
चित्र 3.12	**चित्र 3.13**
मांडर में क्षतिग्रस्त शीतागार इकाई (23 नवंबर 2022)	***गुमला में शीतागार इकाई की खराब स्थिति (12 जनवरी 2023)***

उत्तर में, सचिव, जेएसएएमबी ने कहा (मार्च 2024) कि प्रशिक्षित/तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण शीतागार इकाइयों को संचालित नहीं किया गया। शीतागार के संचालन की जिम्मेदारी वेजफेड को देने का निर्णय लिया गया था, परन्तु हस्तगत करने की प्रक्रिया में विलंब के कारण, वे इसे संचालित करने में रुचि नहीं ले रहे थे।

इसलिए, तथ्य यह है कि जेएसएएमबी, निर्मित शीतागार इकाइयों को वेजफेड को हस्तगत करवाने में विफल रहा और इकाइयों में संस्थापित उपकरण अनुपयोगी हो गए।

अतः, 16 शीतागार इकाइयों को पूर्ण/स्थापित होने के नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, इसे संचालित करने में जेएसएएमबी, एपीएमसी और विभागीय (नियंत्रण) अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.67 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। इसके अलावा, शीतागार इकाइयों को स्थापित करके, खराब होने वाली कृषि उत्पाद के लिए, आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा के माध्यम

से, सीमांत किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने का इच्छित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

3.1.6 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखण्ड में 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के निर्माण पर ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि इसके निर्माण के तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी अस्पताल का संचालन नहीं हुआ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड सरकार को ₹ 83.31 करोड़ की सहायता अनुदान निर्गत किया (सितंबर 2011)। उक्त अनुदान में से, सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखण्ड के तहत कनास पंचायत के एकताल गाँव में 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल के निर्माण के लिए ₹ 1.20 करोड़ की स्वीकृति दी (मार्च 2012)। स्वीकृति पत्र (मार्च 2012) के अनुसार, कार्य को निविदा के आधार पर, आदिवासी कल्याण आयुक्त (टीडब्ल्यूसी), राँची/ समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (आईटीडीए) द्वारा निष्पादित किया जाना था। सचिव, कल्याण विभाग द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण, मासिक आधार पर किया जाना था। कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति तिमाही आधार पर कल्याण विभाग को प्रस्तुत की जानी थी, और निर्माण कार्य पूरा होने पर, उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ तस्वीरें, कल्याण विभाग को प्रस्तुत की जानी थी।

तदनुसार, आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची ने संबंधित आईटीडीए को सूचित किया था (12 अक्टूबर, 2012) कि भवन निर्माण प्रमंडल, जमशेदपुर, को कार्य के निष्पादन हेतु एजेंसी के रूप में चुना गया है। प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर ₹ 1.89 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति/ प्रशासनिक स्वीकृति भी दी थी (मई 2014)।

कार्यपालक अभियंता (ईई), ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आरडीएसडी), जमशेदपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2023) और परियोजना निदेशक (पीडी), आईटीडीए, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकत्रित जानकारी (फरवरी से अप्रैल 2024) से पता चला कि पीडी ने कार्य के निष्पादन की जिम्मेदारी आरडीएसडी, जमशेदपुर को सौंप दी थी (अगस्त 2014)। तदनुसार, मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम ने कार्य को ₹ 1.56 करोड़ की एकारारित मूल्य पर एक संवेदक को सौंप दिया (सितंबर 2014)। तदोपरांत, संवेदक के साथ एक एकरारनामा निष्पादित किया गया (जनवरी 2015) जिसमें कार्य को जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

संवेदक ने निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था (जुलाई 2020) जिसके लिए उसे ₹ 1.55 करोड़[17] का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात, ईई, आरडीएसडी, ने पीडी, आईटीडीए, पूर्वी सिंहभूम से भवन को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया (सितंबर 2020)। पीडी, आईटीडीए, पूर्वी सिंहभूम ने, निर्मित भवन के निरीक्षण (दिसंबर 2020) के दौरान पाया कि भवन की नींव सड़क स्तर से नीचे था, जिससे वर्षा ऋतु के दौरान कमरों में जल-जमाव की संभावना थी। इसलिए, पीडी ने ईई, आरडीएसडी, जमशेदपुर से, स्थल सत्यापन के पश्चात एक निरीक्षण प्रतिवेदन देने को कहा। ईई, आरडीएसडी ने, तत्पश्चात (अप्रैल 2021), उप-विकास आयुक्त (डीडीसी), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से अस्पताल भवन को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि भवन की नींव का स्तर प्राक्कलन के अनुरूप था और स्थल की असमतल स्थिति को देखते हुए, भवन परिसर से वर्षा के जल की निकासी के लिए गड्ढों को काट दिया गया था। तथापि, पीडी, आईटीडीए अथवा डीडीसी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा भवन पर कब्जा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ईई, आरडीएसडी ने पुन: पीडी, आईटीडीए और डीडीसी, पूर्वी सिंहभूम को सूचित किया (अप्रैल 2021) कि प्रखण्ड विकास अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा भवन को औपचारिक रूप से अपने अधीन लिए बिना अस्पताल भवन का उपयोग, कोविड आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया गया था और यह भी कहा कि इसे हस्तगत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि संवेदक अपने सुरक्षा गार्ड को भवन से पहले ही हटा दिया था, इसलिए भवन और साज-सामान को नुकसान पहुंचने की जिम्मेदारी संवेदक की नहीं होगी। हालांकि, पीडी, आईटीडीए और डीडीसी दोनों ने भवन को अपने अधीन लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इस बीच, सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएस-सह-सीएमओ), जमशेदपुर ने 50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल भवन के पास एक नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), धालभूमगढ़ का निरीक्षण किया (जुलाई 2021) और उपायुक्त (डीसी), पूर्वी सिंहभूम को सूचित किया (जुलाई 2021) कि निर्मित सीएचसी भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था और इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता था क्योंकि दरवाजे, खिड़कियां, विद्युत तार आदि हटा दिए गए थे। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि सीएचसी भवन के निकट कल्याण विभाग द्वारा निर्मित ग्रामीण अस्पताल भवन का उपयोग, संपर्क पथ के निर्माण के उपरान्त, सीएचसी के संचालन के लिए किया जा सकता है। ईई, आरडीएसडी, जमशेदपुर ने पीडी, आईटीडीए से सहमति लिए बिना, सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर को अस्पताल भवन सौंप दिया (सितंबर 2021)।

हालांकि, सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर ने ग्रामीण अस्पताल भवन का उपयोग नहीं किया और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचित किया (नवंबर 2023) कि सीएचसी को ग्रामीण अस्पताल को भवन में विभिन्न

---

[17] दिनांक 30.09.2021 के चौथे चलंत लेखा बिल के माध्यम से भुगतान किया गया।

कारणों जैसे, भवन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति, संपर्क पथ का अभाव, वर्षा ऋतु में जल-जमाव और भवन में दरवाजों, पंखे, ग्रिल आदि की अनुपस्थिति से नहीं चलाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2024 तक कल्याण विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण अस्पताल भवन को उपयोग में लाने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि जिला कल्याण अधिकारी, जमशेदपुर और पीडी, आईटीडीए, जमशेदपुर ने अस्पताल भवन के एक संयुक्त निरीक्षण (अप्रैल 2024) में पाया कि अस्पताल भवन बिना किसी दरवाजे/खिड़कियों के जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था। इसके अलावा, मुख्य सड़क से अस्पताल भवन तक कोई पहुँच पथ नहीं था। भवन को इसके संचालन हेतु नवीनीकरण की आवश्यकता थी, जिसके लिए ₹ 49.82 लाख का प्राक्कलित अनुमान पीडी, आईटीडीए, जमशेदपुर द्वारा अनुमोदन हेतु टीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया था (अप्रैल 2024)।

इस प्रकार, ₹ 1.55 करोड़ की लागत से निर्मित ग्रामीण अस्पताल भवन को, न तो स्वास्थ्य विभाग और न ही कल्याण विभाग, कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी संचालित करने में सक्षम था। आगे, भवन के उपयोग के लिए आईटीडीए, जमशेदपुर और सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर के बीच समन्वय की कमी थी, जिससे भवन की स्थिति समय के साथ-साथ जीर्ण-शीर्ण होती गई, जैसा कि **चित्र 3.14 और 3.15** में देखा जा सकता है।

चित्र 3.14	चित्र 3.15

50 बिस्तरों वाले ग्रामीण अस्पताल, धालभूमगढ़ का बेकार/ जीर्ण-शीर्ण भवन (02 फरवरी 2024)

इस प्रकार, ईई, आरडीएसडी से पूर्ण भवन को अपने अधीन लेने में आईटीडीए जमशेदपुर की असमर्थता और नवनिर्मित ग्रामीण अस्पताल भवन के संचालन हेतु आईटीडीए जमशेदपुर और सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 1.55 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया, साथ ही, स्थानीय आबादी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य भी विफल रहा।

उत्तर में, ईई, आरडीएसडी, जमशेदपुर ने कहा (अप्रैल 2024) कि डीसी, जमशेदपुर के मौखिक निर्देश पर, भवन को सीएस-सह-सीएमओ को सौंप दिया गया था (सितंबर 2021)। ग्रामीण अस्पताल के गैर-संचालन के संबंध में, जनजातीय कल्याण आयुक्त, राँची ने कहा (मई 2024) कि अस्पताल को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत संचालित किया जाना था।

ईई, आरडीएसडी का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि भवन को, सीएस-सह-सीएमओ, जमशेदपुर को सौंपने से पहले, कल्याण विभाग/आईटीडीए की सहमति नहीं ली गई थी। टीडब्ल्यूसी, राँची का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी पीपीपी मोड के तहत अस्पताल को संचालित करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी थी।

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांकः 06 जून 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांकः 18 जून 2025 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.1.7 में संदर्भित; पृष्ठ 23)

भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड में पी.ए. की श्रेणियां और स्कोर

क्रम सं.	अभयारण्य का नाम	एमईई रिपोर्ट की अवधि	मूल्यांकन का वर्ष	पीए की श्रेणी	एमईई स्कोर (प्रतिशत में)
1	दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य	2006-14	2006-09	अच्छा	69.70
2	हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य	2006-14	2009-10	ठीक-ठाक	53.91
3	कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य	2006-14	2012-13	ठीक-ठाक	51.67
4	उधवा झील पक्षी अभयारण्य	2015-17	2015-16	अच्छा	60.00
5	पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य	2015-17	2016-17	अच्छा	62.50
6	गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य	2017-18	2017-18	ठीक-ठाक	56.67
7	लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य	2017-18	2017-18	ठीक-ठाक	46.67
8	महुआडांड़ भेड़िया अभयारण्य	2018-19	2018-19	अच्छा	60.83
9	तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य	2018-19	2018-19	ठीक-ठाक	43.33
10	पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य	2018-19	2018-19	ठीक-ठाक	58.33
11	पलामू ब्याघ्र आरक्ष (इसमें पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और बेतला एन.पी. का क्षेत्र शामिल है)	2022	2006	बहुत अच्छा	76.22
			2010	खराब	38.33
			2014	ठीक-ठाक	54.03
			2018	ठीक-ठाक	53.91
			2022	अच्छा	65.91

स्कोरिंग मानदंड-

डब्ल्यूएलएस के लिए - खराब: 40% तक, ठीक-ठाक: 41% से 59%, अच्छा: 60% से 74% तथा बहुत अच्छा: 75% और उससे अधिक।

टाइगर रिजर्व के लिए- ठीक-ठाक: 50% से 59%, अच्छा: 60% से 74% और बहुत अच्छा: 75% से 89% और उत्कृष्ट: 90% और उससे अधिक।

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.1.7 में संदर्भित; पृष्ठ 24)

डब्ल्यूआईआई द्वारा सुझाए गए कार्यान्वयन योग्य बिंदु और झारखण्ड सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

क्रम सं.	पीए/एमईई रिपोर्ट का नाम	तत्काल कार्रवाई योग्य बिंदु	टिप्पणी
1	तोपचांची (एमईई रिपोर्ट, 2018-19)	1. अभयारण्य के लिए तुरंत एक प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए।	**कंडिका 2.2.2** में चर्चा के अनुसार जुलाई 2023 तक तैयार नहीं किया गया।
		2. तोपचांची और पारसनाथ एक ही भूभाग का हिस्सा होने के कारण, प्रभावी प्रबंधन के लिए इन्हें एक ही पीए में मिलाया जा सकता है।	जुलाई 2023 तक विलय नहीं किया गया जैसा कि **कंडिका 2.2.2** में चर्चा की गई है।
		3. सभी 14 मौजूदा ईडीसी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इन ईडीसी के बेहतर संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।	पारसनाथ और तोपचांची में 116 ईडीसी के आवश्यक गठन के विरुद्ध केवल 33 ईडीसी का गठन किया गया था, जिनमें से जुलाई 2023 तक केवल चार ही कार्यात्मक थे, जैसा कि **कंडिका 2.4.7.1** और **परिशिष्ट 2.4** में चर्चा की गई है।
		4. अभयारण्य की सीमाओं का सत्यापन किया जाना चाहिए तथा जमीन पर सीमांकन किया जाना चाहिए।	**कंडिका 2.4.1.1** में चर्चा के अनुसार डीजीपीएस सर्वेक्षण के आधार पर सीमाएं अभी तक स्थापित नहीं की गई थीं।
		5. वन्यजीव प्रबंधन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।	मार्च 2023 तक कर्मचारियों की भारी कमी थी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था जैसा कि **कंडिका 2.4.1.3** में चर्चा की गई है।
2	पारसनाथ (एमईई रिपोर्ट, 2018-19)	1 इस अभयारण्य के लिए एक सुनियोजित तीर्थ प्रबंधन रणनीति और कार्य योजना की आवश्यकता है।	तीर्थयात्रा प्रबंधन रणनीति या कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी और PA में आगंतुकों/तीर्थयात्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था जैसा कि **कंडिका 2.4.6.5** में चर्चा की गई है।
		2. क्षेत्र की सहायता के लिए एक विकेन्द्रीकृत संस्थागत व्यवस्था (संरक्षण-विकास ट्रस्ट या फाउंडेशन) की स्थापना करना।	विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया। अभी भी वन्यजीव प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
		3. शिक्षा एवं व्याख्या सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता है।	प्रकृति व्याख्या केंद्र अगस्त 2023 तक नहीं बनाया गया है जैसा कि **कंडिका 2.4.5.1** में चर्चा की गई है।

क्रम सं.	पीए/एमईई रिपोर्ट का नाम	तत्काल कार्रवाई योग्य बिंदु	टिप्पणी
3	लावालोंग (एमईई रिपोर्ट, 2017-18)	1. वन्य जीवन की प्रचुरता अत्यंत कम थी।	अभी भी कायम है जैसा कि **कंडिका 2.4.3.2** और **परिशिष्ट 2.17** में चर्चा की गई है।
4	गौतम बुद्ध (एमईई रिपोर्ट, 2017-18)	1. वन्यजीवों की पुनर्स्थापना के लिए भूदृश्य स्तर की योजना बनाई जाएगी क्योंकि गौतम बुद्ध, कोडरमा, हजारीबाग, लावालौंग और पीटीआर पारिस्थितिक रूप से एक दूसरे से सटे हुए हैं।	जंगली जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित गलियारों के संबंध में भूदृश्य स्तर की योजना नहीं बनाई गई थी, जैसा कि **कंडिका 2.2.3** में चर्चा की गई है।
		2. अभयारण्य की पर्यटन क्षमता बहुत अधिक है तथा इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है।	जैसा कि **कंडिका 2.4.6.1** में चर्चा की गई है, इको-पर्यटन अवसंरचना का विकास अभी किया जाना है।
5	महुआडांड़ (एमईई रिपोर्ट, 2018-19)	1. स्थायी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वन्यजीव प्रबंधन में प्रारंभिक एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है।	स्थायी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अभाव था, जैसा कि **कंडिका 2.4.1.2** एवं **2.4.1.3** में चर्चा की गई है।
		2. शिक्षा एवं व्याख्या सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता है।	प्रकृति व्याख्या केंद्र अगस्त 2023 तक नहीं बनाया गया है जैसा कि **कंडिका 2.4.5.1** में चर्चा की गई है।
		3. मौजूदा पर्यावरण-विकास कार्यक्रमों को काफी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।	पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम कमजोर था जैसा कि **कंडिका 2.4.7.1** में चर्चा की गई है।
6	दलमा (एमईई रिपोर्ट, 2006-14)	1. मानव संसाधनों की कमी को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।	मार्च 2023 तक कर्मचारियों की कमी थी जैसा कि **कंडिका 2.4.1.3** में चर्चा की गई है।
		2. सीमांत क्षेत्र के पत्थर खदान पट्टाधारकों के साथ विवाद को तुरंत सुलझाया जाएगा।	निर्धारित योजना तैयार नहीं की गई थी जैसा कि **कंडिका 2.2.6** में चर्चा की गई है।
7	पालकोट (एमईई रिपोर्ट, 2015-17)	1. संसाधन पर निर्भर समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका का विकल्प।	पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम कमजोर था जैसा कि **कंडिका 2.4.7.1** में चर्चा की गई है।
		2. वन अधिकारों का निपटारा किया जाना चाहिए।	**कंडिका 2.2.1** में चर्चा के अनुसार सभी दावों का निपटान नहीं करने के बाद अंतिम अधिसूचना।
		3. वनों की आग को रोकने के लिए विशेष प्रयास।	जैसा कि **कंडिका 2.4.2.1** में चर्चा की गई है, अग्नि प्रबंधन का अभाव था।

क्रम सं.	पीए/एमईई रिपोर्ट का नाम	तत्काल कार्रवाई योग्य बिंदु	टिप्पणी
		4. गलियारे की पहचान करना तथा हाथियों की आवाजाही, फसल क्षति आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना।	यद्यपि मध्य प्रदेश में गलियारों के प्रबंधन का अभाव पाया गया है, जैसा कि **कंडिका 2.2.3** में चर्चा की गई है।
8	उधवा (एमईई रिपोर्ट, 2015-17)	1. अंतिम अधिसूचना लंबित है।	**कंडिका 2.2.1** में चर्चा के अनुसार यह अभी भी लंबित है।
		2. प्रबंधन के लिए विशिष्ट वन्यजीव रेंज बनाई जाएगी।	जैसा कि **कंडिका 2.4.1.3** में चर्चा की गई है, इसका निर्माण नहीं किया गया तथा प्रबंधन बहुत खराब था।
		3. अवसंरचना के निर्माण और प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाएगी।	अभयारण्य के प्रबंधन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी जैसा कि **कंडिका 2.4.3.3** में चर्चा की गई है।
9	पीटीआर (एमईई रिपोर्ट, 2022)	1. कोर क्षेत्र में स्थित गांवों का स्थानांतरण।	**कंडिका 2.4.3.4** में चर्चा के अनुसार स्थानांतरण अभी किया जाना बाकी था।
		2. गश्त को मजबूत करने तथा संचार नेटवर्क में सुधार की आवश्यकता है।	गश्त और संचार नेटवर्क अपर्याप्त था जैसा कि **कंडिका 2.4.1.2** में चर्चा की गई है।
		3. चारागाह प्रबंधन योजना लागू की जानी चाहिए।	**कंडिका 2.3.2** में चर्चा के अनुसार स्थल विशिष्ट चरागाह प्रबंधन योजना लागू नहीं की गई।
		4. मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए कदम।	जैसा कि **कंडिका 2.4.1.3** में चर्चा की गई है, रिक्तियां अभी भी बनी हुई हैं।
		5. चीतल और सांभर की आबादी को पुनः बढ़ाने तथा बाघ को पुनः लाने को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है।	पीटीआर के प्रबंधन में कमियों और कम शिकार आधार पर **कंडिका 2.4.3.4** में चर्चा की गई है।

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.2.2 में संदर्भित; पृष्ठ 28)

पी.ए. की प्रबंधन योजनाओं का विवरण और उसका अनुमोदन

क्रम सं.	वन्यजीव अभयारण्य का नाम	अधिसूचना की अवधि	एमपी की अवधि	एम.पी. के अनुमोदन की तिथि
1	हजारीबाग	मई 1976	2005-06 से 2014-15	उपलब्ध नहीं
			2020-21 से 2029-30	26/03/2020
2	कोडरमा	जनवरी 1985	2010-11 से 2019-20	उपलब्ध नहीं
			2021-22 से 2030-31	18/01/2022
3	लावालोंग	अगस्त 1978	2007-08 से 2016-17	उपलब्ध नहीं
			2021-22 से 2030-31	28/01/2022
4	गौतम बुद्ध	सितम्बर 1976	2008-09 से 2017-18	उपलब्ध नहीं
			2021-22 से 2030-31	19/01/2022
5	पारसनाथ	अगस्त 1984	2020-21 से 2029-30	26/03/2020
6	तोपचांची	जून 1978	तैयार नहीं	
7	दलमा	जुलाई 1976	2000-01 से 2009-10	उपलब्ध नहीं
			2020-21 से 2029-30	26/03/2020
8	पालकोट	मार्च 1990	2006-07 से 2015-16	उपलब्ध नहीं
			2020-21 से 2029-30	16/12/2021
9	महुआडांड़	जून 1976	2005-06 से 2014-15	उपलब्ध नहीं
			2016-17 से 2025-26	20/12/2021
10	पलामू[1]	जुलाई 1976	2001-02 से 2010-11	उपलब्ध नहीं
			2013-14 से 2022-23	02/11/2015
11	उधवा झील	अगस्त 1991	2005-06 से 2015-16	उपलब्ध नहीं
			2021-22 से 2030-31	31/01/2022

*(**स्रोत:** विभाग और प्रबंधन योजनाओं के आंकड़े)*

[1] पीटीआर में पलामू डब्ल्यूएलएस और बेतला राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जिनके लिए कोई अलग एम.पी. तैयार नहीं किया जा रहा था।

परिशिष्ट 2.4

(कंडिका 2.2.3.3 और 2.4.7.1 में संदर्भित; पृष्ठ 34 और 87)

आवश्यकता के अनुसार गठित ईडीसी का विवरण

क्रम सं.	अभयारण्य का नाम	अभयारण्य के अंदर और आसपास के गांवों की संख्या जो संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव पैदा कर रही है				जुलाई 2023 तक गठित और कार्यरत इडीसी की संख्या	
		प्रबंधन योजना के अनुसार		ईएसजेड की अधिसूचना के अनुसार			
		अंदर	आस-पास	घिरा हुआ	आस-पास	बना हुआ	कार्यात्मक
1	हजारीबाग	70	उ.न.	72	146	62	14
2	कोडरमा	17	31	18	31	22	शून्य
3	लावालौंग	64	126	64	126	64	15
4	गौतम बुद्ध	29	71	29	71	28	शून्य
5	पारसनाथ	1	54	17	99	16	4
6	तोपचांची	उ.न	उ.न			17	शून्य
7	दलमा	29	235	85	51	85	85
8	पालकोट	90	101	90	101	79	79
9	पलामू[2]	199	207	382[3]	0	185	57
10	महुआडांड़	72	25				
11	उधवा झील	6	24	6	24	13	शून्य
कुल		**577**	**874**	**763**	**649**	**571**	**254**
कुल योग		**1,451**		**1,412**			

उ.न.- उपलब्ध नहीं

2 पीटीआर में स्थित गांवों की संख्या में पलामू डब्ल्यूएलएस और बेतला ने.प. के गांव शामिल हैं।

3 पीटीआर और महुआडांड़ डब्ल्यूएलएस के लिए एकल ईएसजेड और घिरे हुए गांवों का अलग डेटा अधिसूचना में नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट 2.5

(कंडिका 2.2.6 में संदर्भित; पृष्ठ 39)

अधिसूचना की तिथि और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का क्षेत्रफल

क्रम सं.	वन्यजीव अभयारण्य का नाम	ईएसजेड का क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	अधिसूचना की तिथि
1	हजारीबाग	573.86	1 अगस्त 2019
2	लावालौंग	570.19	9 अगस्त 2019
3	कोडरमा	133.247	9 अगस्त 2019
4	पारसनाथ और तोपचांची	208.82	2 अगस्त 2019
5	गौतम बुद्ध	327.59	2 अगस्त 2019
6	दलमा	522.98	29 मार्च 2012
7	उधवा झील पक्षी अभयारण्य	56.94	1 अगस्त 2019
8	पलामू पीटीआर[4]	1253.49	9 अगस्त 2019
9	पालकोट	1287.16	9 अगस्त 2019

(**स्रोत**: ईएसजेड अधिसूचना पत्र)

[4] जिसमें पलामू डब्ल्यूएलएस, बेतला एन.पी. और महुआडांड़ डब्ल्यूएलएस शामिल हैं।

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका 2.3.1 और 2.4.3.1 में संदर्भित; पृष्ठ 41 और 65)

2018-23 के दौरान वानिकी योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक योजना/मूल बजट, संशोधित बजट, विमुक्त, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजनाओं का नाम	योजना/मूल बजट	संशोधित बजट	विमुक्त	व्यय	बचत
केंद्रीय सहायता योजना						
1	हरित भारत मिशन	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	हाथी परियोजना	20.50	16.44	12.77	8.83	3.94
3	वन अग्नि प्रबंधन एवं रोकथाम	28.00	20.54	14.59	11.13	3.46
4	पलामू टाइगर रिजर्व (60:40)	46.90	57.60	30.64	29.88	0.76
5	पलामू टाइगर रिजर्व (50:50)	23.90	17.84	11.67	11.19	0.48
6	राष्ट्रीय बांस मिशन	31.55	26.55	11.25	4.85	6.40
7	वन्यजीव प्रवास का एकीकृत विकास	23.85	16.64	9.77	8.15	1.62
8	जलीय पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
9	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कृषि वानिकी पर उप मिशन	32.38	23.39	9.40	5.97	3.43
	उप योग	**225.38**	**179.00**	**100.09**	**80.00**	**20.09**
राज्य योजना						
1	वन्यजीव संरक्षण और अपराध नियंत्रण	100.25	99.95	99.86	93.49	6.37
2	प्रशिक्षण, प्रचार, अनुसंधान और मूल्यांकन	66.00	63.37	60.43	51.21	9.22
3	मुख्यमंत्री जन-वन योजना	42.00	39.91	37.91	30.11	7.80
4	झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई	3.05	1.77	0.81	0.00	0.81
5	वानिकी योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	5.50	2.70	0.00	0.00	0.00
6	अधिसूचित वन भूमि पर वनरोपण और मृदा संरक्षण	452.70	549.46	501.99	475.42	26.57
7	अधिसूचित वन के बाहर की भूमि पर वनरोपण	222.00	269.45	256.69	245.70	10.99
8	वन सीमा और अभिलेखों का डिजिटलीकरण और समेकन	120.00	39.15	37.73	12.49	25.24
9	वन अधिकारियों के लिए आधुनिकीकरण और आईटी सक्षम सेवाएं	24.40	17.65	13.11	8.42	4.69
10	स्थायी नर्सरी और बीज बागान	11.50	11.74	8.42	7.18	1.24

क्रम सं.	योजनाओं का नाम	योजना/मूल बजट	संशोधित बजट	विमुक्त	व्यय	बचत
11	लघु वनोपज का विकास	44.00	41.00	40.05	35.63	4.42
12	वन प्रबंधन सुविधाएं	190.44	195.98	144.77	139.41	5.36
13	झारखण्ड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना (पश्चिम बंगाल सहायता प्राप्त)	5.19	5.19	5.07	1.69	3.38
14	वन संवर्धन कार्य	286.84	334.99	323.42	295.29	28.13
15	पारिस्थितिकी-पर्यटन	19.50	26.76	22.68	22.30	0.38
16	शहरी वानिकी योजना	50.00	48.22	29.09	25.10	3.99
17	नदी किनारे वृक्षारोपण	25.50	24.11	24.11	22.48	1.63
	उप योग	**1,668.87**	**1,771.40**	**1,606.14**	**1,465.92**	**140.22**
	कैम्पा	**2,377.84**	**--**	**1,474.32**	**1,235.45**	**238.87**
कुल योग		**4,272.09**	**--**	**3,180.55**	**2,781.37**	**399.18**

*(**स्रोत:** विभाग के विनियोग खाते और आँकड़े)*

परिशिष्ट 2.7

(कंडिका 2.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ 42)

वर्ष 2018-23 के दौरान नमूना जांचित प्रभागों में आवश्यकता, विमुक्ति एवं व्यय का विवरण

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पी.ए. का नाम	2018-23 के दौरान विमुक्त और खर्च की गई योजना निधि	
			विमुक्ति (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
1	हजारीबाग	हजारीबाग	63.20	52.15
		कोडरमा		
		लावालौंग		
		गौतम बुद्ध		
		पारसनाथ		
		तोपचांची		
	उप योग		**63.20**	**52.15**
2	साहिबगंज	उधवा (2021-22 से)	0.89	0.89
3	हाथी परियोजना, जमशेदपुर	दलमा	56.67	48.96
4	पीटीआर उत्तर	पीटीआर (भाग)	122.84	117.04
5	पीटीआर साउथ	पीटीआर (भाग) और महुआडांड़	126.01	112.87
6	रांची	पालकोट[5]	28.25	24.73
	कुल		**397.86**	**356.64**

[5] रांची वन्यजीव प्रमंडल में चार रेंज हैं। एक रेंज पालकोट डब्ल्यूएलएस की देखभाल करती है। केंद्रीय एवं राज्य योजना के तहत पालकोट जल शक्ति मिशन के लिए धनराशि निर्गत की गई, जबकि कैम्पा के तहत इसे प्रमंडल के नाम पर निर्गत किया गया। इस प्रकार, पालकोट जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्गत राशि और व्यय में कैम्पा के अंतर्गत कुल निर्गत राशि और व्यय शामिल है।

परिशिष्ट 2.8

(कंडिका 2.3.3 में संदर्भित; पृष्ठ 43)

2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए पीटीसीएफ के वार्षिक खातों का सारांश

(₹ लाख में)

मद	सीसीएफ और एफडी	डीएफओ कोर क्षेत्र	डीएफओ बफर क्षेत्र	कुल
	प्राप्तियां			
1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक बैंक बैलेंस	109.69	(-) 0.95	8.74	117.48
बैंक ब्याज	12.29	0.87	59.54	72.70
सीसीएफ से	0.00	188.71	74.51	263.22
डीएफओ कोर से	63.05	58.42	0.00	121.47
डीएफओ बफर से	25.63	0.00	12.12	37.75
आरएफओ से	0.00	33.93	0.00	33.93
मजदूरी की वापसी	0.00	0.00	1.41	1.41
राजस्व (पारिस्थितिकी-पर्यटन)	63.62	4.81	10.18	78.61
दान	0.50	0.00	0.00	0.50
झारखण्ड सरकार से	0.00	0.00	2604.80	2604.80
उप योग	**274.78**	**285.79**	**2,771.30**	**3,331.87**
	भुगतान			
बैंक चार्ज/पीओएस मशीन	0.35	0.03	0.00	0.38
सीसीएफ को	0.00	63.05	25.63	88.68
डीएफओ कोर को	164.62	0.00	0.00	164.62
डीएफओ बफर के लिए	74.51	0.00	0.00	74.51
आरएफओ को	24.08	68.01	0.00	92.09
मजदूरी के लिए	0.00	84.50	50.46	134.96
विश्राम गृह का रखरखाव	0.00	3.00	7.00	10.00
सामुदायिक गतिशीलता विशेषज्ञ और पारिस्थितिकी विकास समन्वयक का वेतन	0.00	13.93	0.00	13.93
वाहन की खरीद	0.00	40.00	0.00	40.00
लेखापरीक्षा शुल्क	0.61	0.61	0.61	1.83
झारखण्ड सरकार को धन वापसी	0.00	0.00	12.84	12.84
उप योग	**264.17**	**273.13**	**96.54**	**633.84**
31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	**10.61**	**12.66**	**2,674.76**	**2,698.03**

परिशिष्ट 2.9

(कंडिका 2.4.1.1 में संदर्भित; पृष्ठ 46)

(क) 2018-23 के दौरान पी.ए. में आवश्यक और उपलब्ध सीमा स्तंभों का विवरण

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पी.ए. का नाम	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पी.ए. का क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	सीमा स्तंभों की आवश्यकता	प्रति वर्ग किमी खंभे की आवश्यकता	मार्च 2023 तक सीमा स्तंभ	
						डीजीपीएस सर्वेक्षण के साथ	बिना डीजीपीएस सर्वेक्षण
1	हजारीबाग	हज़ारीबाग़, कोडरमा, लावालौंग, गौतम बुद्ध पारसनाथ और तोपचांची	731.19	18,313	25.05	1,750	3,200
2	साहिबगंज	उधवा	5.65	600	106.19	0	200
3	हाथी परियोजना, जमशेदपुर	दलमा	193.22	12,259	63.45	2,998	6,695
4	पीटीआर उत्तरी	पीटीआर (भाग)		4,423		0	1,850
5	पीटीआर दक्षिणी	पीटीआर (भाग) और महुआडांड़	1,193.18	13,156	14.73	2,220	4,356
6	रांची	पालकोट	183.18	24,697	134.82	2,350	0
	कुल		**2306.42**	**73,448**	**31.85**	**9,318**	**16,301**

(ख) 2018-23 के दौरान निर्मित सीमा स्तंभों का विवरण

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	2018-23 के दौरान स्थापित किए गए सीमा स्तंभ					एलयूएलसी 2021 के अनुसार सीमा का डिजिटलीकरण (संख्या में)	
		स्तम्भों के लक्ष्य के साथ आवंटित धनराशि			उपलब्धियों के साथ निधियों का उपयोग		पी.ए. के अंदर के गांव	डिजिटल सीमा वाले गांव
		वर्ष	लक्ष्य (संख्या में)	निर्गत (₹ लाख में)	उपलब्धि (संख्या में)	व्यय (लाख रुपए में)		
1	हजारीबाग	2019-20	2,000	80.94	500	20.23	194	180
2	हाथी परियोजना, जमशेदपुर	2019-20	3,000	121.41	1500	60.70	85	79
3	पीटीआर उत्तरी	2018-19	1,205	41.47	1135	36.06	266	151
4	पीटीआर दक्षिणी	2018-19	250	8.60	शून्य	शून्य	104	87
5	रांची	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	81	79
6	उधवा बीएलएस	2019-20	200	10.00	100	5.00	शून्य	शून्य
		2020-21	100	7.08	100	7.08	शून्य	शून्य
	कुल		**6,755**	**269.50**	**3,335**	**129.07**	**730**	**576**

परिशिष्ट 2.10

(कंडिका 2.4.1.2 और 2.4.2.3 में संदर्भित; पृष्ठ 48, 49 और 61)

(क) पी.ए. में कार्यबल की तैनाती

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	प्रमंडल के साथ पी.ए.	मार्च 2023 तक तैनात अग्रपंक्ति कर्मचारी			2018-23 के दौरान कार्मिकों की तैनाती		पी.ए. में निगरानी टावरों की संख्या
			आरएफओ	वनपाल	वनरक्षी	ट्रैकर	अग्निशमन दस्ते में कार्यबल	
1	हजारीबाग	हजारीबाग	3	2	30	32 से 35	11 से 15	12
		कोडरमा				10 से 15	10	4
		लावालोंग				15 से 16	10	0
		गौतम बुद्ध				10 से 20	10	2
		पारसनाथ				5 से 10	5 से 10	0
		तोपचांची				5	5	2
2	साहिबगंज	उधवा	0	0	0	5 से 10	शून्य	2
3	जमशेदपुर	दलमा	2	0	20	39	6	12
4	पीटीआर उत्तरी	पीटीआर (भाग)	1	3	48	99	शून्य	52
5	पीटीआर दक्षिणी	पीटीआर (भाग)	2	1	63	121 से 210	शून्य	59
		महुआडांड़						
6	रांची	पालकोट	1	0	06	20	शून्य	4
	कुल		**9**	**6**	**167**	**361-479**		**149**

(ख) वाहनों की उपलब्धता और आवश्यकता

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	मार्च 2023 तक उपलब्ध सेवा योग्य वाहन		एमपी के अनुसार अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता	
		चौपहिया	दोपहिया	चौपहिया	दोपहिया
1	हजारीबाग	7	17	13	76
2	साहिबगंज	0	0		मूल्यांकन नहीं किया गया
3	जमशेदपुर	4	0	4	27
4	पीटीआर उत्तरी	38	100		मूल्यांकन नहीं किया गया
5	पीटीआर दक्षिणी				
		1	4	4	13
6	रांची	1	0	2	16
	कुल	**51**	**121**	**23**	**132**

परिशिष्ट 2.11

(कंडिका 2.4.1.2 में संदर्भित; पृष्ठ 49)

मार्च 2023 तक पी.ए. में वायरलेस सेट की उपलब्धता

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	प्रमंडल के साथ पी.ए.	वायरलेस सेट उपलब्ध			मार्च 2023 तक कार्यात्मक वायरलेस सेट	एमपी के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता
			स्थायी	मोबाइल/वाहन पर लगाया जाने वाला	हाथ में पकड़ने वाला (एचएच)		
1	हजारीबाग	हजारीबाग	3	2	7	शून्य	मूल्यांकन नहीं किया गया
		कोडरमा	1	1	10	शून्य	मूल्यांकन नहीं किया गया
		लावालोंग	उपलब्ध नहीं है				मूल्यांकन नहीं किया गया
		गौतम बुद्ध	उपलब्ध नहीं है				मूल्यांकन नहीं किया गया
		पारसनाथ	उपलब्ध नहीं है				मूल्यांकन नहीं किया गया
		तोपचांची	उपलब्ध नहीं है				मूल्यांकन नहीं किया गया
2	साहिबगंज	उधवा	0	0	6	6	
3	जमशेदपुर	दलमा	3	0	40	3 static 23 HH	मूल्यांकन नहीं किया गया
4	पीटीआर उत्तरी	पीटीआर (भाग)	14	4	14	32	मूल्यांकन नहीं किया गया
5	पीटीआर दक्षिणी	पीटीआर (भाग)	0	0	0		मूल्यांकन नहीं किया गया
		महुआडांड़	2	0	6	2 स्थायी 0 चलंत	मूल्यांकन नहीं किया गया
6	रांची	पालकोट	उपलब्ध नहीं है				मूल्यांकन किया गया

परिशिष्ट 2.12

(कंडिका 2.4.1.3 में संदर्भित; पृष्ठ 55)

वर्ष 2018-23 के दौरान वन संरक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	हजारीबाग डब्लूएलएस	पीटीआर (दक्षिणी)	पीटीआर (उत्तरी)	दलमा डब्ल्यूएलएस	रांची डब्ल्यूएलडी	कुल
वन रक्षकों को प्रशिक्षण							
1	कुल बल	30	63	48	20	14	175
2	30 दिन का प्रेरण प्रशिक्षण	30	50	38	20	0	138
3	6 महीने का क्षेत्र प्रशिक्षण	0	0	0	20	0	20
4	30 दिन का पुनश्चर्या प्रशिक्षण	15	58	39	18	7	137
5	15 दिन का पुनश्चर्या कोर्स	3	0	0	3	0	6
6	विभागीय प्रशिक्षण केंद्र में 6 महीने का प्रशिक्षण	3	5	6	2	0	16
7	सूक्ष्म योजना तैयारी	0	0	5	0	0	5
8	अपशिष्ट प्रबंधन	0	0	3	0	0	3
9	वन्यजीव अपराध नियंत्रण	0	2	1	0	0	3
10	शांति और संघर्ष शमन	0	5	2	0	0	7
11	ट्रैंक्विलाइज़ेशन गन (डब्ल्यू.आई.आई देहरादून)	0	0	5	0	0	5
12	शांतिकरण और रेडियो कॉलिंग	2	0	2	0	0	4
13	दामोदर घाटी निगम, भूमि संरक्षण	0	0	2	0	0	2
14	वन्यजीव फोरेंसिक में कौशल विकास कार्यक्रम	0	0	2	0	0	2
15	वर्टिकल प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यशाला	3	0	11	0	0	14
16	बांस रोपण एवं प्रबंधन (देहरादून)	0	6	5	0	0	11
17	आतिथ्य शिष्टाचार	0	2	1	0	0	3
18	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण	2	0	4	2	0	8
19	ईडीसी प्रशिक्षण	0	0	2	0	0	2
20	वन अग्नि में मास्टर प्रशिक्षण	2	0	4	2	0	8
21	घास के मैदान का विकास	30	12	12	5	0	59
22	वन्यजीव कानून प्रवर्तन एवं तस्करी का मुकाबला	0	6	5	3	0	14

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	हजारीबाग डब्लूएलएस	पीटीआर (दक्षिणी)	पीटीआर (उत्तरी)	दलमा डब्ल्यूएलएस	रांची डब्ल्यूएलडी	कुल
23	राष्ट्रीय जनजातीय जेएफएमसी सदस्य	0	0	3	0	0	3
24	वन्यजीव अपराध	0	0	1		0	1
25	वन सर्वेक्षण एवं अमानत	2	0	2	2	2	8
26	एनटीसीए प्रशिक्षण	0	0	2	0	0	2
27	कार्यान्वयन बहुभुज खोज	0	0	16	0	0	16
28	क्षमता प्रबंधन का विकास (अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष)	2	0	2	3	2	9
29	वन्यजीव अपराध जांच, कानून, फोरेंसिक और ट्रेडक्राफ्ट	0	0	0	0	1	1
30	वेब जीआईएस आधारित एमआईएस पोर्टल	4	6	0	2	12	24
31	साइबर अपराध और डिजिटल फोरेंसिक रिस्पॉन्डर ट्रैक (सीसीडीएफ-आरटी) एनसीआरबी	0	0	0	2	2(ऑनलाइन)	2
32	प्रमाणित प्रकृति गाइड (ईडीसी- सदस्य)	0	0	0	0	1	1
33	वन्यजीव खोजी कुत्ता दस्ता	0	4	0	0	0	4
34	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के लिए सूक्ष्म योजना निर्माण	0	5	0	0	0	5
35	एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन एवं सतत् जनजातीय विकास (कोलकाता)	0	3	0	0	0	3
36	वन्यजीव फोरेंसिक में कौशल विकास कार्यक्रम (हैदराबाद)	0	1	0	0	0	1
37	वन्यजीव अपराध मामलों की जांच (सीडीटीआई, जयपुर)	0	2	0	0	0	2
38	सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान	0	4	0	2	0	6

परिशिष्ट 2.13

(कंडिका 2.4.1.4 में संदर्भित; पृष्ठ 56)

पी.ए. में वन अपराधों की जांच की स्थिति

<table>
<tr><th rowspan="2">क्रम सं.</th><th rowspan="2">प्रमंडल का नाम</th><th rowspan="2">अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)</th><th colspan="3">2018-23 के दौरान वन अपराध</th></tr>
<tr><th>न्यायालय में प्रस्तुत अपराध प्रतिवेदनों की संख्या</th><th>प्रमंडल द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत की गई जांच प्रतिवेदन</th><th>जांच प्रमंडल में लंबित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>हजारीबाग</td><td>731.20</td><td>788</td><td>584</td><td>204</td></tr>
<tr><td>2</td><td>साहिबगंज</td><td>5.65</td><td>12</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रोजेक्ट एलिफेंट, जमशेदपुर</td><td>193.22</td><td>85</td><td>85</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पीटीआर उत्तरी</td><td rowspan="2">1,193.18</td><td>81</td><td>13</td><td>68</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पीटीआर दक्षिणी</td><td>58</td><td>44</td><td>14</td></tr>
<tr><td>6</td><td>रांची</td><td>183.18</td><td>33</td><td>20</td><td>13</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>2,306.43</td><td>1,057</td><td>748</td><td>309</td></tr>
</table>

परिशिष्ट 2.14

(कंडिका 2.4.1.4 में संदर्भित; पृष्ठ 56)

वन अपराधों का विवरण और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

क्रम सं.	अपराध की प्रकृति	अपराध रिपोर्ट संख्या/तारीख	वाद संख्या/तारीख	शामिल पी.ए. का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सम्मिलित वन उपज की मात्रा	आरएफ/पीएफ का नाम	वसूला गया मुआवज़ा (₹ में)	लगाया गया जुर्माना (₹ में)	मुआवजे की दर (₹ में)	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सं./तारीख)	पी.आर. प्रस्तुत करने में देरी
		हजारीबाग वन्यजीव प्रमंडल									
1	अतिक्रमण	119/17.8.17	360/2017	0.04	उपलब्ध नहीं	सांझा	16,000	48,000	4,000/डेसीमिल	848/27.4.23	5 वर्ष 8 माह
2		126/13.10.17	417/2017	0.03	उपलब्ध नहीं	तमासी	15,000	45,000	-वही-	851/27.4.23	5 वर्ष 6 माह
3		131/3.12.17	605/2017	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	समझा	16,000	48,000	-वही-	853/27.4.23	5 वर्ष 4 माह
4		844/15.9.16	981/2016	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	अरातु	60,000	1,20,000	एकमुश्त	665/5.4.22	5 वर्ष 5 माह
5		854/3.10.17	360/2017	उपलब्ध नहीं	20 गठर	लुटू	14,000	28,000	700/गठर	663/5.4.22	4 वर्ष 6 माह
6		859/15.10.17	424/2017	उपलब्ध नहीं	20 गठर	बुंडू	14,000	28,000	-वही-	661/5.4.22	4 वर्ष 6 माह
7		3104/7.12.18	1462/2018	उपलब्ध नहीं	20 गठर	बनवार	21,000	42,000	-वही-	659/5.4.22	3 वर्ष 3 माह
8		855/6.10.17	381/2017	उपलब्ध नहीं	20 गठर	मदनडीह	24,500	49,000	-वही-	799/5.4.22	4 वर्ष 4 माह
9		3111/13.8.19	1051/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बनवार	17500	52500	70/गठर	1805/12.9.22	3 वर्ष 1 माह
10		3115/24.10.19	1364/2019	उपलब्ध नहीं	4 गठर	बनवार	2800	5600	700/गठर	1803/12.9.22	2 वर्ष 10 माह
11		3110/13.8.19	1050/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बनवार	21000	63000	70/गठर	1802/12.9.22	3 वर्ष 1 माह
12		3113/14.8.19	1053/2019	उपलब्ध नहीं	200 गठर	बनवार	14000	42000	70/गठर	1801/12.9.22	3 वर्ष 1 माह
13		3112/14.8.19	1052/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बनवार	14000	42000	70/गठर	1828/13.9.22	3 वर्ष 1 माह
14		856/6.10.17	382/2017	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	मदनडीह	10500	31500	700/गठर	1622/21.9.22	4 वर्ष 11 माह
15		3295/22.8.16	1107/2016	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	मेधात्री	20000	40000	एकमुश्त	2253/16.12.21	5 वर्ष 3 माह
16	खनन	225/27.2.20	307/2020	1800 वर्गफुट	12 थैला	लोमचांची	18000	568800	उपलब्ध नहीं	1522/10.8.22	2 वर्ष 5 माह
17		229/13.5.20	454/2020	800 वर्गफुट	उपलब्ध नहीं	लोमचांची	80000	240000	उपलब्ध नहीं	1521/10.8.22	2 वर्ष 1 माह
18		220/16.7.20	66/2020	700 वर्गफुट	उपलब्ध नहीं	गम्हरिया	70000	210000	उपलब्ध नहीं	1520/10.8.22	2 वर्ष

क्रम सं.	अपराध की प्रकृति	अपराध रिपोर्ट संख्या/तारीख	वाद संख्या/तारीख	शामिल पी.ए. का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सम्मिलित वन उपज की मात्रा	आरएफ/पीएफ का नाम	वसूला गया मुआवज़ा (₹ में)	लगाया गया जुर्माना (₹ में)	मुआवजे की दर (₹ में)	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सं./तारीख)	पी.आर. प्रस्तुत करने में देरी
19		234/16.7.20	651/2020	0.13	450 सीएफटी	सिरसिरवा	106210	110710	उपलब्ध नहीं	1519/10.8.22	2 वर्ष
20		236/29.8.20	753/2020	150 वर्गफुट	2 केजी	सिरसिरवा	40000	390000	उपलब्ध नहीं	1518/10.8.22	1 वर्ष 11 माह
21		223/15.2.20	234/2020	0.12	600 सीएफटी	सिरसिरवा	104040	312120	उपलब्ध नहीं	1517/10.8.22	2 वर्ष 6 माह
22		221/17.1.20	97/2020	0.10	600 सीएफटी	सिरसिरवा	87700	263100	उपलब्ध नहीं	1516/10.8.22	2वर्ष 6माह
23		226/7.4.20	418/2020	4800 वर्गफुट	उपलब्ध नहीं	लोमचांची	240000	720000	उपलब्ध नहीं	1515/10.8.22	2 वर्ष 3 माह
24		217/19.11.19	1695/2019	0.15	600 सीएफटी	अम्बादाह	128250	385650	उपलब्ध नहीं	1513/10.8.22	2 वर्ष 8 माह
25		219/9.1.20	50/2020	300 वर्गफुट	2 केजी	इंदरवार	160000	480000	उपलब्ध नहीं	1601/24.8.22	2 वर्ष 7 माह
26		1342/6.6.20	1041/2020	2.00	उपलब्ध नहीं	तिलरा	120000	120000	उपलब्ध नहीं	1712/30.8.22	2 वर्ष 1 माह
27		1343/11.6.20	1079/2020	1.00	उपलब्ध नहीं	चंपानगर	60000	60000	उपलब्ध नहीं	1705/30.8.22	2 वर्ष 2 माह
28		1336/22.7.19	1686/2019	4.00	उपलब्ध नहीं	तिलरा	240000	240000	उपलब्ध नहीं	1516/14.9.21	2 वर्ष 1 माह
29		1337/26.8.19	2094/2019	4.00	उपलब्ध नहीं	तिलरा	240000	240000	उपलब्ध नहीं	1517/14.9.21	2 वर्ष
30		1334/30.6.19	1428/2019	3.00	उपलब्ध नहीं	तिलरा	180000	18000	उपलब्ध नहीं	1518/14.9.21	2 वर्ष 2माह
31		1368/6.1.17	265/2017	उपलब्ध नहीं	100 सीएफटी	तिलरा	146050	146050	उपलब्ध नहीं	1519/14.9.21	4 वर्ष 8 माह
32	पेड़ों की कटाई	3163/25.1.21	116/2021	उपलब्ध नहीं	68 सीएफटी	पसागाम	47264	94528	700/सीएफटी	430/28.2.23	2 वर्ष 1माह
33		870/12.2.21	239/2021	उपलब्ध नहीं	49 सीएफटी	चानो	38872	77744	800/सीएफटी	522/16.3.23	2 वर्ष 1माह
34		121/24.8.17	388/2017	उपलब्ध नहीं	18 पेड़	गौतम बुद्ध	36000	108000	2000/पेड़	899/27.4.23	5 वर्ष 8 माह
35		130/21.11.17	595/2017	उपलब्ध नहीं	40 पीस	अहारी	8000	24000	200/पीस	852/27.4.23	5 वर्ष 5 माह
36		1654/19.1.20	199/2020	उपलब्ध नहीं	18 पीस	दोनाइकला	36000	36000	2000/पीस	1307/4.7.23	3 वर्ष 5 माह
37		1702/5.2.20	832/2020	उपलब्ध नहीं	10 पीस	गुरुडीह	100000	100000	उपलब्ध नहीं	1450/13.7.23	3 वर्ष 4 माह
38		1600/30.4.20	836/2020	उपलब्ध नहीं	60 पीस	बुंडू	30000	30000	उपलब्ध नहीं	1451/13.7.23	3 वर्ष 2 माह
39		5725/25.9.20	1861/2020	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	गरडीह	18000	36000	उपलब्ध नहीं	1455/13.7.23	2 वर्ष 9 माह

क्रम सं.	अपराध की प्रकृति	अपराध रिपोर्ट संख्या/तारीख	वाद संख्या/तारीख	शामिल पी.ए. का क्षेत्रफल (एकड़ में)	सम्मिलित वन उपज की मात्रा	आरएफ/पीएफ का नाम	वसूला गया मुआवज़ा (₹ में)	लगाया गया जुर्माना (₹ में)	मुआवजे की दर (₹ में)	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सं./तारीख)	पी.आर. प्रस्तुत करने में देरी
		हाथी परियोजना, जमशेदपुर									
40	अतिक्रमण	1035/26.7.17	2259/2017	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	विलाई पहाड़	शून्य	शून्य		795/30.7.19	2 वर्ष
41		1002/1.7.17	5902/2017	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पाटा	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	1402/29.9.22	5 वर्ष 7 माह
42		1077/20.10.18	3046/2018	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पारडीह	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	1129/13.11.20	2 वर्ष
43		1083/29.12.18	3619/2018	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पारडीह	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	1130/13.11.20	1 वर्ष 10 माह
44		1251/3.7.18	1973/2018	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पारडीह	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	1516/28.9.21	3 वर्ष 3 माह
45		1088/20.8.19	2430/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पारडीह	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	17/4.1.21	1 वर्ष 4 माह
46	खनन	1036/8.12.17	6155/2017	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	हमसदा	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	793/30.7.19	1 वर्ष 7 माह
47		1037/9.12/17	6156/2017	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	हमसदा	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	794/30.7.19	1 वर्ष 7 माह
48		1101/3.11.18	623/2018	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कांदरबेड़ा	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	543/10.6.20	1 वर्ष 7 माह
49	कटाई	1201/23.6.19	1768/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बालालुका	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	544/10.6.20	11 माह
50		1501/2.9.19	2566/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	जोदिशा	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	589/24.6.20	9 माह
51	अवैध शिकार	1327/14.7.19	2006/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	खोखारो	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	958/7.10.20	1 वर्ष 2 माह
		प्रादेशिक प्रमंडल, साहिबगंज									
52	मछली पकड़ना	3499/14.5.19	395/2019	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पटौरा झील	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	2123/14.9.20	1 वर्ष 3 माह

परिशिष्ट 2.15

(कंडिका 2.4.2.1, 2.4.2.2 और 2.4.2.4 में संदर्भित; पृष्ठ 58, 59 एवं 63)

वर्ष 2018-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्रों में आग की घटनाओं और प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

पीए का नाम/वर्ष	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	घटनाओं की संख्या	प्रभावित क्षेत्र	घटनाओं की संख्या	प्रभावित क्षेत्र	घटनाओं की संख्या	प्रभावित क्षेत्र	घटनाओं की संख्या	प्रभावित क्षेत्र	घटनाओं की संख्या	प्रभावित क्षेत्र
हजारीबाग	आ.उ.न	19.33	आ.उ.न	61.41	93	60.47	81	47.21	68	45.00
कोडरमा	आ.उ.न	9.52	आ.उ.न	22.80	113	191.50	55	48.92	71	55.70
गौतम बुद्ध	आ.उ.न		आ.उ.न	5.40	150	223.47	25	45.68	31	39.32
लावालौंग	आ.उ.न	0.27	आ.उ.न	0.33	28	2.49	55	6.64	40	40.41
पारसनाथ	आ.उ.न	29.23	आ.उ.न	23.67	18	38.30	22	92.7	49	94.37
तोपचांची	आ.उ.न		आ.उ.न		5	1.31	22	7.97	6	10.25
डालमा	आ.उ.न	0.48	आ.उ.न	0.02	आ.उ.न	46.02	आ.उ.न	29.30	आ.उ.न	51.92
महुआडांड़	17	34.73	9	10.80	आ.उ.न	आ.उ.न	आ.उ.न	आ.उ.न	11	13.71
पीटीआर	100	130.53	70	196.21	781	295.70	553	1,725.01	78	156.41
पालकोट	शून्य	0.00	शून्य	0.00	29	94.39	11	5.64	46	12.70
कुल	**117**	**224.09**	**79**	**320.64**	**1217**	**953.65**	**824**	**2,009.07**	**400**	**519.79**

* **आ.उ.न-** प्रमंडल के पास डेटा उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट 2.16

(कंडिका 2.4.2.2 में संदर्भित; पृष्ठ 59)

2018-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्रों में अग्नि लाइनों की लंबाई और उसका रखरखाव

पी.ए. का नाम	पी.ए. का क्षेत्रफल वर्ग किमी में	अग्नि रेखा की लंबाई (किमी में)	प्रति वर्ग किमी अग्नि रेखा	वर्ष के दौरान साफ़ की गई अग्नि रेखाएँ (कि.मी. में)				
				2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
हजारीबाग	186.25	80.00	0.43	95.00	94.50	94.50	80.00	80.00
कोडरमा	150.63	40.00	0.27	41.00	41.00	41.00	शून्य	40.00
गौतम बुद्ध	121.14	73.00	0.60	39.00	39.00	39.00	शून्य	39.50
लावालौंग	211.03	60.00	0.28	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
पारसनाथ	49.33	90.00	1.82	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
तोपचांची	12.82	18.00	1.40	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
डालमा	193.22	121.50	0.63	121.50	121.50	121.50	121.50	121.50
पालकोट	183.18	180.00	0.98	22.56	22.56	22.56	25.97	25.97
पीटीआर	1,129.93	460.50[6]	0.41	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00
महुआडांड़	63.25	145.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**2,300.78**	**1,268.00**		**727.06**	**726.56**	**726.56**	**635.47**	**714.97**

[6] इसमें कैम्पा के तहत 2021-22 में निर्मित 60 किमी. शामिल हैं।

परिशिष्ट 2.17

(कंडिका 2.4.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ 66)

पीए में जंगली जानवरों की जनगणना का विवरण

क्रम सं.	अभयारण्य का नाम	अभयारण्य का क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व
1	हजारीबाग	186.25	1,050	1,204	1,377	1,495	8.03
2	कोडरमा	150.63	1,056	1,000	424	867	5.76
3	गौतम बुद्ध	121.14	798	873	361	800	6.60
4	लावालौंग	211.03	404	309	358	437	2.07
5	तोपचांची	12.82	286	100	145	173	13.49
6	पारसनाथ	49.33	351	361	240	151	3.06
7	पालकोट	183.18	669	2,089	2,957	4,333	23.65
8	डालमा	193.22	1,448	1,058	719	1,800	9.32
9	पीटीआर[7]	1,193.18	13,966	5,374	5523	9,826	8.24
	उप योग	**2,300.78**	**20,028**	**12,368**	**12,104**	**19,882**	**8.64**
10	उधवा (पक्षी)	5.65	3,434	3,882	3,765	3,260	

[7] बेतला एन.पी., पलामू डब्ल्यू.एल.एस. और महुआडांड़ डब्ल्यू.एल.एस. की जनसंख्या शामिल की गई।

परिशिष्ट 2.18

(कंडिका 2.4.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ 66 एवं 67)

अनुसूची I से अनुसूची III तक प्रत्येक में पाँच सामान्य जंगली जानवरों की जनसंख्या

क्रम सं.	जंगली जानवर का नाम	प्राणी शास्त्रीय नाम	डब्ल्यूपीए के अनुसार अनुसूची	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	तेंदुआ	*पैंथरा पार्डस फुस्का*	अनुसूची I	0	0	0	25
2	भेड़िया	*केनिस ल्युपस*	अनुसूची I	75	70	51	139
3	आलसी भालू	*मेलर्सस उर्सिनस*	अनुसूची I	170	199	101	164
4	हिरण	*ट्रैगुलस मोमिना*	अनुसूची I	26	2	0	10
5	हाथी	*एलिफस मैक्सिमस*	अनुसूची I	172	78	104	259
	उप योग			**443**	**349**	**256**	**597**
6	लंगूर	*प्रेस्बिटिस ओन्टेलस*	अनुसूची II	4,915	2,066	2,416	2,277
7	बंदर	*मकाका मुलत्ता*	अनुसूची II	7,339	4,338	4,419	5,931
8	सियार	*कैनुथ ऑरियस*	अनुसूची II	131	257	271	342
9	नेवला	*हर्पेस्टर्सपी.पी*	अनुसूची II	161	201	233	238
10	लोमड़ी	*वुल्पेस बेंगालॉन्सिस*	अनुसूची II	18	16	28	28
	उप योग			**12,564**	**6,878**	**7,367**	**8,816**
11	चीतल	*एक्सिस एक्सिस*	अनुसूची III	2,151	412	336	4,716
12	सांभर	*सर्वस यूनिकलर*	अनुसूची III	86	92	71	122
13	कोट्रा	*मुंतियाकस मुंतजक*	अनुसूची III	435	260	283	475
14	जंगली सूअर	*सुस स्क्रोफ़ा*	अनुसूची III	1,561	1,303	1,084	1,298
15	लकड़बग्धा	*हाइना हाइना*	अनुसूची III	86	94	47	59
	उप योग			**4,319**	**2,161**	**1,821**	**6,670**

परिशिष्ट 2.19

(कंडिका 2.4.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ 73)

2018-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्रों में जंगली जानवरों की मृत्यु का विवरण

क्रम सं.	वन्यजीव प्रमंडल	अवैध शिकार	दुर्घटना (सड़क/ट्रेन)	बिजली	प्राकृतिक/ बीमारी/ मृत जन्म/ आपसी लड़ाई	अन्य (कुत्ते का काटना, गिरना, अज्ञात)	कुल
1	दलमा	0	0	0	3[8]	0	3
2	हजारीबाग	7[9]	9[10]	1 (भालू)	1 (भालू)	4[11]	22
3	पलामू (उत्तरी)	2[12]	8[13]	0	11[14]	6[15]	27
4	पलामू (दक्षिणी)	0	0	1 (हाथी)	3[16]	1[17]	5
5	रांची	0	1 (भालू)	0	0	0	1
	कुल	**9**	**18**	**2**	**18**	**11**	**58**

8 एक आपसी लड़ाई (हाथी), एक मृत शिशु (हाथी) और एक बच्चा हाथी।

9 एक नीलगाय, दो चीतल, तीन जंगली सूअर और एक पैंगोलिन।

10 सड़क दुर्घटना: तीन चीतल, एक सांभर, तीन नीलगाय और दो बंदर।

11 दो कुत्तों ने काटा (चीतल) और दो अज्ञात (एक जंगली सूअर और एक लकड़बग्घा)।

12 एक हाथी और एक जंगली सूअर.

13 सात हिरण (छह रेल दुर्घटना में) और एक लंगूर।

14 दो प्राकृतिक (एक बाइसन और एक हिरण), एक मृत जन्म (हाथी), पांच बीमारी (एक हाथी, एक बच्चा हाथी, दो बाइसन और एक नीलगाय) और तीन आपसी लड़ाई (एक मादा हाथी और जंगली हाथी, एक हिरण का लकड़बग्घा और एक बाघिन का बाइसन द्वारा मारा जाना)।

15 दो कुत्तों ने काटा (दो हिरण), एक नदी में गिरा (हाथी), एक कुएं में गिरा (हिरण) तथा दो अज्ञात (हाथी)

16 दो प्राकृतिक (हाथी) और एक मृत जन्म (हाथी)।

17 पहाड़ी से गिरना(हाथी)।

परिशिष्ट 2.20

(कंडिका 2.4.4.2 में संदर्भित; पृष्ठ 75)

वर्ष 2018-23 के दौरान पशु स्वास्थ्य/टीकाकरण एवं टीकाकरण किये गये पशुओं का विवरण

क्रम सं.	प्रमंडल	पी.ए	मवेशी दबाव	निर्गत	व्यय	मवेशियों का टीकाकरण	टीकाकरण किया गया
1	हजारीबाग	हजारीबाग	33,000	2.04	0.48	आंकड़ा संकलित नहीं किया गया	2019-20
		कोडरमा	सर्वेक्षण नहीं किया गया	1.16	0.96	-वही-	2018-19 और 2020-21
		लावालौंग	-वही-	2.04	2.04	-वही-	2018-22
		गौतम बुद्ध	-वही-	2.04	1.44	-वही-	2018-21
		पारसनाथ	-वही-	2.04	0.00	-वही-	Nil
		तोपचांची	-वही-	1.16	0.00	-वही-	Nil
2	साहिबगंज	उधवा	-वही-	0.00	0.00	576	2018-23 एएचडी द्वारा
3	जमशेदपुर	दलमा	39,024	17.40	11.70	आंकड़ा संकलित नहीं किया गया	
4	पीटीआर उत्तरी	पीटीआर (भाग)	1,62,520	3.75	3.75	-वही-	
5	पीटीआर दक्षिणी	पीटीआर (भाग)		4.35	4.35	11,572	2018-21 और 2022-23
		महुआडांड़	60,000	4.30	4.30	16,353	2018-21
6	रांची	पालकोट	45,000	7.80	7.80	आंकड़ा संकलित नहीं किया गया	
	कुल		**3,39,544**	**48.08**	**36.82**		

परिशिष्ट 2.21

(कंडिका 2.5.1 में संदर्भित; पृष्ठ 90)

2021-23 के दौरान योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के विरुद्ध आउटपुट/परिणाम संकेतक

परिणाम बजट 2021-22

क्रम सं.	योजना	आउटपुट/परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	परिणाम	परिणाम सूचक	एसडीजी लक्ष्य
			परिणाम बजट 2022-23 के अनुसार				
1	**वन्यजीव संरक्षण और अपराध नियंत्रण (एसएस)**	अवैध शिकार से सुरक्षा	अवैध शिकार से सुरक्षा	काम प्रगति पर है	पीए में वन्यजीव और वन अपराधों में कमी	पीए में वन्यजीव और वन अपराधों में कमी	एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई)
		जल स्त्रोतों और चेक-डैमों का संकुचन	जल कुंडों और चेक-डैमों का निर्माण				
		अग्नि रेखा का समाशोधन	अग्नि रेखा की समाशोधन				
2	**आईडीडब्ल्यूएच**	जल संरक्षण संरचना का निर्माण	जल संरक्षण संरचना का निर्माण	काम प्रगति पर है	बेहतर आवास निर्माण	मानव-पशु संघर्ष में कमी	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		वन्यजीव गणना	वन्यजीव गणना		मृदा एवं जल संरक्षण में वृद्धि	आवास सुधार	
		जीपीएस और कैमरे का संधारण	जीपीएस और कैमरे का संधारण		वन सीमांत क्षेत्रों में मानव दिवसों का सृजन		
3	**वन सीमाओं का समेकन**	80000 वन सीमा स्तंभों का निर्माण	डीजीपीएस सर्वेक्षण के बाद 40000 स्तंभों का निर्माण	निविदा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण काम नहीं हो सका	वन सीमाओं की बेहतर पहचान	वन सीमाओं की बेहतर पहचान	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
					वन अपराध और अतिक्रमण पर नियंत्रण	वन अपराध और अतिक्रमण पर नियंत्रण	
4	**पारिस्थितिकी-पर्यटन**	विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास	दलमा और बेतला डब्ल्यूएलएस में बुनियादी ढांचे का विकास	कार्य प्रगति पर है	दलमा और बेतला में बुनियादी ढांचा	क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
						पारिस्थितिकी-पर्यटन में स्थानीय लोगों के लिए अवसर	
5	**अधिसूचित क्षेत्र में वनरोपण एवं मृदा संरक्षण**	100 हेक्टेयर क्यूजीएस वृक्षारोपण	37174.86 हेक्टेयर में रखरखाव और पूर्णता का कार्य। 5808 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य।	37174.86 हेक्टेयर में रखरखाव और पूर्णता का कार्य पूरा हो चुका है।	वन क्षेत्र की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि	वन क्षेत्र की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		1000 हेक्टेयर मृदा संरक्षण वृक्षारोपण			CO_2 अवशोषण में वृद्धि	CO_2 अवशोषण में वृद्धि	

क्रम सं.	योजना	आउटपुट/परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	परिणाम	परिणाम सूचक	एसडीजी लक्ष्य
			परिणाम बजट 2022-23 के अनुसार				
		2000 हेक्टेयर आरडीएफ वृक्षारोपण		5808 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रगति पर है।	जैव-विविधता में वृद्धि	जैव-विविधता में वृद्धि	
		पूर्णता और रखरखाव कार्य			स्थानीय लोगों के लिए मानव दिवसों का सृजन	स्थानीय लोगों के लिए मानव दिवस का सृजन	
					मृदा एवं जल संरक्षण में वृद्धि	मृदा और जल संरक्षण में वृद्धि	
6	**वन अग्नि प्रबंधन**	2511 किलोमीटर फायर लाइन का रखरखाव	1422 किलोमीटर फायर लाइन का रखरखाव	कार्य प्रगति पर है	सड़कों के किनारे आग का पता लगाना	वन अग्नि की घटनाओं में कमी	एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई)
		सड़कों के किनारे 3676 किलोमीटर फायर ट्रेसिंग	61 क्यूआरटी का गठन		मौजूदा अग्नि रेखा का रखरखाव	क्यूआरटी/जेएफएमसी/ईडीसी का गठन	
			62 जेएफएमसी/ईडीसी के माध्यम से अग्निशमन		अग्निशमन उपकरणों की खरीद	31 डिवीजनों को प्रशिक्षण	
			31 डिवीजनों को प्रशिक्षण		लोगों में बेहतर जागरूकता		
7	**एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना**	गैर-वानिकी उद्देश्यों से अलग किए गए क्षेत्रों में एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन			पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग	पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		वन्यजीव आवास में सुधार			मरुस्थलीकरण से लड़ना और आरक्षित भूमि क्षरण को रोकना तथा जैव विविधता की हानि को रोकना	मरुस्थलीकरण से लड़ना और आरक्षित भूमि क्षरण को रोकना तथा जैव विविधता की हानि को रोकना	
		क्षेत्र की वनस्पतियों में सुधार			वन्यजीव गलियारे को बनाए रखना	क्षेत्र की जैव विविधता का संधारण	
					मानव पशु संघर्ष को कम करना		

क्रम सं.	योजना	आउटपुट/परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	परिणाम	परिणाम सूचक	एसडीजी लक्ष्य
			परिणाम बजट 2022-23 के अनुसार				
8	**हाथी परियोजना**	जल संचयन संरचना का निर्माण	जल संचयन संरचना का निर्माण	कार्य प्रगति पर है	जल संचयन संरचना का निर्माण	जल संचयन संरचना का निर्माण	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		लूट-पाट विरोधी दस्ते का गठन	लूट-पाट विरोधी दस्ते का गठन		लूट-पाट विरोधी दस्ते का गठन	लूट-खसोट विरोधी दस्ते का गठन	
		तालाबों का निर्माण	तालाबों का निर्माण		तालाबों का निर्माण	तालाबों का निर्माण	
		नमक चिकना की खरीद	नमक चिकना की खरीद		नमक चिकना की खरीद	नमक चाटना की खरीद	
9	**ब्याघ्र परियोजना (50:50)**	दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान	दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान	कार्य प्रगति पर है	प्राकृतिक वनों द्वारा जैव-विविधता और कार्बन पृथक्करण में वृद्धि	वन्यजीवों के लिए बेहतर आवास	एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई) एवं एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		वायरलेस उपकरणों और वाहनों का संधारण	वायरलेस उपकरणों और वाहनों का संधारण		वन सीमांत क्षेत्रों में मानव दिवसों का सृजन	बाघ और अन्य जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि	
		गुप्त सूचना पर व्यय	गुप्त सूचना पर व्यय			मानव पशु संघर्ष में कमी	
10	**ब्याघ्र परियोजना (60:40)**	स्ट्राइक फोर्स और टीपीएफ की स्थापना पर व्यय	स्ट्राइक फोर्स और टीपीएफ की स्थापना पर व्यय	कार्य प्रगति पर है	जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण में वृद्धि	वन्यजीव आवास को बनाए रखना और विकसित करना	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		शौचालय का निर्माण	शौचालय का निर्माण		मानव दिवसों का सृजन	बाघ और अन्य जंगली जानवरों का प्रजनन।	
		हार्डवेयर और वायरलेस नेटवर्क की खरीद	हार्डवेयर और वायरलेस नेटवर्क की खरीद			वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाओं में कमी	
11	**प्रशिक्षण, प्रचार, अनुसंधान और मूल्यांकन**	3 अनुसंधान नर्सरी का संधारण	3 अनुसंधान नर्सरी का संधारण	कार्य प्रगति पर है	शहरी और ग्रामीण लोगों का प्रशिक्षण	शहरी और ग्रामीण लोगों का प्रशिक्षण	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		वन कर्मचारियों/अधिकारियों/जेएफएमसी का प्रशिक्षण	वन कर्मचारियों/अधिकारियों/जेएफएमसी का प्रशिक्षण		वृक्षारोपण में लोगों की जागरूकता और भागीदारी	वृक्षारोपण में लोगों की जागरूकता और भागीदारी	
		प्रचार कार्य	प्रचार कार्य				

परिणाम बजट 2022-23

क्रम सं.	योजना	आउटपुट/परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	परिणाम	परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि 1/23 तक	एसडीजी लक्ष्य
			परिणाम बजट 2023-24 के अनुसार						
1	**वन्यजीव संरक्षण और अपराध नियंत्रण (एसएस)**	अवैध शिकार से सुरक्षा जल स्त्रोतों और चेक-डैमों का संकुचन अग्नि रेखा का समाशोधन	12 संख्या	12 संख्या	पीए में वन्यजीव और वन अपराधों में कमी	बेहतर आवास प्रबंधन	12 संख्या	12 संख्या	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
2	**सिल्वीकल्चर (एसएस)**	37.11 लाख पौधों का रखरखाव किया जाएगा 5.25 लाख पौधे लगाए जाएंगे	28653 हेक्टेयर	23153 हेक्टेयर	वन क्षेत्र में वृद्धि अधिक CO_2 अवशोषण जैव-विविधता में वृद्धि स्थानीय लोगों के लिए मानव दिवस का सृजन मृदा और जल संरक्षण में वृद्धि वनस्पति और जीव-जंतुओं में वृद्धि	वन क्षेत्र में वृद्धि	28653 हेक्टेयर	23153 हेक्टेयर	एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई)
3	**आईडीडब्ल्यूएच**	जल संरक्षण संरचना का निर्माण वन्यजीव गणना जीपीएस और कैमरे का रखरखाव	11	0	बेहतर आवास निर्माण मृदा और जल संरक्षण में वृद्धि	मानव-पशु संघर्ष में कमी	11	0	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
4	**वन सीमाओं का समेकन**	वन सीमाओं की बेहतर पहचान वन अपराध और अतिक्रमण पर नियंत्रण	17000 संख्या	0	वन सीमाओं की बेहतर पहचान वन अपराध और अतिक्रमण पर नियंत्रण	वन क्षेत्र में वृद्धि	17000 संख्या	0	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)

क्रम सं.	योजना	आउटपुट/परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	परिणाम	परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	एसडीजी लक्ष्य
			परिणाम बजट 2023-24 के अनुसार					1/23 तक	
5	**पारिस्थितिकी-पर्यटन**	दलमा और बेतला में बुनियादी ढांचे का विकास	0	0	दलमा और बेतला में बुनियादी ढांचे का विकास	क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि	0	0	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
						स्थानीय लोगों के लिए अवसरों का सृजन			
6	**अधिसूचित क्षेत्र में वनरोपण एवं मृदा संरक्षण**	42282.86 हेक्टेयर रोपण क्षेत्र का रखरखाव और 8000 हेक्टेयर में अग्रिम कार्य।	50283 हेक्टेयर	42282 हेक्टेयर	वन क्षेत्र की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि	वन क्षेत्र में वृद्धि	50283 हेक्टेयर	11000 (आईएफएसआर)	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
					CO_2 अवशोषण में वृद्धि				
					जैव-विविधता में वृद्धि				
					स्थानीय लोगों के लिए मानव दिवस का सृजन				
					मृदा और जल संरक्षण में वृद्धि				
7	**वन अग्नि प्रबंधन**	2500 किमी की मौजूदा फायर लाइन का रखरखाव	31	0	सड़कों पर आग का पता लगाना	2500 किलोमीटर की मौजूदा फायर लाइन का रखरखाव	31	0	एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई)
		क्यूआरटी-42, जेएफएमसी/ईडीसी-46			अग्निशमन रेखा का रखरखाव	क्यूआरटी-42, जेएफएमसी/ईडीसी-46			
		31 डिवीजन को प्रशिक्षण			अग्निशमन उपकरणों की खरीद	31 डिवीजन को प्रशिक्षण			

क्रम सं.	योजना	आउटपुट/परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	परिणाम	परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	एसडीजी लक्ष्य
			परिणाम बजट 2023-24 के अनुसार					1/23 तक	
8	**एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना**	मानव पशु संघर्ष को कम करें	40 संख्या	25 संख्या	जल संचयन संरचना उपलब्ध कराना	जल और भोजन की उपलब्धता के कारण वन्यजीवों के आवास की संख्या में सुधार हुआ	40 संख्या	25 संख्या	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		वन्यजीव आवास में सुधार			पेड़ लगाना	वन्यजीव गलियारे का रखरखाव			
		क्षेत्र की वनस्पतियों में सुधार			वन्यजीव गलियारे का रखरखाव मानव पशु संघर्ष को कम करना	क्षेत्र की जैव विविधता का रखरखाव			
9	**पीटीसीएफ को सहायता अनुदान**	पीटीआर का रखरखाव और विकास, पशुओं के लिए भोजन	1		पीटीआर का रखरखाव और विकास, पशुओं के लिए भोजन	जागरूकता बढ़ाना			एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		घास के मैदान का विकास			घास के मैदान का विकास	जैव विविधता बढ़ाना			
10	**गज परियोजना**	जल संचयन संरचना का निर्माण	5	5	जल संचयन संरचना का निर्माण	जंगल के अंदर पानी की मात्रा में वृद्धि	5	5	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		लूट-पाट विरोधी दस्ते का गठन			लूट-पाट विरोधी दस्ते का गठन	वन्य जीवों के लिए बेहतर आवास			
		तालाबों का निर्माण			तालाबों का निर्माण				
		नमक चिकना की खरीद			नमक चिकना की खरीद				
11	**ब्याघ्र परियोजना (50:50)**	दैनिक मजदूरों को भुगतान	1	1	प्राकृतिक वनों द्वारा जैव-विविधता और कार्बन पृथक्करण में वृद्धि	वन्यजीवों के लिए बेहतर आवास	1	1	एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई)
		वायरलेस उपकरणों और वाहनों का संधारण							
		गुप्त सूचना पर व्यय							

क्रम सं.	योजना	आउटपुट/परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि	परिणाम	परिणाम सूचक	लक्ष्य	उपलब्धि 1/23 तक	एसडीजी लक्ष्य
			परिणाम बजट 2023-24 के अनुसार						
12	**ब्याघ्र परियोजना (60:40)**	स्ट्राइक फोर्स और टीपीएफ की स्थापना पर व्यय	90 संख्या	30 संख्या	जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण में वृद्धि	वन्यजीवों के लिए बेहतर आवास	90 संख्या	30 संख्या	एसडीजी-13 (जलवायु कार्रवाई)
		शौचालय का निर्माण							
		हार्डवेयर और वायरलेस नेटवर्क की खरीद							
13	**प्रशिक्षण, प्रचार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन**	3 अनुसंधान नर्सरी का संधारण	3 संख्या	3 संख्या	3 अनुसंधान नर्सरी का रखरखाव	सामुदायिक जागरूकता	3 संख्या	3 संख्या	एसडीजी-15 (भूमि पर जीवन)
		वन कर्मचारियों/अधिकारियों/जेएफएमसी का प्रशिक्षण			वन कर्मचारियों/अधिकारियों/जेएफएमसी का प्रशिक्षण	कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण			
		प्रचार कार्य			प्रचार कार्य				

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.1.3 में संदर्भित; पृष्ठ 103)

जिला परिषद, बोकारो द्वारा सूरक्षा जमा राशि की दरों के संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस का विवरण

तिथि	प्रति दुकान/तल/संपूर्ण मॉल न्युनतम जमा राशि	सूरक्षा जमा की राशि	संपूर्ण मॉल का मासिक किराया	संपूर्ण मॉल का वार्षिक किराया
12-02-2018	संपूर्ण मॉल	₹3,00,00,000	₹3,00,000	36,00,000
28-02-2019	₹3,00,000 से ₹6,00,000 प्रति दुकान	₹2,68,00,000	-	-
29-05-2019	₹2,00,000 से ₹3,00,000 प्रति दुकान	₹1,48,00,000	-	-
10-07-2019	₹1,00,000 से ₹2,50,000 प्रति दुकान	₹89,00,000	-	-
26-07-2019	₹75,000 से ₹1,50,000 प्रति दुकान	₹66,00,000	-	-
07-09-2019	₹50,000 से ₹1,00,000 प्रति दुकान	₹43,50,000	-	-
26-06-2020	₹50,000 से ₹1,00,000 प्रति दुकान	₹43,50,000	-	-
04-01-2021	₹50,000 से ₹1,00,000 प्रति दुकान	₹43,50,000	₹1,42,973	17,15,670
15-06-2022	₹50,000 से ₹1,00,000 प्रति दुकान	₹43,50,000	₹1,42,973	17,15,670
17-10-2022	₹12,00,000 से ₹16,00,000 प्रत्येक मंजिल	₹43,50,000	₹1,42,973	17,15,670
26-07-2023	संपूर्ण मॉल	₹20,00,000	₹1,42,973	17,15,670
20-09-2023	संपूर्ण मॉल	₹12,00,000	₹1,42,973	17,15,670
27-10-2023	संपूर्ण मॉल	₹10,00,000	₹1,42,973	17,15,670

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand